

श्रीकृष्ण ब्रह्मचर्याश्रम,

(दिग्मधर जैन गुरुकुल) चौरासी, मथुरा ।

—१३४—

यही एक ऐसी सामाजिक संस्था है, जो प्राचमरी पास बालकों को प्रविष्ट करके कम से कम १८ वर्ष की अवधि तक रखकर उनको सु-संस्कारी, स्त्रावज्ञवी उच्च कोटि के धार्मिक मार्मिक विद्वान् बनाती है। इसमें धार्मिक क्रिया—कारण के साथ उच्च कोटि की धर्म शिक्षा तो दी ही जानी है, किन्तु साथ ही न्याय, व्याकरण, साहित्य, गणित, भूगोल, अंग्रेजी आदि ज्यावहारिक शिक्षा के साथ औद्योगिक शिक्षा भी (जैव कपड़ा, दरी, निवार, फीता, गलीचा आदि बुनना और प्रत्येक प्रकार का कपड़ा सीना आदि) दी जानी हैं। अतएव प्रत्येक जैनी को अपने होनहार तीक्ष्ण बुद्धि के बालक प्रविष्ट करकर लाभ उठना चाहिये, तथा प्रत्येक माँगलीक प्रसंगों व पर्दों पर सदैव इसकी सहायता करते और करते रहना चाहिए और यथावत इसका निरीक्षण परीक्षण करके अपनी शुभ सम्मति देकर इसे विशेष उपाय बनाना चाहिए।

निवेदक—

मन्त्री—श्रीकृष्ण ब्रह्मचर्याश्रम,
गुरुकुल, चौरासी, मथुरा ।

नक़ली वस्तुओं से बचिये।

हमारे यहाँ शुद्ध काशमीरी केशर, नैपाली कस्तूरी, अंधर, शुद्ध सिलाजीत, द्राचाम्बव, नदाबहार, शिरोल्लयाधि नाशक तेल आदि पदार्थ ठीक दास पर सदैव मिल सकते हैं, हम केशर आदि वस्तुएँ सीधी काशमीर से ही मंगाते हैं नक़ली मिल करने पर इनाम भी देते हैं शेष औषधियाँ हम स्वयं तैयार करते हैं। इसलिए एक बार तो मँगा परीक्षा कीजिए, फिर तो आप स्वयं ही मंगायेंगे, कम से कम देव पूजा के लिए तो हमारी ही केशर मंगाहये अथवा नक़ली केशर के बदले हर विग्रह के फूल ही उपयोग में लौजिए, पर अशुद्ध केशर न छढ़ाइए।

हमारा पता—

बाबू इरिशन्द्र जैन परवार एरड ब्रदर्श,
जनरल मर्चेन्ट पन्ड कमीशन एजेन्ट्स, सबापोम रोड, अहमदाबाद।

एक बार मंगाकर सातरी कीजिये।

लंडियों की निजोरी, अन्मारियाँ, कोटियाँ, तोलने के लंडों बड़े कट्टे, पीतल को चहर के बेंजोब नलामा जाट, कटारदाल { ४३वे } आदि मासान किशायन के माथ ठीक भाव से भेजा जाता है, रत्नाम इन चीजों के लिए प्रसिद्ध है।

मेंगाने का पता—

मास्टर कालूगाम राजेन्द्र कुमार परवार जैन,
रत्नाम स्टोर, रत्नाम।

सन्मतिसुमनमाला



सुमन दसवां

* पतन से उत्थान *



लेखक—

श्रीयुक्त धर्मराज पंडीपचन्द जी वर्णी
नमिहपुर सी. पी. निवासी ।

प्रकाशक—

सेठ मोहरीलाल चाँदमल जी,
गंगवाल दि० जैन,
नवा माधोपुरा, अहमदाबाद ।

मुद्रकः—

पं. पुरुषोत्तमदास मुरलीधरशर्मा

हरीहर इलैक्ट्रिक मशीन प्रेम,

मथुरा।

→ आवश्यक निवदेन ←



जब कि अनेकानेक जातियाँ तन, मन, धन से अपनी उर्जा में अग्रसर हो रही हैं, तब हमारी जैन समाज अभी गाढ़ निद्रा में मरनहैं — यह क्या भला कम सोचनीय है। बम ! जैन समाज की इसी तर-
भान परिस्थिति पर हाईपात करते हुए, नरसिंहपुर निवासी धर्मरत्न उय-
प० दीपचन्द्र जी वर्णी ने प्रकृत पुस्तक लिखकर हमारी मरणोन्मुख
जैन समाज को नवीन जीवन प्रदान करने का प्रयास किया है। इस
पुस्तक में पूज्य वर्णी जी ने समाज एवं तदन्तर्गत धार्मिक संस्थायें। धा-
र्मिकार्थियों की जो स्पष्ट आलोचना की है वह तो प्रत्यक्ष अनुभूत दी
है। मुझे आशा है, कि इस पुस्तक को पढ़कर हमारी अवनत जैन समाज
उस गाढ़ निद्रा को झङ्ककर अपनी दुरवस्था पर आँसू बहावेगी और
पूज्य वर्णी जी द्वारा इस पुस्तक में बतलाए गये उपायों का आलम्बन
अवश्य करेगी।

अन्त में मैं उन पूज्य वर्णी जी महाराज को भी धन्यवाद दिये
किना नहीं रह सकता, कि जो शरीर से अस्वस्थ होते हुए भी अहनिश
धर्म एवं समाज के उद्घार की इतनी चिन्ता रखते हैं और तदनुसार वा-
में १—२ पुस्तकें भी लिखते रहते हैं।

ॐ शान्ति !

ऋषि पवारी, वीर नि. २४६२।	निवेदक-- बालचन्द्र शास्त्री, सोरई (भांसी)
-----------------------------	--

पतन से उत्थान ।

- अर्थात् -

दिगम्बर जैन धर्म और समाज की परिस्थिति और उसके सुधार के उपाय ।



यह तो निविदाद सिद्ध है कि सब दानों में विद्या दान ही प्रधान दान है, जो कि विद्याप्रदायिनी मन्त्रालयों को द्रव्य, पुस्तक, व आवश्यक उपकरण आदि देने से, विद्यार्थी, बालक, बालिकाओं तथा तर नारियों को भोजन, वस्त्र, पुस्तक आवश्य आदि देने से तथा सर्व-साधारण साहर नर-नारियों को उनकी योग्यतानुसार उनकी भाषाओं में लिखित या मुद्रित धार्मिक तथा नैतिक शास्त्रों के देने से होता है।

ज्ञान आत्मा का स्वभाव है जिसका विकाय प्रत्येक प्राणी में उसके ल्योपशम के अनुसार होता है, संसार में कोई भी ऐसा प्राणी न मिलेगा, जिसमें ज्ञान का सर्वथा अभाव हो, किन्तु समस्त चर-अचर प्राणियों में न्यूनाधिक रूप में (थोड़ा बहुत) ज्ञान अवश्य ही पाया जायगा। संसारी प्राणियों में, जिनमें जितनी २ इन्द्रियां कम हैं, उनमें उतना २ ज्ञान भी कम है और जिनके जितनी २ इन्द्रियां अधिक हैं, उनमें उतना २ ज्ञान भी अधिक होता है। सब इन्द्रियां पांच हैं और एक मन (अनिन्द्रिय = अभ्यन्तर इन्द्री) है। पक्षेन्द्री से ये

विषय वासनायें, फैशन, निर्बलता, मूठी सभ्यता, स्वार्थ व्यक्तिगत बढ़ रहे हैं। तीसरे प्रारम्भ से धर्म संस्कार नहीं ढाले जाते न पाप भीह बनाया जाता है। चौथे पुरुषार्थ—(उद्योग) नहीं मिलाया जाता। पांचवें कुसङ्ग रहता है। छठे धूर्त, बदमाश सुश्हाल और सच्चे धर्मात्मा दुस्री देखे जाते हैं—ऐसी दशा में अनेक लोगों ने परोपकार के नाम पर अनेकानेक प्रगट और गुप्त संस्थायें खोल रखी हैं, जिनका उद्देशमात्र बुल-बल व्याय या अन्याय से धन कमाना है।

इसी प्रकार कितनेक विद्यार्थी भी लोगों को अपनी गरीबी व असमर्थता का दम्भ बताकर खुब रूपया मंगा लेने हैं और उसमें मनमानी भौज शौक उड़ाते रहते हैं, इससे ये पढ़ तो पाते नहीं और कदाचित् पढ़कर परीक्षा भी पास करली, तो भी परीक्षा के अनन्तर कुछ भी ज्ञान इनमें नहीं रहता। ये कोरे के कोरे बने रहते हैं न विद्या रहती है, न उद्योग हुनर ही आता है, परन्तु फैशनेबुल, खर्चीला और सुखिया जीवन बिताना सीख जाते हैं। जब ये विद्यालय छोड़ते हैं, तब इन पर यकायक सर्व का भार आ पड़ता है और आमदनी का मार्ग छात्रवृत्ति आदि बन्द होजाते हैं। धनधा उद्योग सीखे नहीं, जर में पूँजी व जायदाद नहीं, या जायदाद सम्हालने की बुद्धि नहीं, जर में जो बाप-दादों का छोटा-बोटा धनधा, बंजी भोंसी, या परचूरण, आटा, दाल वी, गुड़, नमक, तेल, हल्दी आदि का न तोकना, बेचना, खरीदना आता है और न यह धनधा उनको पसन्द ही पड़ता है। मिहनत मजदूरी होनी नहीं और नौकरी मिलती नहीं। यदि दैवयोग से कहीं १५—२० पर लगे भी तो योग्यता के अभाव में वहां से पृथक् कर दिये जाने हैं। “अब के क्या करें” यह प्रश्न खड़ा रह जाता है।

जो हो अपना और अपने अधीनस्थ छी, पुत्र आदि के भोजन-पक्षादि का प्रबन्ध और वह भी अपटूडेट होना चाहिए, इसके बिना सो

दिन नहीं कट सकता। ऐसी दशा में या तो वे आत्मधात करके जाँचन से छुटकारा पा लेते हैं या फिर कोई दश (जिसका भावी कल नरकादिकुणि हो या वर्तमानमें राज दण्ड पञ्च दण्डादि मानसिक और शारीरिक यातनाएँ हों) रच लेते हैं, उपर से धर्म व परोपकार की कलहौं करगाकर सुनहली रूप दिखाने हैं और भीतर पाप रूपी नांवा लोहा होता है। सच्य ही कहा है—

बुभुक्षिताः किं न करोति पापम् ? क्षीणाः नराः निष्करुणा भवन्ति ॥

अथान् भूत्वा कौन सा पाप नहीं करता अर्थात् सभी करता है और क्षीण (निर्बल) दया रहित होता है। बम ! इनकी यही दशा होनी है, जो प्रत्यक्ष है।

क्योंकि इन में व्यावहारिक विद्या बुद्धि नहीं, सदाचार के अभाव से रूप व रक्षा नहीं, अर्थ पुरुषार्थ के अभाव और अनावश्यक (दिग्वात्) खर्च के कारण धन का भी अभाव है, ऐसी दशा में यदि ये मार्गन्धुत हो जावें तो आश्र्य ही क्या है ?

इत्यलिप्यदि समाज के उदार दानी सज्जन कुछ विवेक बुद्धि से कार्य करें, तो दसभी संस्थाएँ और व्यक्तियों को उत्तेजना न मिले और सभी संस्थाओं तथा व्यक्तियों को सहायता मिलने से उनकी आवश्यक कमी की पूर्ति हो जाय, इस प्रकार “नाथु अनुग्रह दुर्जन दण्ड” दोनों ही कार्य सध जावें, इसके लिए उपाय यह है, कि इसको जिन संस्थाओं का पूर्ण परिचय है, उनको तो यथावसर सदैव ही शक्ति अनुभाव विना सझोच सहायता करते रहें तथा अपने इष्ट व अन्यजनों से प्रेरणा करके सहायता पहुंचाने रहें, परन्तु जो संस्थाएँ नवीन खुली

हों व सुलने वाली हों अथवा जिनका कुछ भी परिचय न हो और वहां की अपील आवे, तो उनके सन्बन्ध में पूर्ण जीव किए जिना केवल अपील के छपे कार्म या चिट्ठियों पर से या चन्दा कराने को आए हुए व्यक्ति के कहने मात्र से द्रव्यादि नहीं दे देना। चाहिए और न उपेक्षा हो करना चाहिए, क्योंकि नवीन या अपरिचित संस्थाएँ सबी भी हो सकती हैं और मूँठी भी, इसलिए जहाँ की संस्था की अपील है, वहां के प्रसिद्ध पुरुषों से अथवा उस जिले या प्रान्त के प्रसिद्ध व्यक्तियों से उन संस्थाओं के बाबत खूब छान बीन करना। चाहिए, पश्चात् द्रव्य भेजना चाहिए, द्रव्य की आफीसल रसीद प्राप्त करके किसी समाचार पत्र में दान की रकम संस्था का नाम जिसके द्वारा रकम दी या भेजी हो, उसका और अपना नाम आम पूरा पता प्रगट कर देना चाहिए, जिससे बोखा न हो, द्रव्य का सदुपयोग होवे अथवा दि० जैन तीर्थ ज्ञेत्र कमेटी हीराबाग अम्बई के पास वह रकम, उस संस्था के नाम से सहायतार्थ भेज देना चाहिए और लिख देना चाहिए, कि यदि उस नाम की कोई सुचारू रीत्या चलने वाली संस्था हो तो निश्चय करके यह रकम वहाँ भेज दीजिए और उसकी रौप्यकी नियमानुसार भिजवा दीजिए। इसी के साथ समाचार पत्रों में भी ऊपर बनाए अनुमार सूचना दी दीजिए कि हमने अमुक संस्था की सहायतार्थ अमुक रकम तीर्थ ज्ञेत्र कमेटी अम्बई में जमा करदी है इत्यादि।

ऐपा करने से दम्भी संस्थाओं को भद्र नहीं मिलेगी, द्रव्य का सदुपयोग होगा, यदि वास्तव में वह सबी संस्था होगी, तो वहाँ से उसको वह द्रव्य मिल जायगा, यदि दम्भी दोगी तो आपका द्रव्य सुरक्षित रहेगा और उसे आप किसी अन्य सुयोग संस्था में भेज सकेंगे।

इस विषय में सचेत करने का हेतु यह है, कि इस समय बेकारी और बहुखर्ची आदि कारणों से ऐसी दम्भी संस्थाएँ जहाँ तहाँ बहुत

सुल रही हैं, उन में दो चार गैर जिम्मेदार व्यक्ति मन्त्री सभापति खजांची आदि के नाम रख लेते हैं, नियमावली व उद्देश भी आकर्षक बना कर छपा लेते हैं। बनावटी रिपोर्ट भी निकाल देते हैं और प्रचारक भी भेज देते हैं, इस प्रकार धूर्तना से समाज के भोलेपन के कारण यैं लोग दृश्य में सफल हो जाते हैं, आखिर भरडा फोड हो जाता है, क्योंकि “सदाकत छिप नहीं सकती बनावट के उस्तूरी से। अब गुशाबू है आसकती कभी कागड़ा के फूलों से ॥”

ऐसी संस्थाएँ भारत में भी बहुत हो गई हैं, जिनका समाचार यथावसर मिला करता है, परन्तु खेद तो इस बात का है, कि इस पवित्र जैन समाज में भी ऐसी संस्थाएँ होने लगी हैं। अभी हाज ही में आगरा के फूलचन्द जैन को तथा अकोला के कस्तूरचन्द जैन को जेल की सजा इसी हेतु हुई है, कि उन्होंने विधवाश्रम खोल रखे थे और अनाचार के द्वारा घन समाज से लूटते थे।

प्रचारकों में से उन्हीं को द्रव्य देना चाहिए, जो प्रसिद्ध व परिचित संस्थाओं की ओर से आए हाँ, जिन के पाय संस्था की रसीद वही वहाँ की मुहर वाली हो और वहाँ के मन्त्री अधिष्ठाता आदि का हस्ताक्षरी पत्र उनके निकट हो। और इतने पर भी सन्देह हो तो रकम उनको न देकर सीधी संस्था में भेज देना चाहिए और आफीसल रसीद प्राप्त करना चाहिए।

इमारे किसने ही मरल व भोले सज्जन रसीद भी नहीं लेते, कह देने हैं, रसीद फसीद का क्या करना है ? परन्तु उनकी यह बड़ी भूल है, कुछ भी सहायता (नकद हो व उपकरण पुस्तक, वस्त्र, आसन, फरनीचर आदि) देखो कि तुरन्त रसीद ले लो। सम्भव है, बिना रसीद का द्रव्य यंस्था में जमा न हो और ऊपर ही ऊपर उड़ जावे। इसलिए रसीद लिए बिना कभी किसी संस्था को कुछ न दो।

यदि भोजन कराना हो, तो सामने बनवाकर खिलादो या भोज्य पदार्थ(फल, मेवा, मिष्ठाज) व वस्त्रादि स्वयं बैंट दो या सामने बैंट-चादो, यदि मकान बनवाना हो, तो स्वयं अपने गुमाशता या स्थानीय किसी प्रसिद्ध पुरुष के सामने कार्यारम्भ कराके जैसा २ कार्य होता जाय अपनी सामर्थ्य व स्वीकारता के अनुसार द्रव्य देते जाओ और कार्य पूर्ण करा दो ।

वर्णोंकि अनेकों बार समाचार छपते हैं, सोनागिर के परडे, छुट्टी चपरास नकली लेकर नीर्थ के नाम पैसे उधरातं हैं । अतः सावधान रहें ।

या अमुक संस्था से अमुक प्रचारक का सम्बन्ध नहीं है या छूट गया है, उसे कोई द्रव्य न देवे, धीरा संस्था में भेजें इन्हादि ।

इसी प्रकार समाज के भावी कर्णधारों (होनहार विद्वान् धर्मोपदेशक धर्माचार्य आदि) के सम्बन्ध में भी विचार करना है ।

स्कूल, कालेज तथा विद्यालयों से पढ़ कर निकलने वाले विद्वान् ही तो हमारी समाज के भावी कर्णधार (नेता) अध्यापक, धर्मोपदेशक, धर्माचार्य मंथभी त्यारी ब्रती हो सकते हैं । अतएव इनके शिक्षण और संरक्षण का ध्यान समाज के दानी उदार चरित सज्जनों और कार्यकर्ताओं को किननी सावधानी से करना चाहिए । यह वे स्वयं सोच सकते हैं, वर्णोंकि इन्होंने साधारण जनता का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले रखा है, कर्णोंकि जन साधारण नो समर्थ वा असमर्थ अवस्थाओं में इनकी गोद में अपने बालकों को सोंप देते हैं, इसी आशा तथा विश्वास पर कि अमुक संस्था में, अमुक समय तक हमारा बालक रह कर सुयोगम, विद्वान्, कला कौशल युक्त, उद्योगी, धार्मिक, च्यवहार कुशल, सदाचारी, पुरुषार्थी प्रामाणिक मद्गृहस्थ के शोग्य

लक्षणों वाला, स्वावलम्बी, स्वास्थ चित्त और शारीर वाला, स्वकुल समाज तथा देश को गौरवन्वित बनाने वाला, पितादि गुरुजनों का आज्ञाकारी, विनयी, नन्हे व उदार भाव वाला, दीर्घ दृष्टि, धीर-वीर, निरोगी, साहसी आदि न जाने और भी कितनीक आशा कल्पनायें व विश्वास के माथ वे संस्थाओं में दाखिल कराकर निवृत्ति पा लेते हैं।

दूसरी ओर संस्थाओं के सञ्चालक अपना मात्र इतना बढ़ेका या उत्तरदायित्व ममके बैठे हैं या समझते हैं, कि येन केन प्रकारेण बालकों को असुक फिरी (पदवी) प्राप्त करा देना और फिर लग्जी, चौड़ी, रिपोर्ट संस्था की छपाकर जनता व उदार धनियों का चित्त आकर्षित करके दृश्य (सञ्चालन स्वर्च) प्राप्त कर लेना। अध्यापकवर्ग मात्र पुस्तकों का याठ, पठनक्रमानुसार पूरा करा देने और परीचोनीर्तता प्राप्त कराने के लिये खास प्लाइट्स बता देना या नोट करा देना मात्र कर्तव्य समझते हैं। तात्पर्य— किसी ग्रन्थ का विषय उपलब्ध हो या न हो। समझता हो या न समझता हो, वह सदाचारी रहे या कदाचारी बन जावे, कुछ भी इसकी उनको पर्वाह नहीं। उन्हें तो नाम से प्रयोजन कि इन्हें इतने नीर्थ कराये या ग्रेजुएट बनाए। भले ही फिर वे अपने अनुभव शून्यता या विद्या के कारण आजीविका बिहीन हुए मारे मारे फिरें, भूखे मरें, अपघात करें या चोरी अन्याय आदि करके जीवन निर्वाह करें, भले ही उनका भावी जीवन कष्टमय, भार रूप या अपकीर्ति का हेतु हो, इससे इनको क्या ? इनको नो कार्यकर्ताओं को प्रसन्न रखकर अपनी तरफ़की कराना मात्र इष्ट है।

सरकारी शालाओं में इन्हीं बातों को देखकर समाज व देश के नेताओं ने देश और समाजों में कुछ प्राइवेट संस्थाओं, विद्यालयों, गुरुकुलों तथा छात्राश्रमों की सृष्टि रचना की, जिससे विद्यार्थियों को

संस्कृत तथा हिंगलिश आदि विद्याओं की प्राप्ति के साथ ही साथ भार्यिक शिल्प भी मिलती जाय, उनके सदाचार की रक्षा बनी रहे तथा आचार विचार न बिगड़ने पावें, स्वाम-पान में भृष्टता न आवे, हृत्यादि ।

परन्तु देखा जाता है कि ये (प्राह्वेट) संस्थाएं भी उन्हीं संकीर्ण शास्त्रों का बहुतांश में अनुकरण कर रही हैं । इनमें शिल्प पाने वाले बालक, भले ही वे अंग्रेजी विभाग के हों या संस्कृत विभाग के हों, “अपटुडेट” फैशन से रहते हैं । वही अंग्रेजी ढङ्के कोट, कमीज पहिरवा, उसी प्रकार बाल रखना, उसी प्रकार बच्चों में भी आदि कराना तथा भोजन पान में भी शिथिलना रखना, भक्षयभक्ष्य का विचार न रखना, बाजार पदार्थ-मिश्राइयां, चांट, सोडा, लेमनेड, साय, विस्कट आदि खाना, रात्रि को खाना, अंग्रेजी विदेशी (अपवित्र) दवाइयाँ खाना, नाटक, सिनेमा आदि देखना, धर्म शिल्पों को बेगार समझना, असावधानी से मात्र नियम पालनार्थ पढ़ लेना आदि ।

मैंने स्वयं प्राह्वेट शिल्प संस्थाओं में काम किया है और यों भी महीनों रहकर इन सब बातों का अनुभव किया है । इन विषयों में शिक्षकवर्ग और कार्यकर्ता गण उदास रहते हैं । वे जानते हुए भी आंख मिचौनी किया करते हैं, क्योंकि उनको भव रहता है कि कहीं हमारा विद्यार्थी रुप होकर किसी अन्य संस्था में न चला जाय (जैसा कि होता रहता है) क्योंकि उसके चले जाने से ये अपनी इतने दिन की मिहनत बेकार हुई समझते हैं । कारण कि पढ़ाया इन्होंने, परीक्षा दी गई दूसरे अध्यापक और संस्था के नाम से । इसलिये इनकी संस्था की रिपोर्ट में वह उत्तोर्ण नहीं दिखाया जा सकता और अन्य संस्था मृष्ट में ही नाम कमा लेती है और साधारण जनता रिपोर्ट मात्र

देखकर ही संस्था के कार्य का भला तुरा निर्णय कर लेती है, न परीक्षा दिलाने वाली संस्था कभी यह प्रगट करती है, कि यह बालक असुक समय से यहाँ अभ्यास कर रहा है, इसके पहिले इसने असुक असुक परीक्षाएँ असुक संस्था से दी हैं और न आगन्तुक छात्र से पूर्व संस्था का प्रमाण पत्र ही लेकर भर्ती करती है, उसे तो पढ़ा पढ़ाया तैयार बालक मिल गया जो ४-६ माह या १ साल में ही तीर्थ आदि परीक्षा देकर संस्था से उक्तीशंना प्राप्त कर लेवेगा और संस्था को सुन्दर रिपोर्ट बनाने का सुवर्ण अवसर मिल जायगा, भले ही सहयोगिनी संस्था को हानि पहुँचे, इसका उनको कुछ भी घ्यान नहीं रहता, इसीलिए ये संस्थाएँ बालकों पर अंकुश नहीं रख सकतीं, उनकी स्वच्छन्द प्रवृत्ति को नहीं रोक सकतीं। इनना ही नहीं, किन्तु अनेक संस्थाएँ कुछ प्रद्वेष भी देती हैं, जिसमें अन्य संस्था के छात्र अन्य संस्था में आठ-पिंत हुए चले आते हैं।

फल इसका यह होता है, कि बालक स्वच्छन्द प्रवृत्ति बाले हो जाने हैं, उनका मदाचार, गुरु-भक्ति, कृनज्ञता, विनय, स्वावलम्बन आदि गुण नष्ट हो जाने हैं और बदले में उद्गग्नता उच्छ्वस्तता, कायरता, गुरु-दोह, कृतप्रता, पराधीनता, सुखिया स्वभाव, भीरुता, कठ, कपट, मायाचार आदि अनेकों दुर्गुण उपलब्ध हो जाने हैं।

वेद है, कि अध्यापक और संस्थाएँ इन विषयों में अपना उत्तर-दायित्व ही नहीं समझती और न समाज ही इस पर लक्ष्य देती है, कि असुक परिडत जो असुक असुक परीक्षा पास हैं और जो अपने पठित ग्रन्थों को अन्य छात्रों को पढ़ाने में असमर्थ है अर्थात् जिसे अपने पठित विषय आते ही नहीं हैं, न वे शास्त्र पढ़ सकते हैं, न धर्म शास्त्र का ज्ञान है, न खान-पान की शुद्धि का विचार है, न जैस धर्म

की क्रिया आचरण, पानी छानना, भोज्य पदार्थों की मर्यादा, भव्य-भव्य को ही जानते हैं, जिनके बचन की प्रतीति नहीं, एक जगह स्वीकारता देते हैं, अन्य जगह चले जाते हैं, स्वीकारता पाने वाले आशामें बैठे रहते हैं, किसी संस्था का कार्य करते हुए गुप्त-चुप अन्य अन्य स्थानों में लिखा-पढ़ी करते रहते हैं और फिर बिना पहिले से चेतावनी दिए ही अचानक उस संस्था को हानि पहुंचा कर चले जाते हैं या अमुक स्थान से शाखादि वस्तुएँ छुपा कर ले जाते हैं, इन्यादि प्रकार के ये परिहन महाशय किस या किस र संस्थाओं से परीक्षोत्तीर्ण होकर आए हैं, इनके अध्यापक महाशय कौन कौन हैं ? इसके जानने और उनको हिदायत देने का कष्ट समाज कभी भी नहीं उठाती और न कभी कोई संस्था या संस्थाएँ या उनके अध्यापक व संचालक ही कभी इस का विचार करते हैं, कि हमारे छात्र कहाँ २ कैसा कार्य कर रहे हैं । हाँ ! यदि कोई आदर्श छात्र कहाँ हुआ तो गौरव से उसका नाम लेंगे, परन्तु यदि अनादर्श हुआ तो कभी यह सोचने का भी कष्ट न करेंगे, कि यह ऐसा क्यों हुआ तथा न ऐसा सुधार योग्य प्रयत्न ही करेंगे कि भविष्य में ऐसा न होने पावे, जब जिम्मेदार समाज, संस्थाएँ और अध्यापकों का ये हाल है, तो छात्र तो छात्र ही हैं, वे क्यों विचारने चलं ?

यद्यपि ये बातें कटुक सी प्रतीत होती होंगी, परन्तु विचार करने पर स्थग्य प्रतीत होंगी, मैं क्षिप्र दृष्टान्त नाम और ग्राम निर्देश बिना बताऊ नमूना पेश करता हूँ, उन पर से विचार करने का अवसर मिलेगा।

गुजरात के प्रांतिज्ञ ग्राम में एक छोड़ न्यायतीर्थी एक श्वेता-बर सात्रु को पढ़ाने आए थे, वे एक महीना रहे, परन्तु प्रमेयकमल-मार्तंगद व अष्टमहीनी तो दूर रही, प्रमेयरकमाल भी रही, न्याय

दीरिका भी नहीं पढ़ा सके और एक महीना बाद टिकट कटा कर बैरक लौट गए। लाकरोड़ा में एक परिवहन आए थे वे कहते थे, क्यों जी ! कोयला आगर हम आपने देश से रसोई के लिए मँगाएँ तो ठीक होगा न लकड़ी में तो धुवां होता है।

एक कहते रीटी बनाना तो आता नहीं, ये भट्टयारखाना कौन करे ? कोई बनाने वाली न मिलेगी (जिनका वेतन मात्र २५) मामिक या और घर का टिकट १०) से ऊपर था) एक महाशय पढ़ाते थे, न्यायनीर्थ थे, लड़कियाँ पढ़ने आती थीं, सो आप एक कन्या पर मोहिन होगए और कहन लगे मैं राम हूँ तू सीता हूँ, बस ! बरमाला डाल दो, अपना स्वयम्भर हो जावेगा, ये हमी धुन में पागल बन गए, परन्तु वहों के सजनों ने धर्म का अपचाइ होना जान कर उनको बिना गिर्जा दिए ही ढोंड दिया और परिणतों से विश्वास उठ जाने से पाठशाला भी सदा के लिए मो गई। एक जगहदो पाठशालाओं के परिणतों ने रम्जल कर मन्दिर की दोरी की, परन्तु गए कोर एक एक साल को जेल गए, एक परिणत एक मठाधीश के यहाँ गिर्ध बन कर रहे और उसका अवधान बरने को मृत्युजय का जप करने लगे, वह मावधान था, बच गया और वे पागल हो गए। एक परिणत काव्यनीथ जहाँ रहे, वहाँ २ से लोगों के शपथा कर्ज किए और अन्यत्र चल दिए, आज भी उनकी ज्ञासी आमदनी है, परन्तु साहूकारों के लिए अंगूढ़ा ही है। एक प्रसिद्ध परिणत एक अच्छे स्थान में कार्य कर रहे थे, लोग भी उन से प्रसन्न थे, परन्तु वेतन के अधिक लोभ से इकदम वे यहाँ से चल दिए, जिससे वहाँ के लोगों को बहुत आघात पहुँचा + एक यंडितजी ने एक प्रसिद्ध शहर के लिए श्रीमहावीर जयन्ती के शुभ अवसर पर खापति होना स्वीकार कर लिया। और मार्गेव्य के लिए भेजा हुआ मनीषांडर भी ले लिया, परन्तु वहाँ न पधार कर अन्यत्र

चले गए, जिससे वहाँ की जनता को बहुत धक्का लगा और दिगो जैन-तर समाज में अद्भुत हँसी व अविश्वास पैदा हो गया इत्यादि ऐसे अनेकों दृष्टांत हैं, उन सब के कहने की न तो आवश्यकता है और न मामय व स्थान ही है, पाठक इनमें से ही भगवन्न कर आगामी सुधार का प्रयत्न करें।

यहाँ मेरा किन्हीं व्यक्तियों से कोई विरोध भाव नहीं है, न मैं उनको परिचक में नीचा दिखाना चाहता हूँ, मेरा विचार मात्र सुधार के लिए ही है।

इसके भिन्नता कोई यह न समझ लें, कि मैं परिहतों का विद्वानों का विरोधी हूँ या बाबू पार्टी का हूँ, मैं तो पार्टी बन्धी ही बुरी मानता हूँ, पर्टी तो समाज के अध्ययन का देनु है, इसलिए मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मैं प्रातःभगवन्नीय श्रद्धेय दूज्य श्री कुन्द-कुन्दादि ऋषियों का चाणा सेवक और धर्म तथा समाज के महान् उपकारक परिषदप्रबन्ध दोडरमलजी, सदामुखजी, जयचन्द्रजी, दौलतरामजी भागचन्द्रजी, द्यानतरायजी, भगवनीदामजी, भूदरदाशसी, बुधजनजी, गोपालदासजी, गणेशप्रसादजी आदि विद्वानों का चिर ऋणी हूँ। इसके सिवाय और भी अनेकों विद्वान जो धर्म व समाज का उपकार कर रहे हैं, उन्हीं हूँ, कि जिन के प्रभाव से मुझे जिन वाणी के समझने का अनुरूप लाभ मिला व मिल रहा है, मैं तो इनको अपना परम हिन् मानता हूँ। तब मैंने यहाँ पढ़ितों के ही अनादर्श नमूने क्यों रखे, विशेष कर उन्हीं पर जच्य बयो गया, क्या अंग्रेजी आदि के विद्वान ऐसा नहीं करते?

उत्तर—करते होंगे व करते हैं, परन्तु वे हमारे धर्म के आदर्श नहीं हैं, धर्म शिवक नहीं हैं, उन से धर्म का अपवाह उनना नहीं।

होता जितना परिवर्तों से होता है, क्योंकि ये हमारे धर्म शिष्ट (गुरु) हैं, हमारे बालक बालिकाओं का धर्मात्मा बनाने के ये जिम्मेदार हैं, हम इन पर विश्वास करके अपनी बहिन-बेटियां इनको पढ़ाने के लिए सोच देते हैं, ये मन्दिरों में धर्म की गढ़ी पर बैठ कर उपदेश करते हैं, हम जिए इनके जैसे भाव व आचरण होंगे, वैसा ही असर हमारे बेटा, बेटियों, पर पड़ेगा, यदि ये सदाचारी, सन्य-भाषी, इयालु जैन धर्म की गृहस्थोचित क्रियाओं में सावधान, धर्म छालु, मंद कथायी होंगे, तो हमारी समाज का भावी भाग्य उड़ाल होगा। अतएव हम को तो इन्हीं की ही शिक्षा करना है, यदि ये सुधर गए—स्वयं आदर्श बन गए, तो उनके सुधरने में देरी न लगेगी, क्योंकि इनकी आनंदाओं के पवित्र भाव व पवित्र आचरण उन पर प्रभाव डाल सकेंगे, ये उनको प्रेम से, मधुर बच्चों से, युक्ति और झागम प्रमाणों से, विज्ञान के बल से, अपने आदर्श चत्रिय में, द्रव्य लेने काल भाव के अनुमान अपने अनुभव से, धर्माविहृद उपदेश देकर शीघ्र मार्ग में ला सकेंगे।

मैं पुनः कहता हूँ, कि मेरे कहने का कोई विद्वान् समाज या संस्थाएँ बुश न साने और देखें, कि वर्तमान प्रखाली उनको कितनी हानिकर है।

ध्यान रखिए, सदैव से यही नियम है, कि उचादर्श रखने वाला पुरुष वह आहे कम भी पढ़ा हो, जितना प्रभाव जनता पर डाल सकता है, वह हीमध्यारी बहशुत भी नहीं डाल सकता। मानलो। कोई स्वयं रात्रि भोजन करता है, अप्रेजी दवाइयां खाता है, होटलों में से लेकर या बाजारू पूरी शाक, रोटी, मिठाइयां, चांट, वरफ, सोडा, लेमनेड, चिक्कुट आदि खाता है, स्टेशनों की चाय, दूध व नलों का पानी और वह भी बनौर छुना पीता है, मिलों का पिसा आटा खाता है, कुसित हँसी,

मङ्गाक करता है, न कभी पूजा करता, न तीर्थ यात्रा, न दान ही भक्ति या करुणा भाव से देता है, येन केन प्रकारेण अपने विषय भोगों में मग्न हैं, अर्थात् जिसने जीवन का आदर्श ही “यावज्जीवेत् सुखं जीवेत्, अरणं हृत्वा घृतं पिवेत्” अर्थात् Eat drink and be merry बना रखा है, वह भले ही बड़ा विद्वान्, अनेक भाषाभाषी, वाक्चतुर, धर्म शास्त्रों का ज्ञाता और विद्वान् वक्ता हो, बाद में भी न जीता जा सकता हो, नो भी क्या वह लोगों को सन्मार्ग में लगा सकता है ?

कुछ वर्ष हुए लाला न्याद्गमलजी वजाज, दिल्ली वालों ने राज-गृही में दिँ जैन मन्दिर बनवाकर प्रतिष्ठा कराई थी, इसके उसमें पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वहाँ रात्रि को शास्त्र सभा में सेठ केशरी-मल गयावालों ने श्रावक की कियाओं के विषय में सूचना की, मैंने तदनुसार कियाकोष के आधार कहना प्रारम्भ किया । २० मिनट हुए थे, कि एक परिडत जी जो बहुत बाचाल है, कहने लगे व्याख्यान सभा होना है, पूर्ण कीजिए, नहीं तो जनता उठ जायगी, मैंने वही मंहेप से पूर्ण कर दिया, बाद व्याख्यान प्रारम्भ हुआ, पहिले वक्ता आप ही हुए और बाकूँशन पर सूब अमृत वर्षाया, ये होटलों में खाते हैं, जूता पहिरे खड़े २ साते हैं, भच्याभच्य का इनको ध्यान नहीं होता, इत्यादि बड़े जोश के साथ कहा, लोग बहुत प्रसन्न हुए ।

रात्रि बीत गई, सबेरा हुआ, परिडत जी नहाकर मन्दिर गए और शीघ्र ही दर्शन करके लौट आए, पूजा स्वाध्याय सामायिक तो बिना पढ़ों का काम है, सो ये क्यों करते । अस्तु ! फाटक के बाहर लगी हुई हल्कवाई की दूकान पर पहुँचे और दहो में भीगी हुई पकौड़ी जो पहिले दिन की थी, स्तरीद कर खड़े २ बंगाली चमड़े की चट्टी पहिले सींक से छेद र कर रुचि से खारहे थे, इसने में बेही सेठ केशरीमल जी

और मैं दर्शनार्थ जा रहा था, सो परिणत जी को खाते देखा। मैं तो चुप रहा, परन्तु सेठ साहब ने परिणत जी की धूल उड़ादी, तब परिणत जी “हैं हमतो अवती हैं” कह कर पीछा छुड़ा कर चल दिए।

अब सोचो ! इनका क्या प्रभाव पड़ेगा ? इन्दौर की नसियां में एक प्रसिद्ध विद्वान् नज़ की चोटी से बिना छना पानी लेकर कुल्ला कर रहे थे, उनसे एक क्रियावान आवर्गी ने पूछा, परिणत जी आप तो विद्वान् हो और नज़ के पानी से, निस पर बिना छने से कुल्ला करते हो ? परिणत जी ने हँसकर उत्तर दे दिया, यह तो फिलटर होकर आता है, हमसे प्राप्तुक है। कहिए ! कैसा सुन्दर शिथिलता पोषक उत्तर है। एक जगह महासभा का अधिवेशन था, वहां प्रनिदृ अप्रसिद्ध लगभग ३०-३५ विद्वान् आए थे, रात्रि को मज्जेट कमंटी थी, सब विद्वान् उपस्थित थे और सभी उठ र कर पानी पी रहे थे, गर्भी की रात्रि थी, वहाँ भाग्य से कुछ बागीदारा (बागड़ मेवाड़) के कुछ श्रावक हुँबड़ भाई भी आगए और सबको पानी पीते देखकर उनको बहुत मंदेह होगया, क्योंकि उनके नगर में १० वर्ष का बालक भी रात्रि को पानी तक नहीं पीता, वे उन सब में शर्जन होने का मंदेह कर बढ़े, एक उपदेशक ने मनिदर में उपदेश किया। रात्रि को अल्प बाना, मांस तुल्य और जल पीना रुधिर तुल्य है, कई नर नारियों ने शक्ति प्रमाण त्याग का नियम किया, उपदेशक जी मुकाम पर आए और जिसके यहाँ ठहरे थे, उस से रात्रि ही को दूध और पानी मौग, घरधनी ने देने से हन्कार कर दिया और कहा, क्या तुम्हारा उपदेश आपों के लिए हैं ? यह ‘किया तबे अँधेरा’ या ‘परोपदेशो पारिणत्यं’ है। उपदेशकजी बोले, भाई हमको भ्रमण करना पड़ता है, हम से नहीं जिभ सकते हैं यादि । ऐसी दशा में बिचारो कि हमारे धर्म व समाज

की उच्चति कैसे हो सकेगी । कतिपय मुनि शूद्र जल त्यागवे को बहुत जोर देते हैं, परन्तु पाइप (नल) के जल का त्याग नहीं करवाते, उनके कई शिष्य आवक, प्रतिमावारी होकर भी नद का जल लेते हैं ।

तात्पर्य—यह है, कि इम समव हमारी धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था बहुत विचित्र हो रही है । हमारी मार्ग को सुधारने की जो मंस्थाएँ थीं, उन्हीं में रोग लग गया है । वे संस्थाएँ ये हैं ।

१—संघमी त्यागी वर्ग (मुख्योपदेशक)

२—विद्वान् सद्गृहस्थ (अमुख्योपदेशक)

३—उक्त दोनों प्रकार के उपदेशकों को लैयार करने वाली विद्या मंस्थाएँ ।

(१) मंस्थमी पुरुषों में सुख्य तो पूज्य मुनिराज होते हैं, उन के बाद पूलक और चुल्लक उच्छृष्ट आवक तथा लियों में आर्थिका एलिका तथा छुलिका (ये तीनों बाह्य भेष में समान ही होती हैं) हैं, सो इनका इस समय होना कठिन है, क्योंकि वर्तमान द्रव्य (शरीर संहनन शक्ति) लंब्र, काल और भाव (उपसर्ग तथा परीषह महन करने की शक्ति तथा चढ़ती हुई वीतराग परिणामि) का विचार करने से नो हनकी चर्या आगमानुसार हो नहीं सकती, क्योंकि (१) प्रथम 'तो हनकी शारीरिक शक्ति ही प्रेसी नहीं कि जिससे बहुत समय तक ये चुधा, तृष्णा, शीत, उषण, अथाचनादि, परीषहों को सह सकें, जिसके अभाव से ही साथ में नौकर रखना पड़ता है, घास (पराल) और बन्द मकानों का सहारा लेना पड़ता है । कोई कोई छोटे छोटे कपड़े के तम्बू भी साथ रखते हैं, घास के अभाव में काशाजों का प्रेस का कतरन भी काम में लेते हैं, मिगड़ी आदि से कमरे गरम किए जाते हैं इत्यादि बहुत से ग्राहक्षर और व्यय का बचाव १ लक्ष्मोटी आदर और रखाई से सहज

हो सकता है, जैनागम के अनुसार अल्पारम्भ और अल्प परिमग्न से कार्य निकल जावे, तो श्रेष्ठ है, परन्तु अल्प को त्याग कर इहुत को ग्रहण करना और गृहस्थों पर ख्रच का भार डालना तथा ब्रास पहुंचाना अनुचित है। बहुत जगह चाम नहीं मिलती शान्त, एकान्त, स्वच्छ मकान नहीं होते, ऐसे समय लोगों को बहुत ब्रास होता है और भक्ति में या लोकलाज से यह बब करते हैं या उन्हें करना पड़ता है, नौकरों का ख्रच भी उन्हें देना ही पड़ता है, जब जब जहाँ जहाँ ये उत्कृष्ट संयमी पदार्थ हैं, तब तब नहाँ तहाँ लोगों का काम धन्या छूट जाता है। उनका बहुत आरम्भ और चिन्ता बढ़ जाती है, वे प्रभु से यही प्रार्थना करते रहते हैं, कि भगवन्! सकुशल यहाँ से संयमी जनों का बिहार हो जावे तो हमारी लाज रह जावे इत्यादि। इसके सिवाय इन संयमी जनों के आहार निमित्त दूर २ से हरित फल, साक, मेवा आदि पदार्थ मनुष्य भेज भेज कर या पारम्परों द्वारा मँगाया जाता है, खास तौर से मकानों की स्वच्छना कराई जाती है, वर्तमान समय में श्रावक श्राविकाएँ क्रिया के अनुसार शुद्ध स्वान पान तो करते नहीं और न उनको जैनागम की क्रिया का ज्ञान ही होता है। अतएव उनके ग्राम में जब कोई संयमी जनों (मुनि शार्यिका, एल्लक त्रुल्लक या त्यागी ब्रह्मचारी आदि) का शुभागमन होता है, तब वे इकड़म घबराहृष्ट में पढ़ जाते हैं, अब क्या करना चाहिए, कैसे आहार होगा? इसलिए परस्पर पूछते हैं और अन्त में जो रायबुझकड़ (साथ में रहने वाले श्रावकीया नौकर) इनके साथ रहते हैं, उनका सहारा लेते हैं। तब वे खोग इनको खूब बनाते हैं, खरा खोटा कहते हैं, क्रोध बताते हैं या उदारधनी गृहस्थ देखा, तो सुशामद भी करते हैं, स्वयं उनके घर जाकर के भोजन की तैयारी करते हैं, जो भोजन इनको इष्ट हो, वही बनवाते हैं। इस प्रकार कई घरों में तैयारी होती है, फिर ये स्वयं पढ़गाहने लड़े हो जाते हैं।

इस प्रकार आहार हो जाता है, एक दो चार पाँच दिन या चौमासे भर जब तक ये उत्कृष्ट संयमी जिस नगर या प्राम में रहते हैं, खूब अहल पहल रहती है, इनके शुभागमन के समाचार पहिले से छापों में निकल जाते हैं तथा निकलते रहते हैं, इसलिए भक्ति वश दूर २ से नर नारी आते हैं, तब उन सबका प्रबन्ध भी नगर निवासियों को करना ही पड़ता है, इस तरह उनका व्यापार धन्वा एक तरह से बिलकुल ही कूट जाता है। इस प्रकार से इन महापुरुषों के आगमन का लाभ स्थानीय नर नारियों को तो बहुत ही कम मिलता है, आरम्भादिक तथा व्यय बहुत बढ़ जाता है। हम इसको काल का दोष कहें या अज्ञान का प्रभाव कहें? क्या कहें?

कि जहाँ आगमानुसार संयमी जनों के आहार विहार में किमी भी छोटे बड़े प्राणी को कुछ भी त्रास नहीं होता था, न किसी का पाई भी स्वर्च होता था, न लेश मात्र आरम्भ बढ़ता था, किन्तु इसके विपरीत लोगों को बहुत हर्ष और धर्म लाभ मिलता था, वहाँ आज उपर्युक्त परिस्थित खड़ी होगई है और इस प्रकार से इन उत्तम पुरुषों का धर्मोपदेश प्रथम तो मिलना हो दुर्लभ है और यदि मिलता है, तो बहुत महँगा पड़ता है। इस अवसर में यदि हम संयमी जनों के सम्बन्ध में कुछ दो शब्द कहें तो कुछ अत्युक्ति न होगी, लोग कहते हैं “संयमी जनों का इसमें क्या दोष? यह प्रवृत्ति व अज्ञान तो गृहस्थों का है, उन्हें मुनि के उद्देश से आरम्भादिक न करना चाहिए, तथा मुनि और श्रावकों की क्रिया चर्या आदि का ज्ञान होना चाहिए, न व्यर्थ व्यय करना चाहिए, न दिन भर काम धन्वा लोडना चाहिए, समय पर आहार दान देकर अपना व्यापारादि करना चाहिए और समय समय पर उनका उपदेशादि सुनना चाहिए, वे लोग पहिले तो

उल्टी प्रवृत्ति करते हैं और किर संयमी जनों को दोष लगाते निन्दा करते हैं, यह कहाँ का न्याय है ?

इसका उत्तर यह है, कि वास्तव में गृहस्थों की भूल है, जो वे ऐसा करते हैं ? उनको ऐसा करके उपर बताए अनुसार कर्तव्य करना चाहिए, परन्तु वे अज्ञान हैं, संयमी जनों का कर्तव्य है, कि वे उनके अज्ञान का समर्थन न करके उनको सत्य उपदेश देवें, मार्ग बतावें और अपनी ओर से कोई ऐसा दोष व कार्य न होने देवें, कि जिसमें उनकी प्रवृत्ति व अज्ञान को सहारा मिले और वह बढ़े, परन्तु यही हो रहा है, देखिये !

मुनि, गृहस्थ में ही नो मुनि हुए हैं, इसलिए उनको गृहस्थों के व्यवहार का ज्ञान नो होता ही है, मुनि हुए पहिले वे भी गृही समाज के अङ्ग थे, इसलिए समाज के आचार विचारों से भले प्रकार परिचित भी रहे हैं, वे वर्तमान द्रष्ट (अपने शरीर की संहनन शक्ति) ज्ञेत्र (वर्तमान विहार आदि का ज्ञेत्र) काल (वर्तमान की सामाजिक व धार्मिक प्रवृत्ति), और भाव (अपनी आत्मा के ज्ञान दर्शन वीर्यादि गुण नया अरने कराय जनित भावों की प्रशमता, संवेग, वैराग्य-भाव, धीरज, सहनशक्ति, परीषहों और उपमगों के आनं पर समता समतादि गुणों की भित्रता आदि भावों का अनुभवपूर्वक प्राप्तज्ञान) का ज्ञान नो रखते ही हैं, तब तो मुनि आदि संयमी हुए होंगे ।

यदि नहीं रखते अर्थात् वे इन बातों से अनभिज्ञ हैं, तो वे मुनि ही नहीं हो सकते, न एल्लक लुल्लक आर्द्धिकादि आचक हो सकते हैं, क्योंकि जो जिस पद का व्रत म्रहण करता है उसको उस पद तक का अर्थात् उसका और उसके पहिले के पदों का ज्ञान तो होना ही

चाहिए, और आगे का अभ्यास करना चाहिए, जिससे चढ़ते भाव और क्रिया रहे, जो स्वपर कल्याण का हेतु है।

यदि इतना ज्ञान है, तो वे टीका के पात्र होने योग्य आचरण नहीं कर सकते। अर्थात् (१) वे जानते हैं, कि वर्तमान काल में श्रावकों को धार्मिक क्रियाओं का ज्ञान नहीं है, न वे कम से कम अपने अपने घरों के भोजनालयों में (पाकशालाओं) में ही शुद्ध भोजन पाने के अभ्यासी हैं, यदि किमी २ छेत्र में कोई २ अपवाद रूप हैं भी, सो बहुत थोड़े (हजारों में एकादि) और वह भी पूर्ण शुद्ध व प्रासुकाहारी नहीं है, जो कुछ व्रद्धाचारी आदि श्रावक हैं, वे सब ही प्रायः गृहत्यागी हो रहे हैं, स्वयं पर घर जीमने चाले हैं, कदाचित् कोई स्वयं पाकी होंगे, सो उनका समागम सर्व क्षेत्रों में नहीं मिल सकता, जो स्वभाव से शुद्ध बनी हुई, अनुदिष्ट रसोई मिल सके, यदि त्यागी व्रद्धाचारी के निमित्त की हुई रसोई कही शुद्ध अनुदिष्ट होवे भी, तो वह एक अमुक घर में, इस लिए वहाँ ही चर्या [गोचरी] हो जावेगी, यह एक कठिन ही बात है और हुई भी नो वह भी भोजन पर-निमित्तक है, जो ४६ दोषों से पुक है, क्योंकि वह भोजन श्रावक ने अमुक त्यागी के निमित्त ही बनाया है, न कि स्वभाव से अपने लिए, कागण कि उसके स्वयं शुद्ध प्रामुक ढान पन का नियम नहीं है न सदैव उसके धाँके में शुद्ध बनता ही है, इस लिए यह भी ठीक नहीं हो सकता।

इसके सिवाय आज कल जिस जगह ये संघर्षी दधारते हैं, वहाँ कई घरों में खाश भोजन की विधि लगाई जाती है और भोजन में अनेकों प्रकार के पदार्थ लड़ा, हलुआ, खीर आदि, नाना प्रकार के शाक फल मेवादि तैयार किए जाते हैं, यह नित्य का व्यवहार है, संघर्षी

जानते हैं, कि चौके में रोटी, दाढ़, भात, शाक पूरी के साथ सेव, नाशपाती, अनार, अंगूर, संतरा आदि फल या बादाम, छुइरे, पिश्ता, दाल, काजू आदि मेवा, कभी कोई आवक नहीं खाते, इनके खाने का समय पृथक् होता है, तथा प्रत्येक गृहस्थ ये फल मेवादि मिष्ठाआदि नित्य खा भी नहीं सकते, कोई २ श्रीमान् ही भोजन से आगे पीछे खाते हैं, तब इन वस्तुओं का निरंतर प्रत्येक चौके में पाया जाना क्या इस बात को नहीं बताता कि ये खाश तौर पर संयमी जनों के लिए ही किए गए हैं, नया चदोवा, नया स्थान, सिंगड़ी आदि क्या चौके की नवीनता को नहीं बताते ? फिर भी आहार होता ही है । तब यह जानकर उद्धिष्ठ आहार लेना नहीं है ? और भी देखिए । जबकि बनेमान यंत्रों के समय में कूँआ, तालाब, नदी आदि जलाशयों का पानी, दिन में घर की हाथ की चक्की का पिसा हुआ आटा तक शहरों में मिलना कठिन होगया है, क्योंकि घरों घर नल लगे हैं और मिलों में आटा पिसने लगा है, दूसरी ओर फैशन, सुकुमारता [दिखाऊ वडपन] की भरमार है, रोटी बनाना ही जहाँ दुश्वार होगया है, वहाँ पानी भर लाने और आटे पीसने की कौन बक्सा सिर पर लेगा ! और जहाँ आटे पानी की यह बात है तो आवक के घर का विधिपूर्वक बना हुआ था, मर्याद के अनुसार निकलवाया हुआ शुद्ध दूध, दहो आदि पदार्थ, और सो भी बड़े २ दिल्ली, कानपुर जैसे शहरों में नित्य मनों की नादाद में मिलना कठिन ही नहीं, किन्तु असंभव ही है, जहाँ एक ल्यागी के रोटी में चुपड़ने का भी नोला दो तोला कठिनता से मिलता है, वहाँ नित्य मनों थी मिलजाना आश्वर्य हो समझना चाहिए, हाँ ! थी, दूध, आटा, पानी आदि शुद्ध व ताजे पदार्थ ग्रामों में अवश्य ही मिल जाते हैं, परन्तु वहाँ शाक मेवा फलादि नहीं मिलते, यह कठिनाई है, इसी से संयमी जनों का चौमासा ग्रामों में न होकर शहरों में

ही होता है, और दिनों विहार के समय ग्रामों में १-२ दिन ही रहना पड़ता है, इससे काम चलते रहते हैं, इस लिए भी शाकादि का प्रश्न हल हो जाता है।

जो भी हो, तात्पर्य इतना ही है, कि आजकल अनुदिष्ट आहार तो मिलता ही नहीं है, सब जानते हुए उद्दिष्ट आहार लेते हैं, इसके सिवाय कोई २ संयमी ऐसा नियम ले लेने हैं, कि हम दूध, आवल ही लेंगे या मट्ठा [ढांच] ही लेंगे, या फल ही लेंगे, यदि यह नियम वेतनपरिमित्यान तप के अनुसार। किया जाय और जिसकी खबर गृहस्थों को न हो, तब तो ठीक है, परन्तु गृहस्थों को संयमी जनों के साथ रहने वाले लोग कह देते हैं, महाराज असुक २ बस्तु ही लेते हैं, असुक नहीं लेते, तब यह भोजन उद्दिष्ट नहीं होता क्या ? और संयमी जनों के कहे बिना साथ वाले ही कैसे जान लेते हैं ?

इसके सिवाय जब तक ये संयमी उद्दिष्ट त्यागी छुल्लक पुन्नक मुनि आर्थिका आदि उच्च पदों पर प्रतिष्ठित नहीं हुए थे, दशमी या नीचे की प्रतिमारूप से चढ़ते परिणामों से आत्महितसाधन के मार्ग में लगे थे, तब इन एक २ का ही मार्गव्यय आदि का भार श्रावकों को उठाना चाहता था, परन्तु जब से ये उद्दिष्ट त्यागी अत्यल्पपरिग्राही (मात्र कौपीन और खण्ड वस्त्र या मात्र १ मोता हाथ की साझी) अथवा अपरिग्रही मुनी हो जाते हैं, तब से इनके साथ रहने वाले आदमियों का भोजनव्यय, मार्गव्यय, वेतनव्यय भी लोगों के सिर पर उप जाता है, क्योंकि इनके साथ विधि बताने वाला तो रहता ही है और भी एक आश्वर्य कि हिरण्य सुवर्ण आदि परिग्रह का त्याग नवमी प्रतिमा में ही जब हो जाता है, तब ग्यारहवीं प्रतिमा या

आर्थिका मुनि का तो कहना ही क्या है ? वे तो कृतकारित अनुमोदना से इनके न्यायी हैं ही, परन्तु आज कल इस नियम का पालन मात्र हतना होता है, कि शायद ये द्रव्य को हाथ से नहीं छूते पर हिसाब तो रख सकते हैं, साथ में रहने वाले लोग द्रव्य रखते हैं, जिस से रेल और मोटर आदि का भावा चुकाया जाता है और आवश्यक वस्तुएँ लाई जाती हैं, आर्थिकापै, पुल्लक, छुल्लक तो स्वतन्त्रता से रेल और मोटरों में अमरण करते ही हैं, किन्तु कोई २ मुनि भी रेलों व मोटरों में बिहार करते हैं, अब बिचारना यह है, कि ये [परिग्रहत्यागी, जब कि नम्पूर्ण अपने द्रव्य का त्याग कर चुके तो फिर रेल व मोटरों के खर्च को द्रव्य कहाँ से आता है ? आखिर तो यह भर गृहस्थों पर ही पड़ता है, पहिले तो एक का भार था, जब ये कुछ परिमित हैं और जब निष्परिग्रही हुए, तो दो २ तीन २ का भार आपहा ।

जब कि दिग्गज जैनाचार्यों ने इन महान् उच्छ्वष संयमी जनों का मार्ग ऐसा पवित्र, सरल और ध्ययरहित बताया था, कि इनके लिये किसी को न कभी पाई का खर्च होता था, न कोई आरम्भ होना था, न किसी के व्यवहार में बाधा ही आती थी, ये महान् तपस्वी परम ऋषि, योगी, पूज्य पुरुष जद कभी आहार निमित्त नगर में पधारते थे, तो आवकों के जो भोजन अपने व अपने कुटुम्बी जनों के अर्थ शुद्ध प्रासुक तैयार होता था, उसी में से कुछ भाग उनके द्वारा मनि-पूर्वक दिया हुआ आहार, याचना, दीनता या प्रसंशा रहित ले लेते थे और फिर वे वापिस नगर आहा बन, उपबनों में जाकर ध्यान करते थे, यह कैसा उत्तम और सरल मार्ग था ।

परन्तु आज नगरों के महल इनके निवास हो गए, खर्चले और उहिए आहार हो गए, नौकरों, रेल, और मोटर आदि के खर्च बढ़ गए ।

जिनके दर्शन मात्र से लोगों को शांति का अनुभव होने लगता था, आज उनके द्वारा जगह २ कलह का बीजारोपण होता जाता है, जैन, अजैन बनते जाते हैं, जिनके दर्शन से आनन्द आता था और निर्भय होकर प्राणी जहाँ रक्षा पाते थे, वहाँ आज उनके देख भय लगता है कि कहाँ महाराज नाराज न हो जाय, चले न जाय, जिनके बच्चों में अमृत था, आज उन्हों का रूप धारण करके क्रोधादि कषाय युक्त बच्चन सुनते हैं।

मुनियों तक की पीछी में पै-सल खुसी रहती है, चटाहयाँ, घास, साथ चलते हैं, इनके नाम सम्प्राप्त चलती हैं, ये उनके लिये रूपया मिजवाते हैं, उनकी चिता रखते हैं, कहाँ नक कहें! यह पवित्र मार्ग आज कितना दूषित हो रहा है? सो ये संसारी जन और विद्वान्माज स्वयं विचार करे।

बहुत से अज्ञानी भोले प्राणी कह देते हैं, हम गृहस्थों से तो ये अच्छे हैं, उनके दोष देखने का क्या अधिकार है? हम तो भेष को पूजते हैं वे कुछ भी करें, उसका फल उनको होगा, हमारी तो धर्म भावना है इत्यादि।

यह उनका विश्वास मिथ्या है, स्वपद से विलङ्घ आचरण करने वाला संयमी, असंयमी जनों से भी बुरा है, क्यों कि असंयमी नो सत्यम मार्ग की इच्छा करता है, उसका मुख ठीक दिशा में है, अपने असंयम को स्वीकार करता है, परन्तु वह नामधारी संयमी तो अधोमुख हुआ विलङ्घ आचरण करता है और आपको सन्मार्गी मानता हुआ लोगों में स्थानि लाभ पूजादि चाहता है, हम लिए वह तो अद्वा में च्युत है, वह अच्छा हो नहीं सकता। रही गुण-दोष देखने की बात

सो जैन धर्म में परीक्षा प्रधानता को ही श्रेष्ठ बताया है, यदि दोषों का विचार नहीं किया जायगा तो जैसे सच्चे निर्गमन्यों के स्थान में हम चरित्र-हीन पुरुषों को गुरु मानने लगेंगे, वैसे ही बीतराग के बदले रागी, द्वे शी देवों को भी मानने लगेंगे । एक छोटा छिद्र कभी २ बड़े बाँधों (पालों) को भी फोड़ देता है, जैसे कि हुआ भी हैं, कि निर्गमन्यों का स्थान बहु आरम्भी और परिग्राही भट्टारकों ने ले लिया, और बीतराग देव के स्थान में भूतादि च्यंतर, दिक्षपाल, चेत्रपाल आदि पुजवा दिए, धर्म के नाम पर योनि जैसे जघन्य स्थान को पुजवा दिया और न जाने क्या २ करवा दिया । अतएव गुण-दोषों का पूर्ण विचार किये दिना कभी भी गुरु नहीं मानना चाहिए, पूज्य श्री समन्तभद्रादि आचार्य नथा पं० बनारसी दामजी आदि कविवर्गों की वही परिपाटी चली आई है । वही भेषकी बात सो अचानक दिग्भव सुद्रा सुक्त किसी अपरिचित साधु का दर्शन हो और उस समय कोई दोष प्रत्यक्ष न मालूम पड़ता हो तो नमस्कार कर सकता है, परन्तु परिचय में आजाने और उनके गुण दोषों की चर्चा हो चुकने पर भी जो हठ या लज्जा या भय या कुलाचार से मदोष मुनियों को मानता जायगा, वह आगम का विरोधी अश्रद्धानी होगा, मात्र बाह्य नगता पूर्य नहीं मानी जा सकती, जब तक अंतरङ्ग से मूर्छा न निकले, कम मेरे कम बाहर में २८ मूल गुण हों और उम पदके अनुसार कपायों की मंदता हो, विषयों व विकथाओं से दूर हो, ४३ दोष ३२ अन्तराय रहित शुद्ध प्रासुक और अनुदिष्ट भोजन लेकर ध्यान स्थाध्याय में भग्न रहता हो, वही संयमी पूज्य हो सकता है, बाह्य नगत तो बालक भी रहने हैं, पशु-पश्ची रहते हैं, मात्र लंगोटी लगाने वाले व एक चाकर ओढ़ने वाले भीजादि मनुष्य भी होते हैं, जो नहाते भी नहीं, दांतन भी नहीं करते हृस्यादि, परन्तु क्या वे पूज्य हो सकते हैं ? कभी नहीं । रही यह बात वे कुछ भी करें, हमारे भावों का

इमको फढ़ मिलेगा, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि हीनाचारी को पूजना मानना अर्थात् हीनाचार को उत्तेजन देना है इससे हीनाचार बढ़ेगा ही और शुद्धाचार का लोप हो जावेगा और जैनागम के अनुसार कारित और अनुमोदना होने से पूजकों को पाप ही होगा, पुण्य नहीं हो सकता ।

इम लिपि हमारा कर्तव्य है, कि सब से पहिले संयमी संस्था को सुधार करें, इसके सुधार का उपाय यह है, कि हम वर्तमान मुनिगणों, आर्थिकाओं तथा एल्लकुलकारों में जो पढ़े लिखे विरक्तिविवेकी तथा शुद्धाचारी हों उनसे निवेदन करदें, कि वे अपने संघ में सुधार करें, जो अपढ़ होवें उनको पढ़ाने का यत्न करें, अपढ़ अविवेकी लोगों को दीच्छित न करें, जिनमें किंचित् भी हीनाचार पाया जाय उनको प्रायश्चित्त देवें, अनेक बार यत्न करने पर भी जो न अस्याम करें, और न अपने आचरण सुधारें, उनको संघ बाहर करें, बहिष्कार करें, या दीक्षा छोन लेवें और समाज को सूचना कर देवें, कि अमुक मुनि बहिष्कृत किया गया है, या मुनि पद के अयोग्य सिद्ध होने पर मुनि दीक्षा छोन ली गई है, अतएव उसे कोई मुनि आदि न मानें और समाज को भी चाहिए, कि यदि ऐसो यथार्थ आज्ञा, मुनिसङ्ग से हुई हो तो उसका पालन करे और शीघ्रातिशीघ्र इस आज्ञा का प्रचार नगर २ ग्राम २ कर देवें, ताकि ऐसे हठी भेषी, धूर्त समाज में न पुजने पावें और धर्म का अपचाद होने से सके ।

यदि मुनि संस्था, इस पर ध्यान न देवे तो समाज के विद्वानों और नेताओं को यह काम हाथ में लेना चाहिये और अयोग्य मनुष्यों को ऐसी दीक्षा देने लेने से अटकाना चाहिए, यदि दीक्षा लेने देने वाले न मानें, तो समाज में इसकी वोपणा करके ऐसे दीक्षा लेने और देने वाले दोनों का बहिष्कार करना चाहिये, तथा वर्तमान में जो अयोग्य व्यक्ति हों, उनको भी यदि न सुधरें तो मुनि चिन्ह (पीछी कर्मदलु आदि)

बजात् छीन कर गृहस्थों के वस्त्र दे देना चाहिए, जिससे साधारण जनता भेष मात्र से धोखे में न पड़े । इसके सिवाय समाज का यह भी कर्तव्य है, कि एक और जैसे वह अयोग्य व्यक्तियों को नवीन दीक्षित होने से अटकावें और प्रथम के हुए अयोग्य दीक्षितों को सुधारे तथा न सुधरने पर बहिष्कृत करे या संयमी का भेष छीन लेवे, जैसे ही दूसरी ओर सर्व साधारण जनता में संयमी जनों के सच्चे स्वरूप और उनकी यथार्थ सेवा वैयावृत्त आदि की विधि का ज्ञान करावें, तथा कम में कम प्रत्येक गृहस्थ के घर चौके (पाकशाला) में शुद्ध भोजन का प्रचार करें, यदि चेत्र काल के कारण सब जगह सभी गृहस्थों को, शुद्ध मर्यादा के अनुसार आवक के घर का धी, शुद्ध दूध, पवित्र स्वदेशी शक्कर (खांड) का बूरा, मेवा मिट्ठाक व फल शाकादि प्राप्त न हो सकें, तो चिना नहीं, वे गृहस्थ अपनी रुचि, शक्ति व चेत्र कालानुसार प्राप्त ऐसे पदार्थ स्वयं भले ही न त्याग सकें यह तो उनकी इच्छा, परन्तु संयमी जनों के लिए तो पूर्ण शुद्धता का निश्चय हेवे तभी उपयोग में लेवे, अन्यथा इन वस्तुओं के बिना, इनकी वस्तुएँ (कुएँ, नदी या बड़े नालाब, जहां का पानी पिया जाना है) मेसा पानी दुहरे स्वच्छ और गाढ़े छूओं में छानकर रसोई के काम में लेना, उसी में कुछ पानी गरम या प्रासुक कर रखना जीवानी विधि से उमी जलाशय में पहुँचा देना, वह प्रासुक जल मर्यादा के अन्दर उपयोग में ले लेना, घर की चक्की का आठा दिन के समय का पिया हुआ (वह भले गेहूँ का हो या चना, उवार, बाजरा, मका आदि किसी भी बिना खुने अनाज का हो) उपकी रोटी, बाटी, दलिया, थूली, आदि बनावें, दाल चांवलों को शोधकर दाल भात या खिचड़ी बनावें, दाल में मसाला मर्याद के अन्दर का पिसा हुआ हो या पीस कर डालदें, त हो तो बिना मसाले के ही रखें, बस ! भोजन शुद्ध होगया, चौके क

पनिहारे पर चन्द्रोंवा रखें, चौके में पवन और प्रकाश बराबर आना हो, संयमी जनों को ७ के बाद ११ बजे से पहिले या दोपहर के बाद ३ में ५ बजे तक भोजन करा देना या द्वारा प्रेक्षण काना यह काल शुद्धि हुई, अपने भाव संयमी के मन्त्रक् दर्शन ज्ञान चारित्र व तप की शुद्धि होने के हों, यह भाव शुद्धि है।

भोजन स्नान करके पवित्र अङ्गते कपड़े पहिर कर बनाया जाय और मुनि को नवधा भक्ति पूर्वक तथा अन्य संयमी जनों को उनके पद के अनुपार आदर पूर्वक देना चाहिए (मुनि के सिवाय और किसी संयमी प्रलक्षण कुलक आर्थिकादि की नवधा भक्ति या पूजा प्रदक्षिणा अष्टांग नमस्कार नहीं होना) इस प्रकार से जब गृहस्थों के घर नियंत्रण मात्रा भोजन बनने लगेगा तो उद्दिष्ट का दोष निकल जावेगा, खर्च भी कुछ न होगा और साता भोजन प्रकार वार मिलने से जिह्वा लोलुपी तो ऐसा संयम लेंगे नहीं, सच्चे विशगी जानी ही हस भार्ग में आगे बढ़ेंगे, सो इष्ट हो है। यहाँ मेरा यह आशय नहा है, कि घर में पवित्र धी, दृध, वृग्र आदि रहते हुए या पवित्र घृतादि से तैयार किया हुआ मोदकादि (मिठाल) संयमी को नहीं देना, यदि गृहस्थ ने इवयं अपने लिये ऐसा शुद्ध मिठाल बनाया है, या ये पदार्थ उसको सहज प्राप्त हैं, तो संयमी जनों को देवें, यदि उनके उसका त्याग न होगा तो ले लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे।

नवीन दीक्षा के लिए खाश नियम करना चाहिए, कि जब तक वह (दीक्षाभिलापी) कम से कम रत्नकर्णदध्मवकाचार सामारधमासृत, मूलाचार, भगवती आराधनासार, आत्मानुशासन, पं० दीक्षतराम कृत छः ढाला आदि तथा द्रव्यसंग्रह तत्त्वार्थसूत्र आदि ग्रन्थ कम से कम न पढ़ा हो, तब तक उसे उत्तम आवक मुनि आर्थिकादि की दीक्षा

कदापि न दी जाय । ऐसे ही गृह त्यागी होने वाले मध्यम व जघन्य श्रावकों को भी जब तक वे श्रावकाचार, छँडाला, द्रव्य संग्रह, तत्त्वार्थ सूत्र आदि न पढ़े हों, त्यागी होने की आज्ञा न दी जाय । वे घर में रहकर या किसी विद्यालय या शाश्वत अभ्यास में रह कर पहिले अभ्यास करें पश्चात् त्यागी बनें ।

आजकल ऐसे २ त्यागी व्रद्धचारी, पुल्कर, चुल्कर और मुनि देवों जाते हैं कि जिनको अक्षर का भी ज्ञान नहीं है । प्रतिमाओं और मूल-गुणों के नाम तक नहीं जानते, फिर भा पृथ्य पद पर प्रतिष्ठित होजाते हैं । ये दिन भर किस ध्यान में समय विताते हैं सो ये जानें और सर्वज्ञ जानें । हमको तो इतना ही अनुभव होता है कि इनका समय संमारी गृहस्थों की चर्चा में जाता है और अधिक न्या कहें ? क्योंकि कहा है कि —

“ काव्य शास्त्र के अर्थ में पढ़ित रहें खुशाल ।

विकथा और प्रमाद में मूरख बितवें काल ॥ ”

इसके निवाय यदि कदाचित् कोई मन्दकषार्या मंयमी कुछ एकांत में अलग बठकर अभ्यास करता हो, तो दर्शन वाले भक्तजन नहीं करने देते, जब २ में भुला देने हैं । इसके निवाय कोई तो श्रावकों को जसेक देने के व्यापार में लगे रहते हैं कोई दशा-बीसा का भगड़ा लिये हैं, कोई गांधी टोपी व खाड़ी के विरोधी हो गए हैं, कोई बड़साजन, लोहड़साजन के भगड़े में लगे हैं, कोई किसी संस्था के माह में फँस रहे हैं, वहां चढ़ा करा २ कर भिजवाते हैं, इत्यादि व्यापारों में मग्न रहते हैं, क्योंकि ज्ञानाभ्यास बिना तत्त्वचर्चा में तो रम नहीं सकते और दूसरा कार्य नहीं, तब दिन तो किसी प्रकार पूरा करना चाहिये ।

मैंने स्वयं इन उत्तम संयमी जनों के समानाम में कुछ समय रह कर देखा तां उलटी मेरी सामायिक स्वाध्याय में बाधा पड़ने लगी । लोग नवेरे से रात तक घेरे रहते हैं । इसके बिवाय कोई भोजन की बातें करता है, कोई खाच २ कर चौके देखने के । जिये २ फिरता है । लाचार हो सुमेरे यही बिचार आया कि इसमें यही अच्छा है कि किन्हीं विद्वानों के निकट, जो मदुचारी श्रगुवनी हों, रहना अच्छा है । वहाँ कम से कम भीड़ तो न होगी । शांति में सामायिक स्वाध्याय तो होगा । कुछ पृथक हुआ तो पृथक लिया, सीख लिया और दैवयोग से ऐसा संयोग न बनें तो ग्रामों में रहकर श्रीमप्रातःस्मरणीय कुन्दकुन्दादि आचार्यों का ध्यान करना, उनके बच्चों को पढ़ना, भ्मरण करते रहना, इसी में हित है और ऐसा ही करने के प्रयत्न में रहना है ।

उत्तम संयमी जनों के विषय में कुछ कह कर अब सध्यम व जघन्य संयमी जनों के सम्बन्ध में कुछ कह देना अनुचित न होगा ।

यह तो ऊपर कह चुका हूँ कि जब द्रव्य के ल्यारी मुनि, पुल्लक, त्रुल्लक, आर्थिकादि ही रेल मोटरों में अभ्यास करते हैं तो उन से नीचे वाले श्रावक भ्रमण वरे इसमें आश्रय ही क्या है ? वे जब नगर, देश देखने या तीर्थ यात्रा करने को इच्छा की नहीं राक सकते और वह भी दिनों के बदले मिनटों में, महिनों के बदले दिनों में करना चाहते हैं और अपना नथा अपने सार्थियों के खर्च का सारा भार गृहस्थों पर ढालते हैं, तां ये नीचे वाले उनका अनुकरण करने से क्यों चित रहे ? ये आठवीं प्रतिमा तक तो स्वयं द्रव्य रख सकते हैं, आगे अपने किसी सम्बन्धी या आजाकारी नीकर रख लेते हैं और फिर गृहस्थों के माथे लम्बी २ मुमालिरी (यात्रा) करते हैं । प्रत्येक स्थान से जाने टिकिट का दाम मांगते हैं, और पूरा या अधूरा

मिल जाने पर किर पास वाले स्टेशन पर उतर जाते हैं फिर वहाँ से भी पूरा मांगते हैं, इस प्रकार व्यापार सा बन गया है। पैटल चलने के स्थानों में तो जाते नहीं, क्योंकि वहाँ मवारी की कठिनाई होती है, रास्ता खराब, जङ्गली, पहाड़ी, रेनीला, ऊँचा, नीचा इसके मिवाय रुपया नक़द चन्दा वहाँ कम मिलता है। शुद्ध अनाज, घी, दध के मिवाय फल, गाक, मेवा नहीं मिलता, इसलिये जाते नहीं और उपदेश करना आता नहीं, क्योंकि पढ़े नहीं, इससे लोगों पर प्रभाव पड़ता नहीं, शहर घूमने की लालवा घटनी नहीं, तब और क्या करें ? अधिकतर भोली स्त्री ममाज से इनका कार्य बन जाता है। अनेक से मौजी हैं जिनको पृथक तीर्थ की यात्रा अनेको बार हो चुकी है, फिर भी तीर्थ यात्रा का योह बना ही रहता है। वहाँ रहने पर भी यही भावना रहती है, कि कोहै भोजन को व्यवस्था कर देवे, याँसे जाने के वर्चे का प्रबन्ध कर देवे, तो ठीक है। वर्षभान के स्थान में उदार दातार यात्रियों का ध्यान विशेष रहता है। अन्य २ जगह अन्य २ दातारों का और वहाँ जो दे देवे उसका गुणगान करते हैं। त्यागी होकर भी सापेक्ष होने से श्रीमानों की सेवा सुश्रूपा में ही बहुत समय जाता है। लोगों में प्रभाव डालने को कभी २ शक्ति से बाहर उपचामादि करते हैं और गृह स्थों को दबाव डालकर द्रव्य तो लेते ही हैं, परन्तु कहीं २ बलात् अनुचित प्रतिज्ञायें भी दिला देते हैं, जिनको गृहस्थ पालन नहीं कर सकता, सो या तो प्रतिज्ञा तोड़ देता है, या अंत रौद्र भावों से उयों न्यों निर्बाह करता है। शुद्धजल त्याग और ब्रह्मचर्य व्रत के विषय में तो स्वाम बातें हैं। मैंने अनेकों गृहस्थों को शुद्धजल त्याग की प्रतिज्ञा भङ्ग करते देखा है, वे कहते हैं, क्या करें लेना पड़ता है, परन्तु हमारा चल नहीं सकता, ब्रह्मचर्य व्रत में भी यही बात है कि वर में तो तरुण स्त्री,

दूसरे या तीसरे लग्न की है और उसके पति को वृग्नवर्य दिला देने हैं, इससे स्त्री की कषाय न घटने से धर में निरन्तर कलह रहता है। वर नवक्वास बन जाता है। ऐसे दृष्टांत हाल सौजन्द हैं, कोहै तो तोड़ बैठे और कोई कलह में पड़े हैं, कि कर्तव्य चिमूढ़ हो रहे हैं, एक और कलह का दुख, दूसरं प्रतिज्ञा भङ्ग का डर, ऐसे दृष्टन्द में पड़े हैं। इसके सिवाय और उपदेश अधिकतर कन्द मूल न्याय, हरी का त्याग, कण्ठा (छाणा) यापने का त्याग, कंडे जलाने और गोबर से कीपने का त्याग आदि अधिक करते हैं, परन्तु स्थूलत्याग करने, शास्त्र सुनने, कम से कम एक यार भी एकांत में बैठकर आश्रम स्वरूप के बिचार करने तथा अपने दोपों का बिचार करके त्याग करने व मामायिक प्रतिक्रमण का स्वरूप समझाकर उसका नियम कराने का कष्ट नहीं लेते, या व्यथम ही मिथ्यात्व का स्वरूप बताकर, उसे छुड़ाने का यत्न या सम्भव्यसन व उनके सरदार जुआ, सट्टा का याय कराने (जिससे देश पायमाल हो गहा है) का यत्न व हिंसादि पापों का स्वरूप बताकर देशत्याग (स्थूलत्याग) आदि कराने का यत्न करते कम देखे जाते हैं। नहीं कहें तो भी ठीक हैं। शूद्र जल त्याग के साथ नल के जल का अंग्रजी द्वारा का, मट्टे वर्गेश का त्याग नहीं कराया जाता। एकभूक व उपवास का नियम तो कराने हैं, परन्तु उस दिन व्यहारम्भ छाड़ कर, धर्मस्थान में ही काल बिनाने का नियम भी कराते हैं? यत्न त्याग करते हैं, परन्तु उसके बदले बहुत आश्रम न बढ़ाने का भी मार्ग बताने हैं? जैसे अमुक दिन घो न खाना, तब क्या खीर, पेड़ा, कलाकन्द, बताकर खाना? नमक के बदले मिष्ठान, पकवान बनाना, मीठा (गुड़, खांड) के बदले दाढ़, छुदारे आदि हँड़ते फिरना, इसने महज साध्य भौजन जो कम आरम्भ से होना था छूट कर कठिनाई से होने वाला, बहु-

चारथ बनक, बहुत सर्वोत्तम अधिक स्वानिष्ट पुष्ट. गणिष्ट, जो नित्य से भी अधिक व्याया जाय, बन गया और इन्द्रिय संयम तथा उनोटर का अभिप्राय कुछ भी नहीं सधा । कोई वी छोड़ते हैं, परन्तु बादाम या जौपरे का सेल निकलवाते किरते हैं, यह क्या है ? मार्ग नो यह है कि निष्ठ जो रस रहज प्राप्त हों उनमें से अमुक रस नहीं खाना, उसके बिना शेष से काम चला लेना, न कि बढ़ले में अधिक मूल्यवान मदादिष्ट रस हैंना । ऐसे ही कोई अनाज जो सब जगह सहज साध्य है, न्यायकर दृभ मेना, फल, शाकादि स्वाने का नियम करते हैं, जिसमें गुहम्थों को बहुत ब्राम होता है क्योंकि ये पदार्थ सब जगह नहीं मिलते और बहुत द्रव्य साध्य हैं, कजानी लोग ऐसे त्याग की त्याग मान देते हैं । यह महंनता बढ़ाने के माध्यम है । माल ना भोजन से उठाना और तप त्याग का सहन्व कायम रखना । उसी प्रकार बनिष्ठ न्यायी, व्रद्धचारी, गुडस्थों से कह द कर अमुक २ पदार्थ बनवाते हैं, उनको सादा खूब नहीं रुचता, वे लो । यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि मादा भोजन करने वाले की लोगों के सामने टीका लगता है, जिसका असर यह होता है कि या नो गुडम्थ आगे का त्यागी जनों को भोजन करने से डर जाते हैं, या इच्छा और शक्ति के निम्न भोजन नो कर देते हैं, परन्तु पीठ पीछे नाना प्रकार की अन्तङ्कार युक्त टीका करते हैं ।

बहुत से न्यायी स्वयम्भी अपनी भक्ति अपने पद से अधिक करते हैं, जैसे कुललक एवं लक आयिकादि नववा भक्ति करकर ही आहार लेते हैं, केवल व्रद्धचारी नमोस्तु कहलाकर अष्टांग नमस्कार करते हैं । कहीं २ श्रावकगण न्यायिथों को बहुत ऊँचा सम्मान करके चढ़ा देते हैं और कहीं २ वात भी नहीं पूछते । फल यह होता है कि "गेहूं के साथ घुन भी पिय जाता है" अर्थात् भेषणी जनों के कारण,

सचे त्यागियों के लाभ से भी विचित रह जाते हैं । कहीं २ एक २ त्यागी के भोजन के लिये हतना आरम्भ किया जाता है कि उम्रकी तैयारी में कहीं २ आदती लगते हैं और बहुत अमर लगाते हैं, अनेकों पदार्थ तैयार करने हैं और कहीं मादा दाढ़, भान, रोटी, खिचड़ी आदि का भी प्रबन्ध नहीं होता ।

और भी एक बात जो आज चल पर्ती है, वह है मुनि आदि उन्कुष्ट मयमियों के कंशलोच्च की, अर्थात् कई दिवस पहिले से ये मयमी जन अपने केशलोच्च करने की मूलना गृहमयों को कर देते हैं । तिथि काल और स्थान भी निश्चित कर देते हैं, दमलिंग रुग्णार्तीय पत्र ये समाचार सर्वत्र पढ़ूँचा देते हैं और भल्कु जनता उपस्थित हो जाती है । तब तिथि ध्यान और निथि पर ये मयमी उसायत पर बैठकर, कोहीं २ स्वयं अपने हाथ में और कोहीं २ दमरों की महायता से, रास्त (भस्मी) लगाकर केशा पारन करते हैं, जनता द्वादशानु-प्रेतादि पाठ पढ़ते हैं ऐसी रूपि थोड़े मयमय से प्रारम्भ होते हैं, अपने सब से उन्कुष्ट श्रावक एवं वनवासी प्रत्यक्ष पक्षालाली ने व्यानर, अन्नमेरा बम्बई आदि मयमी में प्रभावण जनता के समझ केन्द्रोंच दरना प्रारम्भ किया और उस मयमय उनका प्रान्तों में यह कार्य जनता के सामने पहिले पहिले आया । अतएव उसने दम पृथा का अनुमोदन किया और दानाडि करके इनके नाम से आंघोद्यालय, पाटणालाप, आदि नंगाहों भी खोलड़ी । वह ! उनके बाद होने वाले, मुनि पत्तल, चुक्कलक आयिंकाडि मयमी जनों ने इस पृथा को अपना लिया, जिन्होंने ने इस पृथा को प्रभावनीय का रूप दे दिया और अब यह पृथा जीर्णों से खल गई है । दमके विस्तृ बोलने वाले बावृ पर्ती के घर्म अस्त्र, प्रभावनीय के बाष्पक मुनिजनों के द्वाक आदि अनेक प्रकार के पदों से विभूषित (अपमानित

किये जाते हैं। जो हो, परन्तु आज तक 'कम्ही' संयमी जनों ने या विद्वानों ने पूर्व श्रीकृष्णकृष्णादि आचार्यों के बाबत नहीं बताय, कि असुक प्रामाणिक सर्व मान्य प्राचीन ऋषियों कृत ग्रन्थों में असुक र गायाएँ, श्लोक, केशलोच करने की विविधेयी ही बताते हैं, कि पहिले में प्रगट करके अथवा वर्व साधारण जनता के समझ बेठ करके केशलोच करना, तैया आज कल हो रहा है, तथा इसे प्रभावनाति का लक्षण भी कोई शृणि कहते हैं तथा आदित्यपुराण (जिन मनाचार्य कृत जो सर्व मान्य हैं) अथवा हिंगंग, पश्चपुराणादि में कोई दृष्टिंत युक्त आए हैं येमी व्ययों मिलती हैं कि असुक तीर्थकर के नाम में असुक र मूलि आदि संयमी ऐसे ही सर्व साधारण जनता के समझ बेठकर केशलोच करने वे आर उसमें प्रभावित होकर अनेकों नव्य प्राची लुनि तथा आवक व व्रतों का धारणा कर लेने थे, असेक श्रविन, औरधर्मी इन जाने थे, एक समय में पाराङ्गत गणेशप्रसादजी वर्णी सहाराज और कठ दृमर मददगृहमध्ये के सम्मुख एक मूलि सहाराज ने कहा था कि तीर्थका भगवान् जब दीक्षा लेने थे, तब एपलकी में उनर कर वस्त्राभ्यास के लिया कर देने थे और विद्वां का नमस्कर करके गायी ही दीक्षित होजाने थे, उस समय उत्तमित द्वय देविय व नर नारियों के समझ र सुष्ठि केशलोच करने थे, जिनको इन्द्र र वैष्णवी म स्वकर और सामार में लेरन करता था, इमर्जिय यह सब के सम्मुख हुया कि नहीं ? इसमें उन्होंने पिछ करना चाहा, कि पश्चिम में केशलोच करना विविधेयक ही है, तथा यह भी विद्व करना चाहा कि विना गृह क भी दीक्षा धारण हो-सकती है, वयोकि व नव्य विना गृह के मुनिदीक्षित अपने आप कुलत्वकभेष (यह भी स्वयं लिया था ; लोड कर हो गय थे) ।

परन्तु त्रय विद्वद्य वर्णी जी ने कहा कि वे तीर्थकर थे, स्वपंभू

थे, उनका कोई गुरु नहीं हो सकता, वे स्वयं जगद्गुरु होते हैं, हस्तिये अपने से बड़े सिद्ध (शुद्धामा) को आदर्श गुरु मानकर सभ्य दीक्षित होते हैं, परन्तु आगम भी आज्ञा अन्य प्राणियों के लिये ऐसी नहीं है, उनको तो उस समय के प्रतिष्ठित पृष्ठर आचार्यों के पाप जाकर ही दीक्षा लेना पड़ती है और आचार्य महाराज सुपात्र देखका उसकी भले प्रभार परोक्षा करके द्रव्य, दंत्र, कलंज और भावो का विचार करके उसके आनंदहितमिद्धि के अर्थ दीक्षा देने थे, न कि शिष्यों की गणना यदाने के लिये । तथा वह उनका नय—कल्याणक का समय था, हस्तिये उस समय केशलोच करना उचित ही था, परन्तु उस समय के पश्चात् अपना कुशस्थ अवस्था में उन्होंने अनेकों द्वार केशलोच किया, किन्तु उसकी मूर्चना उन्होंने या हृष्ट्र ने आवधि से जान २ कर किसी को दी थी और हमीं तिथि से उनका केशलोच होता रहा इसका भी प्रमाण कहा आपने क्या है ? यदि देखा है तो कृपया बनलाइय, मैं भी उसे पढ़कर अपनी भूल सुधार नूँ हृत्यादि ।

परन्तु उत्तर नदारद । बाद में बोले अस्त्र । इस समय नो जा कह दिया मां करुणा, परन्तु भविष्य में पैदा नहीं कर्या, समय होने पर बिना जाहिर किये पुकान्त में ही कर दिया कर्या । यह प्रतिज्ञा बचन रूप ही रही, परन्तु पालन नहीं दृष्टा । कोडे २ सुनियों के केशलोच करन, उपादित केश मेलने, उन्डे दिया महाराज में में जेपने, पाली नदी देने, कमंडल नया दून नदीन शास्त्र भेट करने की बोलियां भी बाली जाना हैं और उपर्ये उपर्ये द्रव्य द्रव्य द्रव्यमां की आजानुसार असुक समया में दिया जाता है । समझ है यहूँ मा विधि प्रभावनां । की बोध नवीकर करली गई है ।

यह जाहिर केशलोच की पृथा लगभग ३० वर्ष में बढ़ी है,

इसके पहिले कभी देखने सुनने में नहीं आई। यद्यपि दक्षिण केनेरा (कण्ठाटक) प्रांत की ओर प्रायः मुनि होते आये हैं, परन्तु कभी समाचार विहित नहीं हुए कि असुक मुनि ने असुक दिन, अमुक चार में जगमग इतने नर नारियों के समझ केशलोच विया । इससे स्पष्ट होता है कि यह कार्य (केशलोच) मुनि आदि सथमीजनों का उनके २८ गुणों में से एक मूलगुण है, जिसका उनको अन्यान्य मूल गुणों के समान पालन करना चाहिये और जिसे अन्य मूल गुण द्वितीय पालन नहीं किये जाने, उसी प्रकार इसके भा द्वितीये की जस्तर नहीं है । समय आने पर किसी भी एकात चत्र में, बन उपवन आदि में बिना किसी की सहायता के इवयं अपन हाथों से स्थम-साधनार्थ कर लेना चाहिये, केशलोच के हेतु मूलाचार आदि ग्रन्थों में इस प्रकार बताए हैं, अर्थात्—

केशलोच करने से (१) जीवों की उत्पत्ति नहीं होने पाती, जिसमें स्थम की रक्षा होती है, यदि उस्तरादि से करे या करावे तो या तो उस्तरादि साथ रक्षना पड़ेगी, जिसमें परिग्रह बढ़ जायगा, या किसी से याचना व दीनना करना पड़ेगी, जो मुनि धर्म के विरुद्ध है । इसलिये [२] अयाचीक वृत्ति का पालन होता है [३] परिग्रह-परिहार ब्रत में अपवाद नहीं आता है । [४] शरीर से रागादि भावों का निराकरण होता है [५] अहृष्ट तथात्वों का पालन होता है, इत्यादि ।

अब बिचारना यह है, कि पूर्व ऋषि मुनियों का मार्ग श्रेष्ठ भावा जाय या बनेमान पद्धनि का ? एक बार लेखक ने मुनि अनन्तसागरजी [जो एकान्त में ही केशलोच करने थे और किसी प्रकार का चन्दा किसी संस्था के लिये नहीं कराते थे, व कभी किसी को किसी से

कुछ दिलाते थे । प्रश्न में दान का उपदेशमात्र कभी कर देते थे, जिनका देहावसान इन्दौर में हुआ है] से पूछा कि आपने केशलोच कर लिया, परन्तु आवकों को स्वबर भी नहीं मिली, तो उत्तर मिला कि यह तो हमारा मूल गुण है, जिसका पालन हमको आगम के अनुसार करना कर्तव्य है, इसमें कहने और दिखाने की क्या जरूरत, ऐसे हम कौन २ मूल गुण दिखा २ कर पालेंगे ।

प्रश्न—एकांत में केशलोच करने में यदि कोई ऐसी शक्ति करें, कि कुछ दवा का या शस्त्र का प्रयोग कर लिया होगा तो ?

उत्तर—शक्ति तो और भी मूलगुणों में कर सकता है, तब ऐसी प्रतीति किस २ की कगते फिरेंगे । इसके सिवाय उसकी शक्ति से सुनि को तो कुछ भी हानि होती नहीं, सुनि को तो रथाति, बाभ, पूजा, सत्कारादि की चाह होती नहीं, इसलिये वह चाहे जो वहें या मानते ।

प्रश्न—और वर्तमान काल्पनि सुनि आदि संयमा तो यर्व माधारण जनता के समझ ही केशलोच करते हैं, तो वे क्यों करते हैं ?

उत्तर—इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, उनका भाव वे ही बता सकते हैं ।

प्रश्न—हमने सुना है, कि इस प्रकार जाहिर केशलोच करने से जिन-धर्म की प्रभावना होती है ?

उत्तर—प्रभावना तो सुनिराजों के आपमानुषार उत्तम तर यंथम और उनकी आग्मा के विशुद्ध भावों से दिए गये तत्त्वोपदेशमें होती है, जि कि केशलोच दिखाने से । यदि केशलोच दिखाने से ही प्रभावना होती, तो प्राचीन ऋषि-सुनि भी ऐसा ही करते और आगम ग्रन्थों में इस की विधि तथा वृत्तांत भी मिलते, परन्तु ऐसा नहीं है, इसके सिवाय उप-वेशादि गोंदे हो जाते, परन्तु इस किया के देखने से वृत्तिशुल्कदायित् ही

कोई प्रभावित हुवा व होता होगा । इमलिये प्रभावनांगाभिलाषी उदार-
चरित पुरुषों को चाहिये कि वे अपने नप और संयम की आगमानुमार
शुद्धि करने हुए, निरंतर तत्त्वज्ञान बढ़ाने रहें, जैसा पृथिवीपादस्वामी ने
कहा है—

“तदद्वयान् नव्यशन्प्रच्छेत् नदिस्त्रेत् तत्परो भवेत् ।
येताविशामयं रूपं त्यक्त वा विद्यामयं व्रजेत् ॥”

अर्थात्—वही(तत्त्वचर्चा) वहं, वही पृथ्वे, उमीं की इच्छा वहे, उसीमय
होजावे, जिसमें अविशाइ है रूप को छोड़ वर विदा [ज्ञान] हो जावे,
क्योंकि आमहिनैषी मुनिज्ञनों को वही कार्य बनाए गए हैं यथा—

ज्ञानाभ्यामः सदा कार्यो भ्याने चाभ्ययने तथा ।
तपस्मो रक्षण चेव यदीच्छेदित्तमा मनः ॥

अर्थात्—यदि आमहित करने की इच्छा है तो सदा ज्ञान ध्यान
आभ्ययन का आभ्याम करने रहो और तप की रक्षा करने रहो, जिसमें
आत्मामेरे मोह व राग हैं य जीव होते जायं और विशुद्धि बढ़ती जाय इसमें
उद्यो २ आत्मा विशुद्ध और ज्ञानी होता जायगा, ज्यों २ लोगों पर उसके
उपरेक्षों का तो प्रभाव रहेगा ही, किन्तु उसकी मुद्रा भी प्रभाव डाल
सकती, यह जिनेन्द्रियों की वीतराग मुद्रा है, इसमें अधिक प्रभावक और
कोई मुद्रा संमार में नहीं है, यदि यह ज्ञान, ध्यान, वैगमय, संयम तप
संयुक्त हो तो, इसलिए इसको बाह्य कोई आडवर (चमकार) दिखाने
की ज़रूरत नहीं है । बास्तव में वही धर्म प्रभावना कर सकता है जिसने
स्वामी को ज्ञान, ध्यान, तप आदि से प्रभावक(निर्मल) बना लिया हो,
बाह्य आडवर में कदाचित् कोई अज्ञानी मोहित हो सकता है, परन्तु वह
धर्म तत्त्व के मर्म को पाकर प्रसन्न नहीं होता और तत्त्वज्ञान गमित

उपदेश से अच्छे २ विद्वान् प्रभावित होकर जैनधर्ममात्र स्वीकार ही नहीं करते, किन्तु जैन धर्म के मर्यादे प्रबल रक हो जाते हैं, देखो पात्र-कैशारी ब्राह्मण २०० शिष्यों सहित पूज्य श्री समंतभद्राचार्यकृत देवागम स्तोत्र का पाठ सुनकर स्याद्वाद में शङ्कित होगये और श्री पाश्वनाथ के दर्शन करके उयोंही स्याद्वाद का स्वरूप समझे, यों ही सब शिष्यों सहित देवम्भरी दीक्षा प्रदण करती, इसका नाम प्रभावना है अकलंशाचार्य ने बौद्धाचार्यों से बाद कर २ के जैन धर्म की वज्ञा फहराई थी, इसी प्रकार अपने उपसंयम और ज्ञान के प्रभाव से पूर्व अचियों ने खूब ही धर्म प्रभावना की थी। इसलिये धर्मप्रभावना का साधन ज्ञान, ध्यान, तप संयम को समझो, केशलोच धर्म प्रभावना का हेतु नहीं है, इत्यादि ।

महाराज के इस उपदेश से मवको बहुत आनन्द हुआ और मनी सन्देहरहित हुए। अब मात्र यहां प्रसन यह रह जाता है कि वर्तमान पद्धति का जाहिरा केशलोच यदि आगम अनुसार है तो आज्ञा दिलाना चाहिये, सर्वमात्र अचियों के वाक्य, सूत्र, गाथा, इत्योंक, मय प्रन्थ अध्याय और श्लोकसंख्या के प्रणाल करना चाहिये। और इष्टान्त मी पंथ करना चाहिये, ताकि बातविवाद मिटकर एकमन होजाय। यदि यह आगम से प्रमाणित नहीं है, तो इस पद्धति को बदल कर पूर्व रूप में खाना चाहिए, वयोंकि यहां युक्ति का काये नहीं है, यह चरणानुयाय का विषय है इसमें आज्ञा ही प्रधान होती है, यदि इसे युक्ति से ऐसा मिल करने की या देश काल का महारा लेकर मुधार की बात की जायगी, तो फिर युक्ति नथा देश काल के आवित्र और भी सुन्नार होने लगेंगे और तब वह दिगम्बर मुद्रा ही लुप्त हो जायगी। इसका भी ध्यान रखना चाहिए ।

मेरी राय में उद्दिष्ट्याग संयम स्वीकार करने से पूर्वे उसके बग्मेदवार सुमुख जनों का प्राम २ नगर २ फिर कर उपदेश करना चाहिये, जिसमें गृहस्थतन आवकधर्म व क्रियाओं का समझने लगें, उनको शुद्ध प्राप्ति भोजन-पान की विधि और मर्यादा सिखाना चाहिए, इसोईघर हवादार प्रकाशवान् ठीक करवाना चाहिये, पाकशाला, भोजनशाला, पनिशाला आदि स्थानों में चंदेवा बंधवाना और सूर्योदय से लेकर सूर्योरत के पहिले २ भोजनपान मासमधी तैयार करने, कूटने, खोदने, रासने, दखने, दूध निकालने, तपाने, दही जमाने, धी निकालने, तपाने, पानी गरम करने आदि क्रियाओं की शिक्षा देना चाहिए। स्नान करके शुद्ध भुले हुए बस्त्र पहिन कर भोजन बनाना और मर्याद के भीतर यदि अनियि मिले तो उनको जिमाकर अपने परिवार महिला जीम लेना, रात्रि में न खाना, कम से कम घरके छोके में शुद्ध ही बनाना नथा सुनि को नवधा भक्ति पूर्वक और शेष उद्दिष्ट त्यागी संयमी (भिषुओं) को, अथवा अन्य त्यागी आवकों का यथायोग्य बद्धनादि साकार पूर्वक भोजन देना सिखाना चाहिये, इस प्रकार पहिले कम से कम सौ-पौन सौ प्राम-नगरों में हम प्रकार चोक्र नियार करना चाहिए, तब उद्दिष्ट त्याग व्रत लेना चाहिए और व्रत क्षिप्र बाद उमी चोक्र में जहाँ आवकों की ऐसी सुधरी हुई किया होगा है, विहार करते रहना चाहिए और उयों उयों परस्पर के संयमी से हम नरह छोकों की शुद्ध बढ़नी जाय त्यों त्यों विहार का चोक्र बढ़ना चाहिए, सभी उद्दिष्ट्यागियों को ही नहीं, किन्तु परिग्रह त्याग (नवशी) प्रतिमा में ही संयमी जनों को सब प्रकार की सवारी का त्याग कर देना चाहिए और अपने पद व शक्ति के अनुसार ऐक्स की विहार करना चाहिये, उनको लड़वी जग्जी यात्राओं को शीघ्र पार करने और बस्त्रह सूत, दिल्ली आदि वह २ नगरों को

देखने का मोह बिलकुल न रहना चाहिये, मात्र यदि ये नगर उनकी पैदल यात्रा में आजांय तो बहुत शीघ्र उनमें से निकल जाना चाहिये और अपना बहुत समय ग्रामों में ही विहार व स्थिति करके बिनाना चाहिये, क्योंकि वहाँ का जल-वायु स्वास्थ्यप्रद शुद्ध होता है, भोज्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, क्योंकि वे वहाँ पैदा होते हैं और वहाँ के नर नारी स्वर्ण अपने हाथ से पानी भरते, कृटने, पीसते, भोजन बनाने, बासन मांजते हैं, इसलिये वहाँ स्वभाव से शुद्ध ग्राम्यक अनुदिष्ट भोजन मिल सकता है, यदि कुछ अज्ञानतनित दोष कहीं हैं तो महज उपदेश से दूर हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ के निवासी संरक्ष प्रकृति के होते हैं, इस लिए उन पर उपदेश का प्रभाव पड़ता है इस के भिन्नाय उनमें सादगी पाई जाती है, उनका रहन सहन सादा, पहिरना होना सादा, बोलचाल सादा, सुराक सादा, जो देखो जहाँ देखो, सब सादा ही सादा, वहाँ बनावट सजावट व फैशन का भूत नहीं मिलता, क्योंकि बनावट तो नगरों (गहरों) में नथा कुछ कुछ शहरों के निकटवर्ती ग्रामों में मिलती है। बास्तव में वहाँ ग्रामों में १ सोहक कारणों की कमी होने से संयमी जर्नों के योग्य उत्तमोत्तम लेन्ड-ग्राम ही हैं। इन ग्रामों के पास पास प्रायः नीन २ चार २ कोम की दूरी पर होने से विहार में बाधा नहीं आती। स्वाधीनता में ये परिग्रही ग्रामी संयमी जब चाहें विहार कर सकते हैं, कोई सकावट नहीं, न राष्ट्र की रकावट और परिग्रह ढोने की चिता, उठे और चल दिए, पहिले ये जाहिर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि न मजूर बोका ढोने को चाहिए, न ऐसे का बन्दो-बस्त करना है न पौत्र पुत्रवाना है, न स्वागत करना है, क्योंकि न सो पास में परिग्रह है न रन्धना ही है, न मार्ग में लुटने का डर है, यदि सौफ़ होगाहूँ, विहार का समय न रहा तो जहाँ पहुँचे, वहाँ भाइ के नीचे, मैदान में, गुफा में शून्य मंडहरों में कहीं भी रात्रि बिताई,

फिर चल दिये । अहाड़ा ! कैसी स्वाधीनता !! कैसी प्रभावक वृत्ति !!! कैसा साम्यभाव ! कैसा धैर्य !! कैसी सहनशीलता !!! धन्य है वे महात्मा जो अध्यात्मज्ञानपूर्वक ऐसी लिपुहचर्या करते हैं, स्वपरप्रभावना का उत्तमोत्तम हेतु है ऐसे विहार में सभी छोटे बड़े ग्राम नगर आयेगे, ध्यान के योग्य, वैराग्य के हेतु बन उपबन, पर्वत, जंगल वीथियाँ, सर मरिता आदि में होकर विहार होगा । वहाँ के निवासी और बटोहियों को हन महात्माओं का उपदेश मिलेगा, जैसा पूर्व काल में होता था और वर्तमान में खेताब्बर रथानक वासी माधुओं तथा कनिपय वैष्णव माधुओं द्वारा अभी भी होता है । वामनव में यही माधुमार्ग है, जो आज भी सुल्ला है और सुल्ला रहेगा । जो निष्प्रियह हैं उनके लिये यह मार्ग कभी बन्द हो दी नहीं सकता । चोरों का ढर परिग्रही को होता है, परिग्रही पराधीन होता है, उसे साथ चाकी पहग, सवारी नींदर मनुर सब चाहिये, मार्ग सुचित चाहिए, परन्तु परिग्रहरहित महात्माओं को क्या ? जहाँ से चब दिए, वही मार्ग, जहाँ पहुँच गए, वही मुकाम, जब पहुँचे वही मुद्दन, जो शुद्ध पदार्थ महज प्राप्त होगा वही भीजन उनको महल ममशान, कांच-कंचन, शशि मिश्र, पुजारी अविनयी, सुख दुख, सब समान हैं, उनकी इन शान्तता का प्रभाव कृ बन-पशुओं पर भी पह जाता है, वे उन्हें बापा नहीं पहुँचाते और यदि तीव्र कर्म के उदय से नर, पशु, देव व अनेतनकृत उपदर्शी आभी जावे, या परीपह उपस्थित हों जानें सो पर वीर योद्धा को भाँति सामना (सहन) करता है, उन पर विजय प्राप्त करता है, क्यों कि उसके भेदविज्ञान (मग्यार्दर्शन) के प्रभाव से यह ए निश्चय है, कि यह सब जो हो रहा है, वह जब (पुद्गल) पर हो रहा है मैं तो इसका देखने जानें बाला हूँ, यदि यह शरीर आयगा, तो दूसरा नवा इससे भी अच्छा मिलेगा, इसकिये इसकी चिंता क्या ? जब तक शरीर है

तब तक यह उपाधि है, इसलिये अपने आनंदवल से ऐसा उपाय कर्त्ता, जिससे शरीर किर न धारण करना पड़े और शरीर का कोरण कर्म भी नष्ट हो जाय, हृयादि भावना भाना है, मंसार शरीर भोगों को अनित्य जान कर आनंद स्वरूप में लीन होता है इस प्रकार विचार करता हुआ सहन कर लेता है और उपसर्ग करने वाले सूर नर पशु आदि पर भी प्रभाव डाल कर उनको अपना भक्त अर्थात् धर्मभावना लेना है वे भी इस प्रकार कल्याण के मार्ग में बग जाने हैं, परन्तु यह बात तत्त्वज्ञानी, सच्चे वैरागियों व तपश्चित्यों में ही होती है, इसके सिवाय सह में नवदीक्षित आदि जन नी होने हैं, तो सह के अन्य साधुजनों के समागम से व उनके प्रभावक उपदेश और चरित्र के बल से निर्भलों में भी यह व यैर्य आ जाना है और इस प्रकार साधु संस्था चलती है।

ऐसे परिप्रह रहित महान्मार्दों को अपने साथ परिग्रही गृहस्थों को ग्रहण न करना चाहिए, क्योंकि उनको साथ रखने में पराधीनता बहुत आजाती है, उनके अनुमार चलना, मुकाम रहना हृयादि। यदि ये लोग साथ हो भी लेवें, तो इनकी हच्छानुपार न चलना, अन्यथा चले जाना, क्योंकि उनके द्वारा होने वाले आरम्भ का दाय जिनके निमित्त ये साथ जाने हैं, उनको जागना है तथा उनके द्वारा किए हुए मार्ग के नैमित्तिक आदार नहीं लेना चाहिए। जब सर्वधी ऐसा करेंगे, तो गृहस्थ उनका साथ नहीं करेंगे। मार्ग में कुछ दूर तक आवकों के रहने के ग्राम न मिले तो १-२-३ दिन आदार न करें या ऐसे लोगों में विहार ही न करें, कि जिय में ऐसी लभ्वी यात्रा तय करना पड़े और आवकों को चौके से लेकर साथ चलना पड़े, मार्ग में जङ्गल में मात्र वही अद्वार प्रहण किया जा सकता है, जो अचानक शुद्ध मिल जाय, काई गृहस्थ कहीं आते जाने हों और उन्होंने किसी मुकाम पर

अपने किए शुद्ध भोजन तैयार किया हो, वहाँ अचानक मुनिजन विहार काटे निकले और योग्य विधि मिल जावे तो ले सकते हैं, परन्तु जो स्वास्थ हमी उडेश में साथ हो किए हों, उन के द्वारा तैयार किया गया भोजन नो उहिए ही होता है, ये नेत्रे हैं तो वे साथ आते हैं। यदि वहाँ आज कज़ इतना बल वीर्य कहाँ हैं जो कहै दिन आहार विना खल सके और नीरथाया करना हो या असुक समय असुक सुकाम पर धर्म के उत्त्यव में संकेतित होना हो तो ऐसा करना पढ़ता है। तो उत्तर यह है कि—

ऐसे त्यागी जनों को ऐसे उत्तरों में असुक समय पढ़ुंचना ही चाहिए और उनको किसी प्रकार नीर्थ यात्रा करना ही चाहिए, यह आवश्यक नहीं है, ये बातें गुहाध्यों को आवश्यक हैं, मुख्य भी हैं, परन्तु ऐसे महायात्रा को तो यदि विहार करने हुए महजरीया उन उत्त्यवादि में पढ़ुंचने का अवधर मिल गया, तो जहाँ तक उनके ख्यान, अध्ययन व स्थयम में विघ्न न पढ़ुंच तो इच्छित् कदाचित् अल्प समय मात्र पढ़ुंच जाते हैं, अन्यथा बहुजन समुदाय में भगानादि में वाधा समझ कर नहीं जाने, इन बांदों का अनुभव उन संघर्षी जनों को नथा उन विवेकी समग्रहस्थों को है दी, कि जिन्होंने सम्मेद्विश्वर जी की वह यात्रा की है, जब कि महर्णव में घार्मीलालजी पूनमचन्द्रजी ने मह मिकाला व उत्तर कराया था और भी अनेक मेलों ठेकों में भी यही स्थवाया होती है और संघर्षी जनों को आइमियों के घेरे के बीच चलना पढ़ता है, सब और कोलाहल होता है, जानित का नामोनिशाल भी नहीं पाया जाता, ऐसे समुदाय में भला 'बैरागी', निररिप्रह त्यागी महायात्रा किये हेतु जावेंगे ? उनको पहिले अपना हिन करना है, पश्चात् आमुषणिक द्वित भले ही किसी का हो जावे, कहा है—

“उत्तमा स्वामविन्ता स्यान्मोहविन्ता च मायमा ।
अधमा कामचिन्ता स्यात् परविन्ताऽन्माधमा ॥”

अर्थात्—उत्तम विन्ता अपने आन्मा के सुधार की अर्थात् स्वान्मा से सोह गग द्वेष भावों को हटाना और बाह्य निर्दोष संयम तप पालना, मध्यम चिन्ता संसारी प्राणियों के सुधार की है, क्योंकि उस में मोह है । अधम चिन्ता स्वविषय पोषण करने की और नीचानि नीच पर के बिगाइने की है । इमलिपि ये मायमी महान्मा पहिले स्वाम-सुधार की चिन्ता करने हैं, उसी के यत्र में रहते हैं और क्रम से प्रामो-ग्राम विहार होनेसे लोक हित भी उनके उपदेश द्वारा होता रहता हैं तथा बड़े बड़े मेलों में तो बहुत हा थोड़े लोग उपदेश का छाप ले सकते हैं, क्योंकि उन विचारों को तो परम्परा मिलने जुलने परिप्रह मग्हालने भोजन बनाने व्याने विकाने, दर्शन पूजन और अनेक उपनिषत् इश्यों के देखने से अवधार ही कहाँ, बहुत दृश्या तो भायर से किसी मायमी के दूर से दर्शन कर लेने करते हैं, इत्यादि ।

रही नीर्थयात्रा की बात सो उपर्युक्त मुहूर्त नहीं, तीर्थ तो जहाँ के वहाँ क्या हैं जब भी पहुँचेंगे, बन्दगा कर लेंगे, (१) यदि कदाचित् पहुँचने के पहिले ही कहीं आयु पूर्ण होगी, तो भी चिन्ता नहीं, तीर्थ की भावना थी, यत्र भी चालू था, इमलिपि उससे होने वाला फल तो हो ही जायगा, (२) ऐसे पुरुष विकल महान्माओं का तीर्थ तो उनके ही पास है, वे उसे छोड़ कर नए भेयमार्दि का घात करके ऐसे उनात्मे इन वाल्य तीर्थों के किए नहीं होते, ऐसी तीव्र शक्तिवाले नो गृहस्थों को ही हुआ करता है और इमलिपि उनके ऐसे साधन भी हैं, जो अमुक मुहूर्त में ही व्येच्छा पूर्ण कर सकते हैं तथा उनके ऐसे उच्च बन भी नहीं होता । अनेक उनको ऐसा करना शीक

ही है, त्यागियों को नहीं और यदि ऐसी ऐसी आकोहाएँ नहीं थीं, तो पहले गृहस्थी में रह कर परिग्रह रखते हुए स्वावलम्बनपूर्वक उन्हें ये आकोहाएँ भिटा लेना चाहिए, पश्चात् परिग्रहत्यागी बनना चाहिए।

नापर्य—ऐसे त्यागियों को मात्र भोजन पान और स्वपद के योग्य आवश्यक वस्त्र (मोटे स्वहर के हों) तथा पीछा कमयडलु शास्त्र यदि आवश्यक हों, तो विना याचना के भक्ति व आदर पूर्वक गृहस्थों द्वारा दिए जाने पर ग्रहण करना और जीर्ण उपकरण स्वातुच्याय किये हुए (पठित) शास्त्र व जीर्ण वस्त्र वहाँ छोड़ देना चाहिए। हमके विवाय उनके निमित्त गृहस्थों को कोई व्यय न करना पड़े त चिन्ता में पढ़ना पढ़े, हम प्रकार अपना त्यागी करना चाहिए। ऐसे त्यागी जनों को पहिले ही आकोहाएँ भिटा लेना चाहिए और वर में साधन रहने हुए त्याग वृन्ति का, मंयम नप का, सत्त्व ज्ञान का अभ्यास करने रहना चाहिए, जिसमें शक्ति वट जावे और त्याग मार्ग में पहुंच कर किंविती लीची की ओर न देखना पड़े उत्तरान्तर आगे ही बढ़ते जाय। उपबास, एकाशन रम्परित्याग, व्रतपरित्याग, कायङ्कुश, ऊनोदर आदि के अन्यान्यी त्यागी ही आगे वट मरने हें इसरण रहे—

‘त्यागवृन्ति किसी माधारिक इन्द्रिय से होनी ही नहीं’ वह तो इच्छाओं के निषेध से हो होती है और त्याग हो। जाने पर भोजनादि पराधीन हो जाने हैं, वह तर करने का इन त्यागी जनों को अधिकार नहीं और गृहस्थ अपनी सचि व तुड़ि अनुयाय भोजन पान शुद्ध बना कर कराना है, पो कभी अनुकूल पड़ता है, कभी प्रतिकूल पड़ता है कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी प्राप्तम में ही अन्तराय हो जाने से ऊनोदर हो जाता है, कभी कई दिनों तक या सो योऽय विवि नहीं बनती या लगानार अन्तराय आता रहता है—ऐसी

पराधीन दशा में कितना धैर्य कितनी शान्ति, कितनी समता, कितनी स्वभाॱ, कितना वैराग्य, कितना निवेद, कितना ब्रह्म, आहिष ? सो न्याय का ने से पहिले ही स्वदृश्य (शारीरिक शक्ति) स्वचेत्र (विहार का लंब्र) स्वकाल (अपनी शेष आयु का उतार चढ़ाव) और स्वभाव (अपने समना स्थमता धैर्यादिगुण) का विचार करके ही न्याय करना, अन्यथा भावना भावते हुए अभ्यास करते रहना चाहियं क्योंकि कर्म बन्ध या संवर निर्जन, मात्र बाह्यन्याय से ही नहीं हो जाती किन्तु बाह्य के साथ अन्तरंग की शुद्धि ही से होती है ।

इसमें कोई २ दृष्टिन यों कहेंगे, कि ऐसा विचारता रहे, तब तो कोई न्यायी स्थमती हो ही न महेगा, और न होने से मार्ग विच्छेद हो जायगा, तो उत्तर यह है कि (१) स्थमता मार्ग विच्छेद होने या न होने की गर्ज से नहीं धारण किया जाता, वह तो मुमुक्षु प्राणी धर्म से आत्मा के हिन के लिए ही करता है, न कि मार्ग विच्छेद के भय से और यदि कोई अज्ञानी (अविवेकी) जीव के स्वरूप मार्गप्रभावनाधर्म ही ऐसा करता है, तो वह भारी भूल करता है, क्योंकि आत्मशुद्धि के बिना मार्गप्रभावना व संयमीपरम्परा नहीं चल सकती ? और २ ऐसे दिवाऊँ या दृष्टिन संयम की चर्चा छिड़ जाती है, संयमी जनों पर से आत्मा उठ जाने से उनके प्रति निरादर का भाव यदि हो जाता है, भूठ भेर्ती के बदले स्वर्त्त्व का और भी उपेक्षा हो जाना है संयम की ओर से भी लोगों का चिन चिच्छित हो जाना है, और नष्ट मार्ग बन्द हो जाता है, इसका पर्याप्त उपरांत भट्टारकों की गहियों का है, कि जब इन भट्टारकों को गुहास्थों के समान अपने वंश परम्परा खड़ाने का मोह बढ़ गया, तो इन्होंने गृहस्थों के बच्चे ; उनके मात्र बाप को कुछ दृष्ट्य देकर) खरीदना प्रारम्भ का दिये और उनको खड़े जाकर एक से

पृहर्षण से भी अधिक सुन्दर २ बदूपूरुष वस्त्राभूषण पहिराने, बहिर्या२ पुष्ट माल लिलाने, और बिना पटाण ही पंडित पद से भूषित करने लगे, उनको यदि अपने गणगच्छ के लोगों या दि० जैन भाइयों से अधिकाधिक कर बदूल करना व भेंट लेना, तथा कुछ शुद्धशुद्ध मंत्र पाठादि बोलकर कर पूजा पाठ करा देना आगया, तो यीँही चलने की स्थानी होगई, बस ! उनको अपना पद र्मीप कर आप परलोकबासों बन गए । इस प्रहार बिना ज्ञान वैराग्य और चरित्र के ही यह परम्परा कुछ काल लीला इनके भजाने को इन्होंने किले भी बोधे, फौज भी रख्नी, अर्थात् लोगों को अजानी सुनना शुरू कर दिया, उन का शास्त्र पढ़ने का अधिकार लीन लिया, शास्त्र भी छीन लिए, हर एक कार्य में इन का कर लगाने लगा, गाज ये सुनाने लगे, पूजा भी ये ही कराने लगे, इनके सुखारविन्दि में निहले शब्द ही शास्त्र होगए, लोगों को कह दिया, शास्त्रों का सुन क्या करोगे ? कोई लूट जे जायगा, जला देगा, ज्ञानी सुखित रखेंगे, और सुनना हो हमारे मुकाम पर आना या इसको जुलाना, इत्यादि, परन्तु समय बढ़ा, ज्ञान का पुनः विकास हुआ, शास्त्र छुपने लगे, उपदेशक प्रचार करने लगे, फल यह हुआ, कि इन अद्वितीय मन्त्रार्थी गुरुओं (भट्टारक) का अ-ज्ञा रूप दीख गया, लोगों में मान्यता कम होने लगी, और धीरे रे इनकी गाँहयाँ उड़ा हो गई, अब कोई कहीं है भी तो दिन पूरे कर रही हैं, वर्नमान गतिशीलतियों के बाद नाम भी न रहेगा । इसी प्रकार मुनि मन्यमी न्यायी धावकों की परम्परा अद्योग्य और अशक्त अस्तित्व से नहीं चढ़ पकड़ी, इस लिए योग्य शारीरिकाली, जाती, विंशको, विरागी पुरुषोत्तमों को ही इस मार्ग में जाना चाहिए, और शिष्यपरम्परा का मोहन करके योग्य पुरुषों को ही स्वेकार करना चाहिए, जिससे निरपवाद मार्ग चले ।

यहाँ तक परिप्रह्यायी महायाज्ञों की लक्ष्य करके ही कुछ

लिखा है अब परिप्रेक्ष (भनादि) रखने वाले त्यागी ब्रह्मी आवकों के सम्बन्ध में भी कुछ लिखना उचित समझता हूँ ।

जो शक्तिहीन किन्तु सुसुन्ध प्राणी उपर्युक्त व सुधादिपरीषह सहने को असमर्थ हैं, पैदल यात्रा भी नहीं कर सकते और यात्रादि का मोह भी लगा है, तथापि संयम मार्ग में बटकर अभ्यास करना चाहते हैं, उनके लिए दो ही मार्ग हैं कि या तो वे घर में रह कर शुद्ध भोजन पान करें, त्रिकाल सामायिक बरें, प्रोपव्राई करें, पञ्चपापों का परिहार करके अणु ब्रह्मी का निःतिचार पालन करें, भवित वस्तु खाने पीने का न्याग करें दिवामंधुन तथा रात्रिभोजन का कृत कारित और अनुमोदना में नवकोटि शुद्ध करके न्याग करें, ब्रह्मचर्य अत अव्यंड पालें, व्यापार धर्षणे को क्षेत्रे । तापर्य-प्रथम से अष्टम प्रतिमा तक का ब्रत घर में रह कर अपनी शक्ति अनुमार क्रम से पालन करें और अपनी अधिक द्विष्टि के अनुमार तीर्थयात्रादि करें, परन्तु उधार लेकर या किसी में मांग कर यात्रा करना उचित नहीं है, पात्र में द्रव्य हो, तो सवारी में; न हो नो पैदल करें, यदि कोई याचना किए बिना इशारे के स्वयं उम ब्रह्मी की द्विष्टि को जान कर कृद्ध प्रहायना कर देवे, तो श्रावश्यकतानुमार स्वीकार कर लेवे, इसी प्रकार यदि कोई भोजन करते तो तिस्में कोच होकर कर लेवे, परन्तु इच्छाविसद्ध रूप सूखा सरप नीरस कैसा भी हो, परन्तु शुद्ध हो, तो उपकी दीका न करे, न अन्य प्रकार से उमे ज्ञाने कि “ब्रह्मी ज्ञानों को सरप भोजन देना चाहिये, रूप सूखा नहीं” वयोंकि गृहस्थ जान कर किसी ब्रह्मी संयमी को रूपामूखा (चाहे वह स्वयं या उसके आरणे पुत्रादि कुटुम्बी येरा ही द्रव्याभाव आदि हारणों से स्वातं हों, तो भी) नहीं देना चाहता परन्तु जब शुद्ध पदार्थ उपको प्राप्त नहीं होता, तो वह उसके अभाव

में भी भक्ति ने प्रेरित हुआ ऐसा करता है, उसका निरादर व अपकोर्ति करना, या अपनी अरुचि प्रगट करना चार पाप व अन्याय है, उसकी प्रेमभक्ति की सराहना करते हुए, इस अपूर्व साहस का आदर करना चाहिए, उसे इस निर्भीका में दृढ़ करना चाहिये, इस प्रकार चार रह कर अभ्यास करते हुए आगे बढ़ना चाहिये ।

परन्तु यदि अनेक कारणों से धर में रह कर वह इनना भी धर्म-भाधन व वन का अभ्यास नहीं कर सकता तो उनको कम से कम इनना दृढ़य कि जिसमें उसके जीवनपर्यन्त कोई नीन कमाई किये बिना साझा भोजन और वस्त्र का काम चलना रहेगा, किसी योग्य साहूकारी पीड़ी से बिना दयाजू जमा करा दे और क्रमशः अपने स्वर्चं को लेना रहे, सृजु के पश्चात् किसी विश्वसन्यादि में शेष दृढ़य को लगा देने का विल कर दें, स्मरण रहे कि यह दृढ़य परिग्रहप्रमाण-बन (र रो प्रतिमा) के प्रमाण में अविक न हो, कम हो सकता है, तथा इसमें से स्वर्चंते हुए कम हो जाने पर किसी के द्वारा दिय जाने पर भी न लें, अमानन दृढ़य के प्रवाग को पूरा करने की चेष्टा न करे, नहीं तो यह व्यापार हो जायगा, कदाचित् त्रैवयंग से यह दृष्य मिन-ध्यय करते हुए भी निःशेष हो जावे, या मारा जावे, लुट जावे, तो परिग्रह्याग (नवमी) प्रतिमा धरणा करे, यह व्यवस्था आठमी प्रतिमा के लिये है, यदि इननी शक्ति व मन्द कपाय न हो, तो आठमी प्रतिमा न धारणा करे, मातव्वा रक्खे, और अपने सादे भोजन व याकादि के लिए अवश निरवद्य ध्याराग, जिसमें अलुबनों में दोष भी न लगे, अपने परिग्रहप्रमाण के अनुसार कुछ कर लिया करे, परन्तु सामायिकादि नीचे की प्रतिमाओं की बराबर पालना रहे । दृष्टि प्रकार बोचे को प्रतिमाओं में भी नमस्करा चाहिये, आवह गृहस्थों के भरोसे

अभी गृहस्थागी न बनना चाहिए, किन्तु स्वाध्येयन पूर्वक ही गृहस्थागी ब्रती बनना चाहिए, ऐसे सबे निर्जने भी निरपेह त्यागी अशाकारियों को कोई उदार सदूगृहस्थ, ऐसा समझ कर कि द्रव्य की चिन्ता से हृनके धर्म ध्यान में वृद्धि नहीं हो सकती न तोर्थ यात्रा भी हो सकती है, इसलिए वह भोजन वस्त्र व मार्ग व्यय को उचित सहायता कर देवे, परन्तु न तो स्वयं दीनता व याँचना करना पड़े, न किसी से दुश्शारा करना पड़े, तब ही स्वीकार कर लेना चाहिए और फिर निश्चिन्त होकर धर्म साधन करना चाहिए, ताकि दातार को पात्र में चरित्रादि गुणों की वृद्धि देख कर व अपने द्रव्य का सदुपयोग हुआ जानकर हर्ष हो, और धर्मात्माओं की सहायता के भाव बढ़ें तथा अपना धर्म साधन निराकुलित होने से आगे बढ़ने और आत्मा हित करने में दृढ़ता हो, अपना कल्याण हो, कल्याण मार्ग की वृद्धि हो। तात्पर्य त्यागी संयमीक्षनों का यह गृहस्थ आवकों से बढ़ा है, सो यदि त्यागी संयमी पुरुष गृहस्थों के पास याँचना करने लगे, तो उन में दीनता आ जावेगी, इच्छित वस्तु मिल जाने पर दातार की प्रशंसा और न मिलने पर स्वयमेव निदा का भाव उत्पन्न हो जावेगा, सदैव प्रत्यक पदार्थ के लिए पराधीनसा का अनुभव करना पड़ेगा, धर्म ध्यान के स्थान में आर्त रौद्र ध्यान होने लगेगे, इसलिए त्यागी ब्रती होने वाले व्यक्तियों को अपनी इच्छाएं विलक्ष्य ही घटा लेना चाहिए और अपने आत्म वस्त्र पर ही त्याग वृत्ति स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मांगना बहुत ही नीच कृत्य है। कहा है—“कर पर कर निश दिन करो कर तत्र कर न करेथ । जाविन कर तत्त्व कर करो तादिन मरण गिनेथ ।” अर्थात् कभी भी माँगना नहीं चाहिए ।

मौन से भोजन करना चाहिए, यह शास्त्राङ्ग है, इसलिए मन्त्री मुनि त्यागी ब्रती आवक मौन से ही जीमते हैं, अर्थात् जीमते समय

मुख से स्पष्ट बाणी नहीं बोलते, परन्तु हूं ! हूं !! हां ! हां !! आदि अस्तु अनश्वरी बाणी तो बोलते हैं, जिससे उनके अन्तङ्ग कथाय का भाव प्रगट होता है। नेत्र भी लाल २ दिखते हैं, जिससे परोसने वाला घबड़ा जाता है। हाथ के इशारे में, आंख के इशारे में, खांच खुकार में, हुंकार से, आवश्यक वस्तुएँ मांगते हैं। यदि परोसने वाला न ममझा तो कोध करते हैं और भोजन के पश्चात तो कोध का बादल ही फट पड़ता है। क्या इस पकार के मौन को मौन कह सकते हैं ? क्या ऋषियों ने इसको इसी प्रकार में करना बताया दे ? कभी नहीं। यह ऋषि बचनों (मौन) का हुरुपयोग करना है। इसलिये प्रथम मौन का अभिप्राय समझता चाहिये, पश्चात ही मंके तो मौन में जीमने का नियम करना चाहिये, मुणिए ! मौन में जीमने का अभिप्राय जित्रा इन्द्री के विषय को समना में जीनना है अर्थात् भोजन प्राप्ति कर देने पर यदि भोजन में अमुक वस्तु की—जैसे नमक, मिर्च आदि ममाला, बृंग, धी आदि गम, दाल, भात, रोटी, पूरी, लड्डू, कचौरी आदि खाद्य पदार्थों में से अमुक २ की आवश्यकता है, परोसने वाला भूल गया या भोजन में अमुक रस ममाला पड़ा है, नहीं पड़ा है या कम ज्यादा पड़ा है, तो भी शांति पूर्वक थाक्की में यान हुए पदार्थ या हाथ पर आये हुए ग्राम को, यदि वह शुद्ध ग्राम हैं, तो स्वाद का विचार न करके जीम लेना चाहिये और फिर मन में कल्पना भी न रखना चाहिए न बाद भोजन के कियी से कहना ही चाहिये, कि आज भोजन में अमुक वस्तु नहीं थी मुझे रोटी लेनी थी, परन्तु भात परोस दिया। परोसने वाला अज्ञाती है, कुछ समझता हो नहीं है, हत्यादि, यही मौन का अभिप्राय है, इसलिये यदि हत्यी क्षमता और जिह्वा इन्द्रिय पर बश न हो, तो मौन से जीमना स्व-पर दोनों के लिये हानिकारक है।

इसी प्रकार मौन के समान अन्तराय पाज़ने व व्रतपरिसंख्यान तप का भी दुरुपयोग किया जाता है । श्रावकों व मुनियों को अपनी २ योग्यतानुसार अन्तराय टाल कर भोजन कर लेना चाहिये, अर्थात् भोजन करते हुए कोई अन्तराय का निमित्त बन जाय—जैसे हिस्क शब्द सुनना, मद्य, मांस, मलादि देखना या भोजन में कोई मृतक व्रत कलेवा या नस्व के पादि का मिल जाना या किन्हीं जीवों का अचार का चिर कर मग जाना या त्वारे हुए पदार्थ का भूल में मूख में पहुँच जाना इत्यादि देखने, सुनने व स्पर्श करने के जो रभी कारण अन्तराय होने के बन जाएं तो विना संक्षेपश्चात् के मुख शुद्ध करके भोजन त्वारे देना चाहिये, परन्तु बहुत से वर्ती इसमें भी पीछे बहुत वपाय भाव प्रगट करते हैं, जो सर्वथा अनुचित है । कोई र तो धात्री बर्गरह बजाकर जीसते हैं, तो कृष्ण सुन न पढ़े और अन्तराय न आवे । यह पृथा भट्टारकों का चलाई हुई है । वे मेया ही करने थे और उनमें गुडम्योंने भी सोखली है । इसलिये पर्याप्ती कुरुक्षियों से अन्तराय बचाना या अन्तराय होने पर क्रोध करना बहुत बुरा है । जिनमें भूम्य सहने की शक्ति नहीं है, उनका अन्तराय पालना व्यर्थ है ।

कनिष्ठ मुनि [एन्ड्रु, चुल्लू, आर्यिकाण] व्रतपरिसंख्यान तप का आडम्बर करते हैं । वे भोजन के समय अनेक स्थानों में जाते हैं और जिनके यहां आहार नहीं हाता, उनके या अन्य लोगों के पूछने पर कह देने हैं, आज हमारे उड्ढ की दाल का नियम था कि भोजन में उड्ढ की दाल होगी तो लेने, वह तुम्हारे यहां नहीं थी, या यह नियम किया था, किसामायवतो स्त्री, पीत वस्त्र पहर कर पढ़ाहेगी या पढ़ाहने वाले के दरवाजे पर गाय बंगी होगी, तो आहार लूँगा, इत्यादि कह दिया करते हैं, हमसे लोग आहार देने के लिये नाना

प्रकार के आडम्बर रचने लगते हैं। यहां तक कि श्री जी के ऊपर वंधे हुए चत्र, चमर आदि तक दोढ़ कर ले जाते हैं। कोई गँठजोड़ा करके खड़ा होता है, कोई कुछ, कोई कुछ, नाना भवांग बनाते हैं। भोजन में अनेक प्रकार की दालें, शाक, चट्टी, मिठाऊ, पकवान बनने लगते हैं। यह व्रतपरिमुख्यान बया, आपत्तिमंख्यान बन जाता है। वास्तव में तात तो यह थी, कि संस्मी विचित्र प्रतिज्ञाएँ मंथमी जन अपनी शक्ति की परंपरा और उप की वृद्धि आदि के हेतु करते थे और योग मिल जाने पर आहार कर लेने तथा न मिलने पर अन्तराय कर्म का उदय ममस्कर्म मौन पूर्वक हा लौट जाते थे तथा कभी भी किसी को आगे या पांच अपनी प्रतिज्ञा 'गट नहीं' करते थे, वयोकि प्रगट करने से गृहस्थ जन मोहवश आडम्बर बटाने लगते हैं, जिसका ढांच बना को लगता है। हमलिये अपनी शक्ति के अनुसार द्रव्य, तंत्र, काल भाव का विचार करके ही प्रतिज्ञा भन में कर लेना चाहिये और महज योग मिल जावे तो आहार ले लेना चाहिये। न बने तो समता रखना चाहिए। किसी के आग्रह पूर्वक पूछने पर भी कभी प्रगट न करना चाहिये।

यहां तक त्यागी, संयमी, ब्रह्मी जनों की वनमान परिमिथिनि और उनके वास्तविक कर्तव्यों का संक्षेप में वर्णन किया। अब इस परमोपयोगी मंस्था के प्रति गृहस्थों का क्या कर्तव्य है—यह कुछ बनाने हैं।

त्यागी संयमी जनों के मंथम की रक्षा और वृद्धि में गृहस्थ प्रधान हेतु हैं, मो यदि ये अपना कर्तव्य यथोर्थ पालन करते रहें तो संयमी जनों में शिथिक्ता होने ही न पावे और यदि ये उपेक्षित या अन्धश्रद्धालु होजावें, तो संयमी जन का भी संयममार्ग में शिथिक्ता

होजावेंगे । आजकल बहुत से मड़जन तो उपेक्षा धारण किये हुए हैं । उनको हस्ती कुछ भी परवाह नहीं, भले यह संस्था रहे या बिगड़े या बन्द होजाय । बहुत से इसकी जरूरत ही नहीं समझते और वे हस्ती ढोंग आडम्बर आदि वह कर मिटाने ही का प्रयत्न करते हैं । किसी अष्टचारित्री, अज्ञानी जीव का व्यवहार जो वह इम संयम के भेष में करता है, देखकर सम्पूर्ण व्यागी, मंयमी जनों में, यहाँ तक कि संयममार्ग में भी अरुचि कर बैठने हैं, बहुत ये अनधिकृत में आकर किसी किसी मंयमी को उम्र के पट से बहुत ऊँचा बढ़ा देने हैं । जैसे एकलक, चुल्लक आदि के तवधा भक्ति करना, उम्रमी प्रतिमा बाले की भिन्नु के समान चर्चा करना और चर्चा करते हुए आने देख-कर पड़ाहना, व्रहाचारी आदि को भी अष्टोंग नमस्कार करना, कुंड कल्पित अनिशय गढ़कर छागा में दूप देना, जैसे निरनार के रामने में कैशा का बन जाना और पिर लाप हो जाना, मांगीनुद्दी का पहाड़ माने का हो जाना, सर्प के फुरे हुए का मुनि के देखने सात्र में जहर उत्तर जाना इत्यादि । नथा दिन भर वैयाचृत्य मानकर उनके हाथ, परा आदि शरीर दाढ़ने रहना, दिन भर और रात्रि तक स्त्री, पुरुषों का संयमी जनों को घेरे रहना, उनमें सांमाजिक वृद्धि के लिये, जैसे पुत्र की प्राप्ति होना, द्रव्य की प्राप्ति होना, बच्चों आदि की दीर्घायु होने, किसी सुकदमे (केश) में विजय पाने आदि की इच्छा प्रगट करके आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा जाहिर करना । दधा, दाढ़, यन्त्र, तन्त्रादि करने के लिये प्रार्थना करना इत्यादि इच्छाएँ रखकर उनकी सेवा वैयाचृत्य करके प्रसन्न करने और वर प्राप्ति करने का यत्न करना इत्यादि । इससे संयम मार्ग दृष्टिं हो जाना है अर्थात् संयमी जनों में कषायें बढ़ जानी हैं । कोई धन, उत्तादि संग्रह करने में लग जाते हैं, किसी में रुदानि ज्ञाम पूजा प्रतिष्ठा प्राप्ति की जिज्ञासा बढ़ जाती है ।

कोई प्रमाणी हो जाते हैं, कोई सुनिया स्वनाव वाले होजाने हैं, कोई भोजन के सुनिया होजाने हैं और इमलिए जिसकी कथाय की जहाँ पूर्ण होती है, वह वहाँ हो जाया करता है। भट्टारकों को बहुत द्रव्य और बढ़िया २ जरी, रेशम के बब्ल भेट कर २ के गृहमध्यों ने ही शिथिलाचारी बनाया। इन्हों के द्रव्य से वे पालकी, नालकी, रथादि में चलते थे, बीमों आदमी नौकर रखते थे, कुड़ीदार, चौबदार, पटावाला, पहिरा वाला, भाट, जमोना आदि। यदि ये गुहमध्य उनको मात्र शुद्ध, सादा भोजन ही देते अथवा जो वे मुनिचिन्ह पीछी, कमरडलु न रखकर या अपने आपको मुनि, आचार्य न मानकर अमुक प्रतिमाधारी श्रावक मानते, तो शुद्ध भोजन के साथ उनके पद के योग्य बब्ल भेट करने रहने, ऐसा करने से उनकी यह गोचरीय दशा न होती। न गहियाँ ही उठ मर्जी, परन्तु गुहमध्यों ने उनको साधु नाम स्वातं हुए भी गजाओं के जैसे आराम लक्ष बना दिया, उनके लिये भग्नाज में कर (जगान) तिथन कर दिया और उन्हों गहियों में लाल्हों घण्या नक्क व मोना, चांदी होते हुए तथा उष्मा दुरुपयोग होता हुआ देखकर भी बराबर भेट व जगान देना कायम रखता। बराबर पूजा, मन्त्र करने रहे। कज़ जो हुआ मो प्रथन है। यदि श्रावक गुहमध्य द्रव्य देकर उसके मटुपयोग पर दृष्टि रखते तो जितनी भट्टारकों की गहियाँ (मठ) थे, वे आज गुरुकुलों व मात्रिविद्यालयों के स्वप में होते, वयं में भाट भोई न खा जाते, परन्तु गुरुमुद्रा ने उनको ऐसा मोहित किया कि सर्व अन्यों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हुए “ बड़े जाश्रो महरबान ” की पुकारे ही लगाने रहे और अब भी इन गहियों में बहुत ममति है, इसमें यदि उपरिथन भट्टारक या जहाँ भट्टारकों का अभाव होगा और वहाँ की गदी की ममपत्ति पञ्चों के आधीन है, उसे वे यदि विद्यामंस्थाओं में लगा देवें तो इस समय

भी कई गुरुकुल व विद्यालय, समाज की आर्थिक महायना के बिना चल सकते हैं। भट्टारकों को भोजन, वस्त्र चाहिये सो श्राद्धश्यक्तानुसार सादा भोजन, वस्त्र गृहस्थ अब भी देते व दे सके हैं और बदले में उनसे उपदेशक का कार्य ले सकते हैं, इसलिये मैं समाज और उसके नेताओं का ध्यान इस और आकर्षित करता हूँ कि वे विंक से कार्य लेवें। प्रत्यक्ष छोटे, संयमी का उसके पद के अनुसार ही मन्मान करें, न कम करें, न उपेक्षा करें, न संयम मार्ग को उत्थापन करने की चेष्टा करें और न अधिकता ही करें अर्थात् जिस प्रकार संयम मार्ग निष्कंटक चले, संयमी जन स्वपरिहतसाधन में सावधान रहें और समाज उन से लाभ उठावे अर्थात् उनको आहारादि दान देकर, और स्व-थावस्था में वैयावृत्य कर, पुण्यलाभ करें और उनके उपदेश में अपने ज्ञान-चरित्र की वृद्धि करें। ऊर बना चुके हैं कि नवमी प्रतिमा से लेकर ऊपर की प्रतिमाओं में मात्र भोजन तथा आवश्यक पद के अनुसार वस्त्र व उपकरण और मुनिगांडों को मात्र भोजन और उपकरण के सिवाय अन्य किमी द्रव्य या सवारी आदि की जम्मत नहीं होती, इसलिये जो कोई उनके पद विरुद्ध पदार्थ देना है, वह उनको नीचे गिराने अर्थात् शिथिक बनाने की चेष्टा करता है, इसलिये इन त्यागी महात्माओं को जब वे विहार करते हुए, तुग्हारे पुण्योदय में तुम्हारे यहां पधारें और जब तक ठहरें, तब तक उनको ऐसा सुरक्षित पूर्णत ध्यान जहां शीत, उष्ण या बरसात की बाधा न होवे। डांग, मच्छरादि जन्म्यु या चींटी, चीटा, खट्टमल आदि जन्म्युओं की बाधा न हो, न आस पास कोई ऐसे लोगों की बसनी हो, जिसके कोलाहल से उनके ध्यानाध्ययन में बाधा पहुँचे। वह स्थान प्रकाशावान व इवादार हो, ताकि संयमी जन शांति से ध्यान, म्बाध्याय कर सकें, इसी के साथ स्थान सादा होवे, उसमें न तो कोई जोखम (जिसके

चोरी जाने का भय हो) हो और न बनावट मजावट ताला मोहक हो, साफ सुथरा अवश्य हो, वहाँ केवल भयमी जनों के उपर्योगी तख्त (पार) तथा खाल (कोइँ व दांगर का घास) आदि ही हो, जिससे संयमी जनों को कहीं आने जाने के समय कोई प्रतिबंध न होने पावे, अर्थात् चौकीदार या नाले हुँची को दिनता न करनी पड़े, न गुडस्ट्रों को ही मनमें द्विधिश्वर, कि वहाँ जोखम है, मकान मूना न रहने पाएं, चौकीदार रख दो इन्यादि, न याँ जनों के ध्यान स्वाध्याय के बाधक आकर्षण मोहक दृश्य हों, उन याँगी संयमी जनों की दृच्छा हो, हाँ तक भर्म ध्यान साधने हुए रहें और जब अधिक जान पहिचान होने लगे तो उन रागद्वेष का निमित्त जानकर चाहे जिप और स्वाधीनता से उत्तर चलते थे, उनको यह कल्पना ही न उठे, कि काई आजाना तो उम्बो कह कर सोएकर जाने, कहीं कुछ जोखम होगई, तो लोग हम ही पर शंका करेंगे, कि असुक यागी मुनि रहे थे, वे बिना कड़ चले गए। संभव है, कुछ दाल में काला हो और इस प्रकार शंका होने से वे किर सम्मत संयमी मात्र से घृणा कर बैठेंगे, उससे सम्मार्ग में अपवाद लगेगा, इस लिए पचों को खबर देकर उनको जनाहर भोव का जाना ही अद्यत है इन्यादि । ये न्यागीगण स्वाधीन वृत्ति वाले होते हैं, जहाँ जब धर्म साधन होता देखते हैं, उह जाने हैं और उस में बाधक कारण उपस्थित होते ही चल देते हैं, उन्हें किसी को कहने, पूछने, भोवने की क्षमा जरूरत है ? डर तो जब हो, जब जोखम पास रखते हों, या जोखमी स्थान में रहते हों । कभी २ ऐसा होता है, कि संयमी जनों के उहरने के स्थान में यदि जोखन हो तो दुष्ट लोग मैंके बे मैंके कुछ उपद्रव कर बैठते हैं या कभी २ संयमी के भेष में कोई दुष्ट लो । वहाँ रहकर ऐसा कुछ जोखमाल कर जाते हैं, इसलिये “न होगा बांस न बजेगी बंस,” न

वहाँ जोखम होगी, न शङ्का और प्रलोभन का अवमर आवेगा, वहाँ कुछ होगा तब ही तो कोई चार या भेषधारी ऐमा करेगा, अन्यथा नहीं। यारीजनों को भी ऐसे जोखमी व मोटक सजावट बनावट के स्थानों में न ठहरना चाहिये। इस प्रकार तो समझ यागियों को चाहे वे परिग्रहयागी हों या अत्यपरिग्रही अष्टम प्रतिमा तक के हों उत्तम स्थान देना चाहिये। क्योंकि पहिले तो जोखमी जगह में ठहरना और पीछे नुकसान होने पर 'हयनोवा' मचाना एह अन्याय है, जैसा कि एक जगह एक उत्तम श्रावक को सरस्वती भवन में ठहरा दिया और जब वे चांमासा करके चले गए और सरमन्ती भवन सम्हाला तो बहुत से लगभग २०० शास्त्र कम पाए, सुना है, ये महाशय कभी २ अपनी सेवा में रहने वाले भक्तों के द्वारा शास्त्रों की पार्श्वांतरण करते थे, मो प्रदम भूल तो यह कि उनको ऐसी जोखमी जगह में ठहराया और दूसरी भूल यह कि मार सम्हाल न रखवी न उनके जाने में पहिले भगडार सम्हाला जाने के पीछे हो फलका घर ही घर में करके बैठ रहे और यारी मात्र में धूणा का भाव धारण कर बैठ, एक भेषा के अनर्थ कर जाने से समझन बतो यारी जनों में धूणा कर बौठना, बैठे छली मच्चा यागियों को वेषा समझ बौठना धोर अञ्जन व अन्याय है, अपनी भूल को सुधारना और ऐसा घटनाओं से पाठ साक्षना उचित है, तथा जो व्यक्ति किसी ऐसे धार्मिक (धर्मात्मा के) रूप में ऐसी या ऐसी अन्याय नियंत्रित किया वरें, जो उनके लिये अच्छन्तव्य हैं, उनको उचित शिक्षा देकर समाज को ऐसे व्यक्तियों से साक्षना कर देना चाहिये, जिससे और कहीं वे ऐसा न कर सकें और समाज व सम्प्राणे ठगाई न जावें, कपटभेषियों को उचित शिक्षा मिलने से या तो वे अनर्थ करना छोड़ देंगे, या कपट-भेष छोड़ना पड़ेगा, इसलिये ऐसे व्यक्तियों के अन्याय को सहन करना

अन्याय का प्रचार करना है। यह स्थान सम्बन्धी बात हूँ है। श्वेताम्बर व स्थानकवासी साधुओं व साधियों के अपामरे तथा वैष्णव साधुओं के स्थान ऐसे ही जोखमी होते हैं और इसलिये उनके यहाँ इस प्रकार की शिकायत का मांका ही नहीं आता। कोई श्वेताम्बर साधु मन्दिर आदि जोखमी जगह में नहीं ठहरते।

दूसरी बात भोजन की है। सो पढ़िले बताया जा चुका है कि जो खुराक तुम रोज़ खाते हो व जो खाता है, वहा शुद्ध बनाओ, उसमें कोई नवीनता बरने की या भारी पुष्ट कीमती बनाने की उस्तरत नहीं है, बल जो भी त्यागी, वती, संयमी, सुनि आदि पात्र आजावे, उसी में से उनके पद के अनुसार आदर पूर्वक भोजन करादो। इसमें लाभ यह होगा, कि कोई भी संयमी चाहे बितने ही समय तक अपने नगर में रहे, परन्तु उसके इनि अनादर का भाव न होगा। वह भारी न मालूम पड़ेगा क्योंकि उसके लिये कोई रवीन मटपट नहीं करनी पड़ती न कोई अधिक दवय ही करना पड़ता है। भोजन में भोजन होजाना है। इसके सिवाय दूसरा लाभ यह है कि सादा खुराक जल्दी पच जाता है, शरीर में कोई भी उपाधि या बिकार उत्पन्न नहीं करता, न जिद्दा की लोनुपना ही बढ़ती है। निविद्वत्ता में धर्म साधन करता है, इसमें और भी एक लाभ होता है कि जिद्दा-लोनुपी दिव्या भेष्या ठहरना भी नहीं है। सन्तोषी उत्तम संयमी दुरुप ही ऐसे स्थान में जहाँ प्रस्तोभन रहित स्थान तथा भोजनपान हो, ठहर सकता है और ऐसे ही संपुर्णों की जरूरत है। तात्पर्य-सुपात्र-अपात्र की परीक्षा भी होजाती है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है, कि इस जान वरके ही त्यागी, वती जनों को सदेव रुक्षा, सुरुक्षा नीरस बेस्वाद ही भोजन पान दिया जरे और परीक्षा ही करते रहें, किन्तु

यदि हमने किसी प्रसङ्ग से या अपनी इच्छा से अमुक मिशाजादि बनाया है और वह शुद्ध है, या घर में घो, दूध आदि शुद्ध रस हैं, तो त्यागी जनों को उसी में से देना चाहिये, उनके जिस बस्तु का त्याग होगा, वह वे स्वयं नहीं लेवेंगे और जिस का त्याग न होगा ले लेवेंगे । यह देना यह न देना, इस विकल्प की जहरत नहीं है । जो बस्तु सहज शुद्ध तैयार है, वह पात्र के रखत्रय की रक्त व वृद्धि के लिये देवा आवश्यक है, क्योंकि शरीर भोजन के आधार ही चारित्रादि साधनों में तंत्ररह मकता है, अन्यथा भोजन के अभाव में शरीर में गिरिजना, निवंलना आजाती है, बात-पितःदे भी कुपित होजाने हैं और अन्तरङ्ग में संक्लेशता बढ़ जाती है और तब चारित्र तथा श्रद्धा तक से संयमी चलायमान होजाता है । उसमें कोध, लोभादि कथाय बढ़ जाती हैं और वह द्रव्य के संग्रह में लग जाना है कि जिन दिन भोजन का योग न बनेगा, कोई गृहस्थ न पूछेगा, उस दिन संग्रहीत द्रव्य से भोजन मंगाफ़र या मेत्रादि या फजादि मंगाकर खा लेवेंगे और वस्त्रादि खीद मर्केंगे, परन्तु यदि गृहस्थ लोग ब्रावर समझाल रखें और भोजन पानादि का स्वकर्तव्य समझाकर प्रबन्ध करने रहें तो त्यागियों के द्रव्य-संग्रह करने का भाव हो न उ पत्त होगा, क्योंकि उनको जब हरणक स्थान में भोजनपान का प्रबन्ध मिलता जायगा तो द्रव्य संग्रह के प्रयत्न करने का भाव उत्पत्त नहीं होगा । वर्तमान समय में जैसा ऊर बना चुके हैं, या तो त्यागी-बनियों को रूखे मूखे भोजन नक को कोई नड़ो पूछता अथवा कहीं माल टाल निरन्तर बनते हैं, ये दोनों बातें अनुचित हैं । न मिलने से भी स्थान की हानि और धर्म का अपवाद होता है, क्योंकि गृहस्थ, जिसके यहां विकार को शमन करने के कारण हैं, कभी २ प्रमंगवश या तीव्राकंक्षा

होने पर अपनी स्थिति के अनुसार भारी पुष्ट खुशक खाने का अवसर आता है, परन्तु व्यागी जनों को निय नए घरों में जाना पड़ता है और उसे निरन्तर ऐसी खुशक मिलती है, जो बहुत सम्भव है, कि रुचिकर विशेष होने के कारण कभी अधिक प्रमाण में भी खाई जा सकती है। सो या तो अर्जार्थ होकर गोग उपलक्ष करेगी, या पचकर विकार प्रसाद पैदा करेगी। इसलिये गृहस्थों को चाहिये, फि अपने ग्राम व नगर में आये हुए किसी भी संघर्षी का ऊर बताएं अनुसार निरेप स्थान में रहा कर शुद्ध भोजन कराना। चाहिये।

तीमरी बात है संघर्षी में उपदेश लाभ लेना, क्योंकि गृहस्थों की अपेक्षा व्यागी जनों के उपदेश का प्रभाव विशेष होता है, कारण कि वे केवल कहते ही नहीं हैं, किन्तु शक्ति अनुसार करके भी अदर्श-रूप होते हैं, इसलिये उनके निय नियम, सामाजिक स्वाध्याय तथा शारीरिक आगम लेने के समय को छोड़कर, मबेरे, दोपहर के बाद या शाम को समय निश्चित करके एक साथ सभी नर नारियों को जाकर उपदेश सुनना चाहिये और अपने स्वाध्यायादि चर्चां के समय जो तर्क उपलक्ष हुए हों वे और समाधान न हुआ हो तो उनका उत्तर जानने के लिये, या जाने हुए पदार्थ में विशेष इष्टता (खुबासा) करने के लिये उनमें विनय पूर्वक प्रश्न पूछना चाहिये, शक्ति प्रसाद यम, नियमादि भी लेना चाहिये तथा अपनी व अपनी समाज में प्रचलित कुरीतियों, हीनचारितादि को हटाना चाहिये, कोई दोष अपने चारित्र, व्यवहार में लग गया हो, तो ऐसे सुषोधय, सुपात्र के निकट आलोचना करके प्रायश्चित्तादि लेना चाहिये, हृन्यादि व्यागी जनों से अनेकों लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

यदि व्यागी संघर्षी विद्वान् है, तो सदुपदेश देवेगा, शहा

समाधान भी करेगा, योग्यता देखकर प्रायश्चित्तादि भी देगा और यदि वह पढ़ा नहीं होगा, तो अपने श्रज्जान पर पश्चाताप करेगा, पढ़ने का प्रयत्न करेगा, सो ऐसे अपहृया कम पढ़े हुए त्यारी जनों को यदि अपने यहां मानवत हो तो पाठशाला में पढ़ने का और बर्तों घर भोजन का प्रबन्ध कर देना चाहिये । यदि अपने यहां माधवन न हो तो उनको किसी विद्यालय में, यथा बनारस, मोरीना, व्यावरा, मथुरा, मागर आदि में भिजवा देना चाहिये और उनके भोजन खर्च के लिये कुछ भास्ति द्रव्य का प्रबन्ध करके उस संस्था के कोषाध्यक्षादि प्रबन्धकों के पास जब तक वे पढ़ने रहें, भेजते रहना चाहिये अथवा संस्थाओं में एक ऐसा फण्ड कायम कर देना चाहिये कि यदि कोई त्यारी जिज्ञासु पढ़ना चाहे तो उसको भोजन का प्रबन्ध संस्था कर देवे । सानवीं प्रतिमा तक तो वह स्वयं भोजन पाने चाहिये कर सकता है, ऊपर वाले दशभी प्रतिमा वालों तक को जैन रसोइया का प्रबन्ध करना होगा । बाद को तो फिर भिन्नुक हो जायगा, वह तो अन्य भिन्नु महामात्रों के सङ्ग में रहकर अभ्यास करेगा ।

इसके साथ गुहस्थों को यह भी देखना होगा कि यह त्यारी मुनि आर्थिका एकाविहारी वर्गों हो रहा है ? क्योंकि एकाविहारी होने के दो ही हेतु हाने हैं या नो कोई महामासुनि, गाढ़ में कहं हुए एकाविहारी के लक्षणों से संयुक्त वयोवृद्ध होने पर आनी आमन्न मृत्यु जानकर, हंगिनी या प्रायोगामन संन्यास धारण करने का अभिलाप्ति (इस मन्याम में किमी अन्य व्यक्ति की महायता या वैयावृत्त्य की आवश्यकता नहीं होती है) अपने सङ्ग के आचार्य की आशा लेकर एकाविहारी हुआ हो, सो ऐसी महान् नपस्ती, बहुशक्तिशाली, शरीर के सोह से रहित परम श्रीवरारी सङ्ग को छोड़कर, अपने साथ

किसी गुहस्थ व अन्य शिष्यादि नहीं स्व सकता । वह तो स्वाधीन हुआ एकाकी विहार करता है और जब आयु को अन्यन्त जीण हुई जानता है, तब किसी बन, गिरि, गुफादि में छँड़िनी या प्रायोगमन (इसमें तो अपनी वैयाच्छन्य आप स्वयं भी नहीं करता) धारण करके शरीर को न्याग कर उत्तम गति को प्राप्त करता है ।

दृमरे प्रकार का एकाविहारी वह हो सकता है, जो मङ्ग ये बाहर किया गया हो, परन्तु नौकर तो उसके भी स्थ नहीं होगा, क्योंकि वेतन कहां से होगा ?

उन दोनों प्रकारों में से प्रथम पृज्य है, ग्राह्य है, ठिनीय नहीं, क्योंकि द्रिनीय प्रसा॒र के मूल इल्लक दि॒ को एतने, मानने में आचार्य सङ्घ का आभान और उसके दोषों की पृष्ठ होगी । शिखिलाचार और स्वच्छन्दना का मार्ग चल पटेगा, इसलिये एकाविहारी देवकर पूरी २ खोज करना चाहिये कौन है ? कहां से आया ? एकाविहारी वर्षों हुआ ? किस आचार्य का शिष्य है ? क्या उ अभ्यास किया है ? किस हनु विचर रहा है, हम्यादि वातें सात्र उसके मुख में ही मूलकर नहीं मान लेना चाहिये, विन्तु पूरी तपास्य करना योग्य है, तथा कूल्लक, एल्लक आविकाशों को तो एकाविहारी होना ही न चाहिये, क्योंकि इनके इँझिनो आदि संन्यास नहीं होता, इसके निवाय बिना योग्यता के इच्छन्द हो हर एकाविहारी होना, सर्वया अनुचित है । गृहधों को चाहिये कि वे ऐसे द्यक्षियों को देवकर उनको किसी संघ में मिलवा देवें और यदि वे न मानें तो गृहस्थ भी उनको न मानें न पूजें तथा नौकर आदि स य गव्वने वालों या यन्त्र, मन्त्र, दवा आदि करने वालों को तो मानना ही न चाहिये, न उसके साथ के मनुष्यों को फूटी

कौइ भी देना चाहिये, क्योंकि वे परिग्रह याएँ हैं, उनके साथ इतना बड़ा चेतन परिग्रह बांध देना, और पाप होगा । यह ऐसा ही है, जैसे ब्रह्मचारी के साथ कन्या रख देना । ये त्यागी गण चार प्रकार के दान का प्रसङ्ग आने पर उपदेश तो कर सकते हैं, परन्तु किसी व्यक्ति विशेष या समाज विशेष पर दबाव देकर, किसी व्यक्ति विशेष को या संस्था विशेष को कुछ भी देने के लिये श्रदेश नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना अग ढेश का कारण हो जाता है । इसी प्रकार और यम नियमादि का उपदेश मात्र कर सकते हैं । दबाव देकर बनाने नियम नहीं दिला सकते । इसका भी परिणाम अच्छा नहीं होता जो पहले बता चुके हैं । ऐसी ही अनेक बानों से तथा उनकी कथायजनन प्रवृत्ति से युक्तों को पांचों की परीक्ष हो जाती है । उपलियं ऐसे व्यक्तियों के खाने कर ; एकाफी विचरण पर नियमन कर देना चाहिये, कि जो आमतौर परहित हैं, तत्त्वज्ञान शून्य है, बोधादि कथायों तथा इन्द्रिय विषयों, ख स्वर कर जड़ा हन्दी के आधीन हैं, क्योंकि इनसे परका उपहार तो हो ही नहीं सकता, किन्तु इनके स्वयं का बहुत बिगड़ है । ये प्रकार याएँ जनों से धर्मोपदेश प्राप्ति की बात हुई । अब उनके बिहार की बात कहते हैं ।

जब काहे त्यागी-बनी, तुम्हारे ग्राम व नगर में अन्यत्र जाना चाहे तो नवर्म प्रतिमाघारी तक तो कुछ करना हो नहीं है, वे तो परम त्यागी, शांत स्वभावी, भवाधीन बिहारी हैं, जब जिस ओर उनकी हड्डा हूँह, चल दिये, न मजूर चाहिये, न रक्षक चौकीदार और न मार्ग दर्शक ही, क्योंकि पाप में न भार है, न परिग्रह के लुभ जाने का भार, न अमुक भ्यान का प्रोग्राम है, न वे किसी को करी अमुक मिती तक अमुक भ्यान में पहुँचने का बचन हो देते हैं और न देना हो ।

चाहिये, तथा गृहस्थों को भी उनको ऐसे बचनबद्ध करके पराधीन न बनाना चाहिये, क्योंकि उन्होंने दर्शन देने के लिये न्याग भाव व संयम मर्वाकार नहीं किया है, जो तुम्हारे बहने से तुम्हारे यहां आवेगे और बचनबद्ध बनकर तुम्हारे साथ २ तुम्हारी इच्छानुसार विहार देंगे । ॥१॥ यदि तुम्हारों दर्शन की व धर्मोपदेश सुनने की इच्छा है तो जहां व संसी हों, जाकर दर्शन का सकते, व धर्मोपदेश मुन सकते हों । इसलिये ये तो ग्यार्थात् विहारी हैं, सो हमें से मुनि, अर्थिका, लङ्क, चुक्तक तो चौमाता (वर्षा ऋत् समवर्ती) के यिवय अन्य ग्रन्थों में पृक् गति में लेका अधिक में अधिक पांच रात्रि तक बड़े नगर के निकट टहर सवते हैं, अधिक नहीं, क्योंकि जिनना धोड़े जन समुदाय का स्थान हांगा, उन्हीं ही जनकी लोगों में अधिक जान-पहचान हो जाएगी । अधिक संख्या वाले प्राम में कुछ समय अधिक लोगों, इसलिये यह दिनों की मर्माद पूर्वाचार्यों ने बांध दी है, क्योंकि लोगों में जान पहचान के इन यारी जनों को बया लेना देना है ? क्या व्यवहार बरना है ? मात्र भोजन के लिये ये जानपहचान नहीं करते । इसी जानपहचान में बचने के लिए तो यारी हुए हैं, और यदि अब भी वही करते रहे, तो न्याग क्या किया ? मूल्यांक तो कायम रही । इसलिए ये महापूरुष जिनने में जान पहचान न होने पावे, उनने समय के अन्दर ही विहार कर जाते हैं । चौमासे में तो त्रिमीठों की उपत्ति विशेष होजाने से ही, उनकी रक्षार्थ, इनको पृक् ही नगर या प्राम के सभी इसी प्रासुक स्थान में टहरना पड़ता है, क्योंकि अधिक जल रहने व लोगों में जान पहचान होने, उनके पारपरिक व्यवहारों का विशेष परिज्ञान होने से, गण-दूष की प्रवृत्ति करमा में हुए बिना नहीं रहती, इसलिए उनका विहार तो निश्चिन और स्वाधीन है । हम अधिक से अधिक उनके विहार में वे जिस ओर विहार

करते हों, उस ओर को निष्कंटक मार्ग दर्शने के लिए किसी आम विशेष तक जा सकते हैं।

रहे उनसे नीचे आवक ! सो वे किसी भी चेत्र में अपना ज्ञानाभ्यास बढ़ाने व चारित्रादि गुणों की वृद्धि, धर्म ध्यान का सुयोग्य साधन देखकर अधिक समय, जहां तक कि उनके भी अन्तरङ्ग राग द्वेष व कथायभावों तथा इन्द्रिय विषयों की कमी होनी रहती है, उहरते हैं और जब कुछ बाधा देखते हैं, तो बिहार कर जाते हैं, सो नवमी, दशमी प्रतिमाघारी जनों को तो मात्र मार्गदर्शक देकर बिदा करना चाहिये और उनसे नीची प्रतिमा वालों को यथायोग्य, मार्गदर्शक या मनूर या मवारी आदि का उचित प्रयत्न करके बिदा करना चाहिये। क्षम से कम उनको किसी सुयोग्य स्थान (जहां आवकों का समुदाय हो) तक पहुँचा देना चाहिये। खाय परिचिन विद्वान् तथा योग्य न्यागी, वद्यवारो आदि के भिवाय सबको लम्बे-टिकटों के लिए रूपया नहीं देना चाहिए। इसकी हाँन ऊपर बना चुके हैं, जहां तक हो भक्ते नकूद द्रव्य देने का समय ही न लाना चाहिये। रहें तब तक नो भोजन, वस्त्र, पीछी, कपरडलु, शास्त्रादि उपकरण देना और चलते समय अमुक स्थान तक पहुँचा देना। इसी प्रकार करण्यादान में भी भोजन, वस्त्र, औपधादि देना ठीक है। हां ! करण्यादान प्रयेक गृहस्थ व प्रयेक प्रणी के लिये होता है, इसलिये उसमें स्थान व नकूद द्रव्य भी योग्यायोग्य पात्र देखकर दिया जाता है, परन्तु न्यागीजनों को उसकी जरूरत नहीं है। परिप्रहन्यागी नो पैदल ही बिहार करेंगे और उसमें उनको तथा जनता को विशेष जाम पहुँचेगा, उनके चरित्र की रक्षा होगी और लोगों को सन्मार्ग का उपदेश मिलेगा, तथा परिग्रह के न्यागी न होते हुए भी यदि लम्बी २ यात्राएँ न करके मार्ग के प्रत्येक आवक

के स्थानों में, चाहे वह पग रस्ते पर हो या मोटरया रेलवे मार्ग पर, यदि ठहरते हुए बिहार करें, तो एक नो एक ही स्थान के श्रावकों पर खर्च का अधिक भार न आवेगा, दूसरे भागों ग्राम लोगों को उपदेश कालाभ और इनके सामाजिकादि ब्रनों की रक्षा होनी रहेगी, इसलिए इनको कम से कम दो तीन न्यागियों के सहू महिन विचरना चाहिए और गृहस्थों को इनका योग्य प्रबन्ध करते रहना चाहिये ।

इस प्रकार कुछ सचेष में त्यागी संघमीवर्ग की वर्तमान प्रणाली उनके और गृहस्थों के कर्तव्यों का दिग्दर्शन कराया, अच्छा हो कि त्यागी संघमीवर्ग और गृहस्थवर्ग अपने अपने दोषों को या भूलों को स्वयं सुधार लें, क्योंकि न्यागीवर्ग तो हमेशा से गृहस्थों का उपदेशक सुधारक रहा है और इसलिए यदि वह अपनी नीति व धार्मिक व्यवहार आगमानुसार कायम रखता रहेगा, तो हमेशा वह गृहस्थों का गुरु बना रहेगा; परन्तु यदि उपने अपनी वर्तमान नीति जो शिधिलता पोषक और दृष्टिपक्ष रखी है, न छोड़ी, तो उल्टी गङ्गा बहना मन्मत्त्व ही नहीं, जरूरी हो जायगा और गृहस्थों को इन त्यागी संघमीवर्ग पर नियन्त्रण रखना पड़ेगा, इनके साथ सहकार अमहकार बहिष्कार का प्रश्न खड़ा हो जायगा, तब भर्म और समाज दोनों को बहुत हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि यो ही दुर्भाग्य से जैनियों की संख्या नाम मात्र शेष है, उस में भी दिग्दर्शन श्वेताम्बरादि के भेद पड़े हैं, इसके सिवाय तेरापन्थी, बीसपन्थी, बाबू पार्टी, पश्चिमन पार्टी, सुधारक स्थितिपालक आदि कितने भेद तो हो ही रहे थे, परन्तु अब तो जो भेद भाव को मिटा कर शान्ति का स्थापक त्यागी संघमीवर्ग था, सो ही भेद भाव का प्रबल कारण बन रहा है, क्योंकि प्रायः अनेकों स्थानों में इन संघमी [त्यागीजनों] के पहुँचने से ही समाज में कृष्ण भेद पड़ जाता है, किसी को दर्शन से रोका जाता है, किसी की पूजा

बंद की जाती है, किसी का चालू भोजन बेक्षी व्यवहार रोका जाता है, कई इनके भक्त होते हैं और कई विशुद्ध हो जाते हैं, इस तरह विरोध बढ़ता जाता है, खेद तो इस बात का है, कि जिन से शान्ति की आशा की जाती थी, वे ही अशान्ति के हेतु बन जाने हैं। इसलिए यदि मंयमीवर्ग स्वयं अपने दूषित व्यवहार को न बदलेगा अर्थात् शान्ति के इच्छुक मच्चे विरक्त विद्वान् त्यागी-मंयमी अपने मार्ग में आप, अपवाद या अपवादी प्राणियों का सुधार न करेंगे, तो गृहस्थों को उनके सम्बन्ध में इन्तज़ेप करने का यत्न करना ही पड़ेगा, इसलिए अच्छा हो कि दोनों अपने अपने संघों का स्वयं सुधार करें और पक दूसरे से सहकार रखें, उनके सुधारने में सहायक हों।

(२) अब दृमरे प्रकार के गृहस्थ विद्वान् उपदेशकों के सम्बन्ध में कुछ और विचार करेंगे, यद्यपि प्रारम्भ में इनके विषय में कुछ कहा गया है, तथापि कुछ और विचारणीय है, वड यह “किन्यागी (मंयमी) आदि की मूल तो ये गृहस्थ विद्वान् ही हैं, क्योंकि हमेशा से त्यागी (मंयमी) तो गृहस्थों में से ही हुआ करने हैं, सौ यदि यह विद्वान् गृहस्थवर्ग सदाचारी, धर्मात्मा, विवेकी, अनुभवी, स्वपाहितचितक होगा, तो त्यागीवर्ग अवश्य ही पुण्य हुआ होगा।”

तात्पर्य—जिन मदगृहस्थों ने घर में रह कर यथेष्ट शीत्या धर्म अर्थ और काम पृष्ठायों का सेवन किया है, वे गृहस्थ ही मंयार शर्मीर भोगों का वास्तविक भव्यता जानकर उम्मेदोंमें वाले सुख दुःखों का अनुभव [ज्ञान] प्राप्त करते हैं और यशान् उनको नश्वर निश्चय करके विरक्त हो जाते हैं, वे ही अनन्त पुरुषार्थ [मोक्ष] के साधन करने में अग्रगत होकर सफलता प्राप्त करते हैं, परन्तु जिन्होंने घर में रह कर उक्त पुरुषायों का अविरोधन साधन नहीं किया है वे बेचारे यदि गृहत्यागो

भंगमी बन जावें तो सिवाय संयम मार्ग में अपवाह करने के और कुछ भी मफलता प्राप्त नहीं कर सकते, जैसा कि वर्तमान समय में देखा जाता है, कहा है, “जिन से घर माँहि कछु न बढ़ी, उन से बन माँहि कहा बन है” ।

इसलिए त्याग मार्ग में आने से पूर्व घर में रह कर ही मर्व प्रथम अपने सम्यक्ष्व को निर्मल निर्देष बनाना चाहिए और क्रमशः सप्त व्यष्टियों का त्याग तथा अष्ट मूल गुण पात्तन निर्देष रीत्या करना चाहिए, अठिया में स्फूल्प करके अप स्थावर जीवों की हिमा का त्याग और आरम्भी उद्योगी, विरोधी आदि दिमाओं से लाचारी से विवेक पूर्वक जिपके बिना न चल मस्ता हो अर्थात् जो अपनी वर्तमान परिस्थिति में करना अनिवार्य हो उसे उदासीता से करता हुआ भी उसमें विरक्त होवे । प्रेसे बचन जिन से स्वपर का धात होवे, निश्च वा कुंडर होवे, न बोले, अस्य न बोले, परवन्तु (अन्य के स्वामित्व की वस्तु) को आवश्यकता होने पर भी बिना उसकी आज्ञा के न लेवे, गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई व चारी आदि से प्राप्त बस्तु को प्रहण न करे, राज्य का कर चौकीमहसूल, रेल टिकट भाड़ा आदि की चोरी न करे, छोरों से स्वर्वन्ध न रखें, अपनी विकाहित छोटी में यन्त्रोष करके शेष नारी जाति में माना बहिन पुत्री दा भाव रखें, किसी को भंड बचन न लोले, कुन्तित गाली या हँसी मज़ाक न करे, यदि जल्म नहीं हुआ हो, तो न्याय से द्रव्योपाजेन करके इवकुलयोग्य सुखदृश्य कन्या में पाणिप्रहण कर सकता है, अन्यथा ब्रह्मचारी रहे, उचोजन में आकर शनकुकीड़ा या हस्तक्षिया आदि कभी न करे ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए इतनी बातों से बचेः—

‘ स्त्रीरागकथाभवण, नन्मनोरोगिवद्य, पूर्वरतानु-
स्मरण, दृष्टेष्टस्येवन, स्वशरीरसंस्कार’ इन बातों से बचे अर्थात्

जिन कथाओं नाटकों या उपन्यासों के पढ़ने सुनने से या जिस प्रकार के गानादि सुनने में कामोत्तेजन होता हो, ऐसे शृङ्खार रस के ग्रन्थादि न पढ़े, न सुने, न ऐसे खेल, तमाशे, नाटक, सिनेमा देखे । खियों के उन अङ्गों को न देखे जिनको कामोत्तेजन के हेतु या कामांग कल्पना करते हैं, अच्छा तो यह है, कि खियों का संसर्ग ही बचाना चाहिए, वह भले ही अपनी माता बहिन बेटी ही क्यों न हो ? भले वह अति बाला या बृद्ध ही हो । उन से भी कभी एकान्त में न मिले, उनके भी संसर्ग में निरन्तर न रहे वर्षोंकि मन चञ्चल और काम अन्धा होता है, न जाने कब कैमे कैसा कारण बन जावे, मन चञ्चल हो उठे, बचन काढ़ बाहिर हो जाय, शरीर अधीर बन जाय इन्यादि । खियों के वस्त्रों जैसे चादर, कम्बल, गाढ़ी, पलड़ आदि का उत्तयोग न करे, उनके झूठे भोजन भी न करे, न अपना झूंटा विसी को खिलावे, यदि कभी मिलना पड़े जैसे भोजनादि कारणों से, तो उनके सन्मुख न देखे, नीचे या अन्यत्र इष्ट रखकर भोजन करते या आवश्यक धर्म चर्चां कर लेवे और यथा सम्भव शीघ्र ही वहाँ से हट जावे या उनको खले जाने के लिए कह देवे । पहिले भोगे हुए भोगों का रमरण कभी न करे, यह बात उन में होती है, जो विवाहित हो चुके हैं और उनकी पत्नी का वियोग हो गया है या वे उसे त्याग चुके हैं या जिन्होंने अज्ञान अवस्था में कुसङ्कृति में पड़ कर अन्याय मार्ग से कुमार कालमें हो अपने ब्रह्मचर्य का धात कर लिया है, किन्तु जो कुमार हैं, विद्यार्थी हैं, जो अपने ब्रह्मचर्य से स्वत्रित तो नहीं हुए हैं, परन्तु काद्य (शृङ्खार रस के) ग्रन्थों का अध्ययन करके काल्पनिक भोगों का भावी चित्र बना लेने हैं, ऐसे निर्बल प्राणियों को मरेन रहना चाहिए, न पूर्व अनुभूत भोगों का स्मरण हो करना और न भावी कल्पनासामार में गोते ही ज्ञाना चाहिए । ब्रह्मचर्य की रक्षार्थ उत्तोक क पदार्थों का संवर्धन न करे,

जैसे पौष्टिक मिष्ठान, मेवादि भारी सुगंक, मिर्च, स्वराई आदि तीक्ष्ण ममाले, बाजारू गन्दी मिठाइयां, नशे करने वाली सभी मादक वस्तुएँ, बीड़ी, मिश्रेट, गांजा, भांग आदि सोडा, लेमनेड, कुलफी, मलाई आदि न खावे—पीवे । स्वशरीरस्कार अर्थात् अपने शरीर को नाना प्रकार से मन व हृत्क्रियों को विकृत करने वाले वस्त्राभूषणों से सजाना, जैसे नाना प्रकार के फैशनेकुल बालों का रखना, उनको अनेक प्रकार से सुगंधित तेलों से रंजित कर के कंधी करना, सायुत छागा छगाकर नहाना, पतले और विदेशी वस्त्र, विदेशी चाढ़ ढाल के वस्त्र पहनना, हृत्यादि स्वपर को विकार उत्पन्न करने वाले सभी शृंगार न करे ।

तात्पर्य—सादा भोजन और सादा वेष रखने, आजीविका के समय के अतिरिक्त शौच भोजन, शयनादि आवश्यक क्रियाओं का समय निश्चित कर लेवे और शेष समय ज्ञान अभ्यास में, स्वसमागम में, देवार्चन व ध्यानादि में लगावे, एकान्त में तन्वों का भनन करे, जोर में या मध्यम स्वर में जिनगुणस्तत्त्वादि करे स्वाध्याय में काल निर्गमन करे, इस प्रकार वृद्धिर्थ की रक्षा हो सकती है । अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार आभ्यंतरिक कथाओं को रोकने उन पर अधिकार प्राप्त करने के लिए, बाह्य धन धान्यादि, परियहों का प्रमाण कर लेवे और न्याय मार्ग से उनको प्राप्त करने के माध्यन करता रहे, प्रमाण से अधिक संघर्ष की चेष्टा न करे । अपने उपार्जित या पुण्योदय से प्राप्त धन में से ही स्वशक्ति अनुसार आहार, आंषषि, ज्ञान (शास्त्र) व अभ्यादि दान देना रह, क्योंकि जो सदा कुछ न कुछ न्याग, भक्ति या करुणा से, करता रहता है, वह अवसर आने पर सर्वश्व भी न्यागकर सकता है, परन्तु जिसको न्याग, (दान) का अभ्यास नहीं है उसे करार्जित दुर्भाग्य से धन की, चौरादि द्वारा या व्यापारिक बाटे के कारण हानि उठानी पड़ती है या आयु छींख होने प्रादि कारणों से

मरण के सम्मुख होना पड़ता है, तो वह जीव धन के मोह से दुखी होकर आर्त-रौद्र भावों से मर कर दुर्गति में चला जाता है, ऐसा प्रश्न इस जन्म में त्याग (संयम) तो कर ही नहीं सकता है, इस लिए सर्वद्वच अपनी कर्माई का कुञ्ज अंश परापकार में लगाते रहना चाहिये ।

गुणी जनों का आदर करना, समस्त जीवों में मित्र भाव रखना, दीन जीवों में कर्माभाव रखना विमुख प्राणियों या पदार्थों में उपेक्षा भाव रखना, विचारना कि 'जग के पदार्थ सारे, बतें हच्छानुपार जो तेरे तो तुझको सुख होने, पर ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि शाश्वत परिणामन उनका, उनके आधीन रहता, तू निजाधारन चाहे सो वृथा खेद करता' इस प्रकार का अभ्यास जो गृहस्थ या विद्यार्थी अपने गृहीजैवन या विद्यार्थी जीवन में करता रहता है, उसका गृहस्थजीवन तो आनन्द से अपवाद रहित रहता ही है, किन्तु यदि वह त्याग मार्ग में आता है तो एक आदर्श त्यागीबनकर स्वपरहित करने में समर्थ होता है, धर्मप्रभावना का एक अङ्ग बन जाता है, उसका साध्यमीजनों में वास्तव्य होता है और साध्यमीजनों की उस में अद्वा-भूति होनी है । वह याचना करना सो घोरान्धोर पाप समझता ही है, परन्तु यदि कोई उसे अक्षिपूर्वक वस्त्रावि भेट करता है, तो भी आवश्यकता से अधिक स्वीकार नहीं करता, यो भी पहिले की जीर्ण शीर्ण वस्त्रों के बदले ही और वह भी शुद्ध खादी के स्वदेशी भोटे यादे, द्रव्य जैसे स्वीकार करता ही नहीं है यथाशक्ति क्रम २ में पैदल यात्रा करता है और गृहस्थों के घर बनाया दुष्टा गुद्ध सारिवक सादा हुलका भोजन स्वीकार करता है, जबकि प्रतिमा से वह परम निष्ठूद्ध, निर्भीक, धीर वीर गद्मीर महान्मा बन जाता है और दशमी प्रतिमा से आगे नो तभी बढ़ता है जब कि वह पूरी तौर से यह स्वातरी कर लेता है, कि अमुक प्रानों व उनके जिज्ञासा में निष्ठ २

रहने वाले ग्रामवासी जैनो भाई स्वयं अपने घरों में शुद्ध भोजन ही प्रहण करते हैं। अर्थात् गृहस्थों के घर स्वभाव से शुद्ध भोजन बनता है और वे किसी भी न्यागी व्रती के लिए दोहरे नवीन योजना नहीं करते, किन्तु उनको अपने घरों में तैयार हुआ शुद्ध भोजन ही चिना संकोच या चिना हिचकिचाट के दे देते हैं, उसमें उनको न तो द्रव्य का नया खर्च उठाना पड़ता है और न समय ही अधिक लगाना पड़ता है और न व्यापारादि किसी कायं में हानि ही होती है। अर्थात् उनको किसी अतिथि को उपके पद अनुमार भक्ति व व्यद्धा से भोजन करा देना एक साधारण नियम करनेवाला हो गया है, ऐसी प्रवृत्ति जब वे गृहस्थों में देख जान लेते हैं, तब ही उद्दिष्टन्यागद्वय ऋतीकार करते हैं, अन्यथा वे दशमी प्रतिमा से आगे नहीं बढ़ते। इतने से मंतुष्ठ रह कर आगे के लिए लंबे तैयार करते हैं, लोगों को शुद्ध व्याजा, शुद्ध बनाना, चौका शुद्ध रखना आदि जाते सिखाते हैं दशमी प्रतिमा में वे अपने लिए या लोकिक कार्यों के लिए अनुमति नहीं देते, परन्तु अपने हेतु बना हुआ भोजन ऋतीकार कर सकते हैं, किया धर्म का उपदेश दे सकते हैं दान की विधि बना सकते हैं, धर्म कार्यों में माव धर्मप्रभावनार्थ अपनी समर्पिति दे सकते हैं, वे उद्दिष्ट न्यागी नहीं होते, परन्तु होने के लिए उम्मुक रहते हैं।

इस से नोचे अष्टम प्रतिमा वाले अपना निजी कुछ द्रव्य रखते हैं और जस्तरत पहले पर उसी में से खर्च करते रहते हैं और जब वह खर्च हो जाता या अन्य प्रकार से नष्ट हो जाता है, तो नवमी प्रतिमा प्रहण कर लेते हैं, ये नवीन कमाई नहीं करते न गृहस्थों में ही लेकर सप्रह करते, मर्दव नवमी प्रतिमा के लिए तैयार रहते हैं और नोचे सप्तमादि प्रतिमा वाले स्वपुरुषार्थ से द्रव्य कमाने हैं

और अपना ब्रत संयम पालते हैं, किसी भी व्रती संयमो में दीनता या याचक वृत्ति कभी भी नहीं पाई जायगी, यह तभी हो सकता है जबकि घर में रह कर जिन्होंने अपनी विषय वासनाओं को भोगों का अनुभव करके या अपने ज्ञान वैराग्य के बल से नष्ट कर दिया है, जिन का गृहस्थ जीवन निरापवाद भीता है, जिन्होंने घर में ही साधु जीवन का अभ्यास किया है जिन को अब कोई इन्द्रियविषय पूर्णि को या कषाय पोषने की आकांक्षा नहीं रही है जो पुरुषार्थी है, धर्मात्मा धर्म और धर्मी में प्रीति रखने वाले हैं, द्रव्य कमाकर जिन्होंने उसे उचित-सीला भोगा है वे भला त्याग मार्ग में क्यों नहीं आदर्श होंगे ? अवश्य होंगे । इसलिए ऊपर बताये अनुमार गृहस्थजनों को स्वयोग्य आचरण पालना चाहिए, समाज के समस्त विद्वानों को शुद्ध (कियो-कोष के अनुमार) भोजन का नियम कर लेना चाहिए, जबकि आगम का बचन है कि पंचमकाल के अन्तिम दिवस तक मुनि, आर्यिका, आवक, आविका मिलेंगे, तो फिर क्या कारण है कि वर्तमान पंचम काल के प्रथम पाद ही में मुनि आर्यिका उद्दिष्ट त्यारी श्रावकों की चर्या में बाधा आने से ये पद उठ जावें (बंद हो जावें) जब आज भी नगन दिग्डबर लिंग धारण करने वाले साहसी पुरुष देखे जाते हैं । यद्यपि वर्तमान उच्च संयमीजनों में विद्वान् व्यक्ति बहुत कम हैं, तथापि संयमी-जनों का अभाव नहीं है, उनमें जो दोष चर्यासम्बन्धी लगता है, वह गृहस्थों के आधीन है, यदि ये लोग स्वयं शुद्ध स्वानपान करने लगें और लिंगमोहवश जो नवा और अजोड़ आदर्श करते हैं, जैसे संयमियों के आने पर मिष्ठान आदि विशेष २ भोजन बनाना, रमोहृ घर में संयमी के हेतु मेवा फल वगैरः एकत्र करना आदि छोड़ देवें और प्रातःकाल प्रथम पहर बीतने पर लगभग २ बजन्टे तक संयमीजनों के आगमन को बाट देखें, यदि पुरुयोदय से प्राप्त होजावें,

तो उनको मंविभागरूप से आनिथ (भोजन) कराकर पश्चात् आप महपरिवारभोजन करें, हयो प्रकार शाम का तीसरे पहर के पश्चात् डेढ़ घन्टे तक मार्ग देखकर भोजन करे, यदि उत्तम, मध्यम, जबन्य आदि पात्र न मिले, तो हुँचित ब्रह्मुक्ति जीवों को करणा करके भी कुछ दान अवश्य देवें। आज कज़ हर जगह उद्दिष्ट भ्यागियों के भोजन की चर्चा चलती रहती है कि ममी उद्दिष्ट त्यागी, उद्दिष्ट भोजन प्रक्रिया करत हैं और इन लिये सथम के मृत म धुन लग जाता है इत्यादि। परन्तु खेद तो यह है कि ऐसी चर्चा करने वाले गृहमयों ने भी तो गत पन्द्रह वर्षों में जब से कि उद्दिष्ट त्यागीजनों की विशेष अख्यावृद्धि हुई है, अब तक शुद्ध भोजनपात करना स्वीकार नहीं किया और तो क्या कम से कम अपने घर चाँक, जो भवाधीन हैं, शुद्ध न बनाये। समाज के विद्वान् धर्मशास्त्रों के वेता परिदृष्ट जनों ने भा शुद्ध भोजन पात का नियम न लिया, अपनी निर्मल स्वच्छन्द बान पात की प्रवृत्ति को बरोका और सम्मानोचना तो कायम रही, भला जब ये गृहस्थ और धर्म के मर्म को जानने वाले विद्वान् भा अपने आप को न सुधार सके तो वे संयमी जिन्होंने देखाएँवी या दबाव में आकर या स्वाति लाभ पूजादि की इच्छा से ही, अवरज्ञातहोत होते हुए भी, बिना ज्ञान अद्वान और वैराग्य के ही भेष धारणा कर लिया है, अपनी भूलों कैसे स्वीकार करते, छोड़ते ? इस पर भी इन विद्वानों ने उनकी भूलों को उन्हें न बताकर उल्टा भोजी जनता को गुण रूप से बताया और दूधित संयमीजनों को सज्जों की भाँति पुजवा दिया, फल यह हुआ कि सदोष अकिञ्चन अपने को पूज्य पदारूढ़ देखकर और विद्वानों को अपने समर्थक जानकर और भी स्वच्छन्द बन गये, नाना प्रकार अकथनीय दोष जागाने लगे, कोई तो डसी भेष में और कोई भेष त्यागकर कुमार्ग में प्रवेश कर गये, अब विद्वानों ने ऐसा क्यों किया ? तो कितनेकों ने तो

इसलिये समर्थन कर दिया, कि किसी प्रकार पीछा छूटे, ऐसा न हो कि महाराज कही इम लोगों को भी संयममार्ग में आने या शुद्ध भोजनादि का नियम कर लेने का हठ पकड़ बैठें, तो वडो मुश्किल होती। इसलिये उयों न्यों बातें बनाकर मौका देख खिमक जाते, या सामने पड़ ही गए, तो नियम पालन करने में असर्थता दिखाई। तब लोगों को आवाजें होने लगतीं जब तुम स्वयं भृष्टाचारी हो, तो तुमको दोष दिखाने का क्या अधिकार है, चुर रहो ! इत्यादि। इसके खिलाफ कितनेक स्वार्थवश हो इन सदाषीजनों को हाँ में हाँ मिलाकर अपना स्वार्थ-साधन करते रहे, गुजरात के पेथापुर ग्राम में भेदी मुनीन्द्र मण्डला ने चौमासे का स्वांग किया था, वहाँ एक न्यायीर्थ परिहतजी अपने समूह माले आदि परिवार सहित आगए थे, चौमासे में बेतनादि के बहाने हजारों रुपया तो लं ही चुके थे, परन्तु तृष्णा फिर भी न मिटी इस लिये मुनीद के नाम से ५ प्रेस भोजलने का प्रसन्नात्र कर दिया, रुपये भी लगभग १२००) के इकत्र होगए, परन्तु प्रेस गुजरात भावतगत में न आका परिहित जी के घर पहुँच गया, जोग समझ गए, और किसी प्रकार से प्रेस वापिस भावतगर मैंगा लिया, तापर्य अनेकों ऐसे न्यायी पिटटू साथ लग जाते हैं और मूर्च भेदा को मान पर चढ़ा बढ़ाकर अपना स्वार्थ साधते हैं, भोजी जबता भेद मात्र में ठगाई जाती है ? इस प्रकार समाज में संयम के स्थान में ढोन पूजा व पुजाया जारहा है ।

मैं हमा चाहना हूँ, परन्तु कटुक संय कहे बिना नहीं रह सकता, मैं तो यहो कहूँगा कि यह सब दोष धार्मिक परिहित विद्वानों का है, प्रथम नो यह कि वे स्वयं न्याग संयम मार्ग में नहीं आते और इसी लिये वे मृण्डे दोगों व दोगिओं का प्रतीकार भी नहीं करते, नहीं तो क्या कारण है कि समाज में आज अनेकों अच्छे गण्यीय विद्वानों के होने हुये भी इस प्रकार अज्ञाती जनों के द्वारा संयम मार्ग दूषित किया

जाय । क्या उनका उपदेश दूसरों ही के लिए है ? क्या वे “दीपक के नीचे औंधेगा” वाली कहावत चरितार्थ नहीं करते हैं ? यदि नहीं तो क्यों नहीं आगे बढ़ने ? यदि वे मानते हैं कि द्रव्य ज्वरकाल भाव उद्दिष्ट-आगादि संयम के अनुकूल नहीं है, तो उनको या तो अनुकूल स्वयं आदर्श बनाकर बनाना चाहिए, या मिलकर घोषणा कर देना चाहिए, कि हम सभ्य कोई उद्दिष्ट न्यायी नहीं हो सकता, हमलिपि कोई ऐसा उंचा संयम धारणा न करे और समाज को सूचित कर देवे कि अभी उद्दिष्ट न्याय संयम के बोग्य [डपयुक्त] सभ्य नहीं है, जो कोई ऐसा रूप बनावे, तो उसे न मानना चाहिए, अन्यथा संयम का अपवाह हो जायगा इन्यादि । यदि द्रव्य ज्वरकाल अनुकूल हैं तो सबको हैं, यदि अपद् जनों को हैं, तो पड़े लिखे सज्जनों को तो और भी अधिक अनु-कूल है, हमके चित्राय रुदाचित् उद्दिष्ट न्याय त बने ते उत्तम इशार प्रतिमा । मध्यम ६-८-९ आदि प्रतिमायें या जवन्य प्रतिमायें तो हो सकती हैं, शुद्ध खाद्यपेय तो अब भी भारत में प्राप्त है, आटा घर में अपनी महबिमियों में पिमवाओ या आप पीप लो, कुआँ, नदी, तालाब आदि जलाशयों का पानी लाओ या निरामिष भोजी, मधुपानादि न करने वाले मदाचारी पुरुषों से मंगालों, दूध स्वयं अपने बासन में निकलवा लाओ और अन्दर मर्यादि के गरम करलो, वी ग्रामों में श्रावकों के घर का मिल सकता है सो मंगा रक्खो, दाल चांचल शुद्ध है ही, ममाला नाजा पीसकर ढालो, दिन में बनाओ और दिन में खाओ ? भोजनात्मक में चट्टेशा बांव लो, हवादार प्रकाशदाला रसोई घर रक्खो, बस ! शुद्ध हो गया, मदाचार से रहो, अपनी प्रमाणिकता का मिकड़ा लोगों पर बैठा दो इन्यादि, यह तो कर सकते हैं । इसलिए अच्छा हो कि पणिङ्गनगण स्वयं सुधरें और उनकी जो समाज में समाजोक सच्ची हो रही है, यथा दिष्या रसे औंधेगा होता है, वे तो पुराण

के भया (बैंगन) आगने योग्य है न कि खाने के, हाँथी के दांत दिखाने के और, खाने के और होते हैं, ‘‘परोपदेशो पाडित्यं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरणं नर न धनेरे । बान कान भूपग धरन करन स्वहा पग धार । कथनी कर करनी करें ते बिले संधार ॥ कथनी को मन शुरमा कथनी को काचा । कथनी कर करनी करे आनन सो सांचा ॥ परिडत और मशाल्ची इनकी उल्टी गह । आँखों को तो गैल बनावे आप आँधेरे जाह ॥’’ इत्यादि से दूर करके बताए देवें फि वास्तव में ये कहावतें विद्वानों पर लाग् नहीं होतीं, परिडतजन तो परिडत ही होते हैं, वे जैमा कहना जानते हैं वैसे ही उनका करना भी आना है । उनका कथन पहिले उनके लिये है, पीछे आँखों के लिए है उनका ज्ञान, उनके सञ्चरित्रवद्धि के अर्थ हैं, उमसे और काँहे सुमुद्र ज्ञान उठावे या न उठावे, परन्तु वे तो उठावेंगे ही इत्यादि । अपने आचरणों से दिखावें । जब विद्वान् परिडत धर्मोपदेशक आदर्श होंगे, तो उनका उनकी शिष्य मरहड़ली पर और श्रोताओं पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा । इमलिये, जैसे आदर्श माता पिता अपनी सन्तान के मन्मख कोहे ऐसी दान नहीं करना, जिसका अनुकरण करके बालक कुमार में चलने लगें । उसी प्रकार, किन्तु उमसे भी अधिक आदर्श गुरु का शिष्यों पर परता है, गुरु चोर व्यभिचारी अभक्षभक्षी है, तो शिष्य उमसे भी अधिक होंगे और गुरु सदाचारी प्रमाणिक है तो शिष्य भी वैसे ही बनने का प्रयत्न करेंगे । इमलिए परिडतों को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, अन्यथा समाज को हमनष्टकरण करना पड़ेगा और करना भी चाहिए, इमलिए समाज का कार्य है कि वह केवल कागजी घोड़े सवारों नीरं आदि पर्वक्षोनीर्णनों का मार्टिफिकेट प्राप्त) को ही न देवें, किन्तु मञ्चरिता पर भी विशेष ध्यान देवें, असदाचारी, यांदिया, अभक्ष और अमर्यान्ति अनुपसेष्य पदार्थ याने वाले लोगों को जब तक वे अपना अभ्यास

नहीं सुधारते, आश्रय न देते। उनको अपने बालक बालिकाएँ न सौंपें, हतना ही नहीं उनको शुद्ध खान- पान आदि के लिए प्रेरित करें, मात्र बालूनी जोगों को आश्रय देना चरित्र को धान करने वाला है।

जैसे विद्वानों के लिये यह बात है वैसे ही छात्रों (विद्यार्थियों) के लिये भी है भले वे अभी बालक हैं, परन्तु वे ही हमारी समाज के भावी अध्यापक धर्मोपदेशक त्यागी संयमी हैं उनके संम्मान यहीं से पढ़ते हैं, जो जीवन पर्यन्त नहीं छृश्चते हमलिष्ट। उनको अपने बाल्य-कल विद्यार्थी जीवन] में ही मन्त्र बोलने, शिष्टाचार पालने, गुणीजनों का आदर करने, इवालंबन असौर्यता, ब्रह्मचर्य, निर्लोभता, उदारता, मादगी, विनय सम्पन्नता, निर्भीकता, धीरता, वरना, माहस, मंयम, हन्दियदमन, महनशीलता, गौवरचा, धार्मिक धद्वा, जान, क्रिया आचरण आदि सद्गुणों का अभ्यास अपने परीक्ष्य विषयों के साथ २ करने रहना चाहिए। विद्या धियों को मादा भोजन मादा वस्त्र, पुस्तक और अध्यापकों की ही आवश्यकता है, जिसका कि प्रबन्ध प्रन्येक विद्यालय, ब्रह्मचर्याश्रम आदि संस्थाओं में है ही, परीक्षा के समय पशीचालय की फीस व मार्ग व्यय भी मंस्थायें करती है, फिर विद्यार्थियों को नकद रूपयों की किसलिये जरूरत पड़ती है ? यह विचारणीय है, बहुत से विद्यालय भोजनादि के अतिरिक्त छात्रों को मामिक ॥ ॥) १) आदि छात्र वृचियां भी देते हैं जो मर्वथा अनुचित हैं, वे बालक उम नकद रकम का क्या सदुपयोग करते हैं ? मो तो मंस्था संचालक खब जानते हैं, परन्तु बालक नाराज होकर भाग न जाय, हमी दर से वे आंख मिर्चीनी करते हैं, परन्तु इसमें बालकों का जीवन और समाज का भविष्य स्वनरे (जोखम) में पड़ जाता है हमारे विद्यालयों के भावी धार्मिक परिणन छात्र भी अब पाश्चात्य विद्याउभ्यासी छात्रों की नकल उनके स्वानपान रहन सहन पोशाक लिवास फैसल आदि में करने जाएं हैं,

परन्तु उनकी कोई अच्छी बातें नहीं मिलते उनके जैसे बाल रखना, टोपी कोट कमीज पतली धोती पहिनना वृट, चट्ठे धारण करना, स्लोमचा आदि से चलते फिरने स्वाना, अभ्रच्य खाना होठों में स्वाना अधिक धुलाई दे देकर स्थी किए हुए कलफदार करवे पहिनना, नेक-टाई कालर लगाना, चश्मा चढ़ाना, गिस्टवाच पहिनना, तेल, मावून लगाना आदि सभी बातें विद्यालयों के छात्रों में देखी जाती हैं और खूबी यह कि समाज के पैमं से, विद्यालय में अनपेड दाखिल होते हैं और फिर धीरे २ प्रमाज के श्रोमान् उदार जनों का परिचय पाकर दीनना के पत्र लिख लिखकर गरीबो दिखा दिखाकर पैमा मंगा लेते हैं और उससे मोज शौक उड़ते हैं 'मुझनी माज दिली बेगम' यह चिनिय करते हैं, आपप में पार्टियां बनाते हैं हड्डाल पाइते हैं, कुंडी शिकयतें कभी स्वाने की कमी पहिरने की हृत्यादि हृतर उधर करते और अपने स्वच्छन्दी ध्यवहार के विगोधो गृहपनि अध्यापकादि का विरोध करते, उन्हें बदनाम रहते नीचा दिखाने की या निकलवाने की चेष्टा करते हैं, त चज्जने पर या दिवाव पहने पर कट से भाग जाने और अन्य विद्यालयादि संस्थाओं में दाखिल हो जाते हैं, जिस पूर्व मन्थाने उनको पराया लिखाया, भरण पोषण करके याय बनाया उसके माथ कृत्प्रता करते हैं, द्रोह करते हैं, इनमें यहीं से ब्वार्यवृत्ति, विषय लोलुपना हैर्या, ढाह, द्वेष, कोष मिथ्याभिमान, लोभ आदि दुरुण भर जाने हैं जिससे विद्यादेवी की उपासना में रीछे पह जाने हैं और किसी तरह खींच नान के पाप नो हो जाने हैं, परन्तु आना जाना कुछ नहीं, एक न्याय विशारद से रनकरंड के श्वोक पूछे, ब्रह्म मंग्रह की गाया का अर्थ पूछा, छहदाला के कुछ मामान्य प्रश्न किए, परन्तु उत्तर में मौन मिला, परन्तु विशारद जी के माथे पर बालों का गाया 'गुच्छा था ।

नायर्य-ये हमारे भादी धर्मोपदेशक अध्यापक धर्मशिल्पक, जिस प्रकार तैयार हो रहे हैं उनसे धर्मोद्धारित या समाज नथा देश सेवा की भावना करना, नीम के झाड़ मे आम खाने की आशा के महश हैं, क्योंकि इन हमारे छात्रों में, न विनय है, न उत्साह है, न साहस है, न आर्थिक या शारीरिक बल है, न विद्यावुद्धि का बल है, न हस्तों उदाग करना आता है, बोक्खने की चतुराई तक भी नहीं है, परीक्षाएँ पास करके नौकरी की तलाश में मारे २ फिरने हैं, यदि नौकरी मिल गई तो वहां या तो य टहर नहीं सकते, या पृथक् कर दिए जाने हैं, भूत्य से दोहरे नीचण बुद्धि पंडित ने कहीं कुछ पाठशाला आदि में कुछ काय टीके चलाया भी तो थोड़े दिनों में यत्र तत्र जिखा। पटी करके भाग जायेंगे और बनी बनाई पाठशाला बिगड़ जायगी, इसका इनको कुछ भी दुख नहीं, न ये इसमें अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कहा तक कहें ? इन भावी कर्णधारों की विविच्छ ही दशा है । समाज को चाहिए, तक विद्यार्थी वर्गों का सुधार करे, प्रारम्भ से ही उनमें अच्छे मन्तकार भरे भार्मिक भाव भरे कियाकाढ़ पिंवारें, उनमें बल पुरुषार्थ साहस उत्साह सेवा विनय चतुराई आदि गुणों का विकाश जैसे हों वैसा यत्न करे ।

जो उदार सज्जन विद्यार्थियों को छात्रवृशियां देते हैं, उनका कर्तव्य हैं कि छात्र की अर्जी आने पर यदि उनके यहां छात्रवृत्ति खाली है, या वे सहायता देना चाहते हैं तो वे जिस संस्था मे वह बालक रहता है, पढ़ना है, यथा बोडिंग, विद्यालय, गुरुकुल आदि उसके संचालक सुपरिनेंट, मन्त्री, सभापति, सुख्याऽध्यापक, प्रिनिपल आदि से उमकी व्यवस्था, पढ़ाई व परिशिथति का ज्ञान प्राप्त करके ही उचित समझें, तो सहायता देवे, अन्यथा दूसरे सुयोग्य छात्रों को देवे ऐसा न हो। कि सुयोग्य छात्रों के मुख का ग्राम चालाक

अयोग्य छात्रों को पहुंच जावे और बिचारे होनहार सुयोग्य छात्र दब्या-भाव या सहायता के अभाव में विद्या चिह्नीत रह जावें।

प्रायः देखा जाता है, कि अनेक छात्र अमुक न स्थानों में अपनी गरीबी बताकर अनपढ़े दाखिल होजाने हैं और फिर पुस्तक, फूटे कपड़े आदि नाना प्रकार के बहानों से एक एक छात्र अनेकों जगह से छात्र वृक्तियां प्राप्त कर लेता है और फिर उसमें भौज भौक उड़ाता है, कतिपय चतुर चालाक छात्र, तो छात्रवस्था में इनना भाष्मिक प्राप्त करके स्वर्च करते हैं, कि वे उतना क्या उसमें पैना अथा भी विद्यार्थी जीवन के बाद पैदा नहीं कर सकते और बिचारे बहुत से बिना मदद के पढ़ना छोड़ बैठते हैं। ये छात्र अपने दातारों से सीधा मनोआई मंगाते हैं, कभी २ नगर निवासी अमुक जनों के पास से मंगाते हैं जिससे संस्था के संचालकों को पता न लगे, ये दातारों को लिख देते हैं, साहिब कृपया हमारे गृहपति या अधिष्ठाता व मन्त्री आदि को मालूम न होने दें, अन्यथा वे संस्था में जमा कर लेंगे, मुझे कुछ न मिलेगा, गृहपति मुझसे नाराज रहते हैं, मैं उनका निर्जी काम नहीं करता हूँ, हम्योंसे वे नाराज रहते हैं इन्यादि बातें बनाकर मनलटा साध लेते हैं, ऐसी दशा में दातारों का कर्तव्य है कि वे छात्र वृनियां तथा अन्यान्य प्रकार से विद्यार्थियों और संस्थाओं को सहायता नी अवश्य दें, परन्तु विवेक पूर्वक खूब छान-बीन करके संस्थासंचालकों के द्वारा ही दें, संस्थासंचालकों की शिकारिस के मिवाय न दें, क्योंकि जिनकी स्वास सामाजिक संस्थायें विद्यालय, गुरुकुल, आश्रम आदि हैं उनमें तो छात्रों को भोजन वस्त्र पुस्तकादि प्रायः सभी स्वर्च संस्थाओं में ही होता है, इजामत व बस्त्रादि घोने का भी स्वर्च संस्थायें करती हैं, तब उनको और किस स्वर्च की ज़रूरत रहती है कि जिसके लिए यांचता भिजावूसि करनी पड़ती है, हमके सिवाय यदि

अच्छे नम्बरों में उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो परीक्षाकर्यों से व संस्थाओं से परिस्तोपिक भी मिलता है, जो उनके विशेष साहित्य संग्रह में उपयोगी हो सकता है, इसके सिवाय मात्रा पिता का भी तो कर्तव्य है, कि संस्थाएँ और समाज जब उनके बालकों का सब खर्च उठाती हैं, तो वे अपने ही आत्मजों को शक्ति अनुमार बख या पुस्तकादि में चार आना से लेकर ऊपर जितनी उनकी शक्ति हो, उसे, धर्म की दुहार्दृष्ट्यक न छिपाकर सहायता करें, वे जब उनके जगतादि में सैकड़ों डिजार्ड खर्च कर सकते हैं, नुक्ते आदि मौसरों में लगा सकते हैं, तब अपने बालकों की पढ़ाई में क्यों नहीं लगा सकते ? क्यों वे समाज को धोखा देने हैं ? सार्वजनिक रूपया स्थीरता की जघन्य आवनाएँ रखते हैं ? अपने बालकों में दीनता, याचना, भीरुता, छुल आदि दुरुण बढ़ने का अवयर क्यों देने हैं ? सभी माता पिता, सर्वथा, असमर्थ नहीं होते, न सभी बालक अनाथ होते हैं और जो बास्तव में असमर्थ या अनाथ हैं, परन्तु होनहार बालक हैं तो उनका पूरा पूरा स्वर्च संस्था को ही करन्त चाहिए, ताकि बालकों में याचनादि दोष न आने पाएं, वे दीन कायर न बनें, पह स्मरण रहे कि 'जब तक बालक स्वपुरुषार्थ से कमाना नहीं जानता और वह विद्यार्थी है, तो उसके भोजन बख, पुस्तकों की आदि जल्दी कार्यों को सुयोग्य व्यवस्था कर ना चाहिए, परन्तु नकद पैसा रूपया कभी न देना चाहिए, क्योंकि वे नहीं जानते रूपया कैसे आता है, इसकी क्या कीमत है ? इसलिए चिना परिश्रम के कमाया हुश्रा (भले ही घर का हो या समाज व संस्थाओं का) रूपया अनावश्यक रीन्या उड़ा देंगे, इतना ही नहीं, किन्तु भय है कि कहों इस रूपये से वे किसी व्यवनादि में न फँस जावें, नाटक सिनेमा देखते २ इधर उधर भी देखने लग जावें, इसलिए नकद रूपया उनको खर्च के लिए देना ही नहीं, परन्तु उनकी आव-

श्यकनाश्रों की पूर्ति अवश्य कर देना चाहिए, जिससे उनको विद्या की प्राप्ति में बहु भी न हो, वे निविद्यन्तया निश्चित होकर पढ़ें और व्यसनादि से बचे रहें” ।

डदार दानी समाज का इस बात पर ध्यान रहना जरूरी है, उनको मात्र बालक के दीनताभरे पश्चों पर ही करणा न आना चाहिए, किन्तु विवेकर्ण करणा होना और खोज करके ही छात्र वृत्तियां देना चाहिए और संस्थाश्रों के मुख्य संचालकों द्वाग, छात्र-वृत्ति पाने वाले छात्रों से मात्रिक दिमाक भी प्राप्त करना चाहिए उस हिसाब पर संस्थाश्रों के मु० मना० के हमनाज्ञर देखना चाहिए और जो सर्व दुश्मा है उसके औचित्यान्वित्य पर विचार करना चाहिए, नथा जिस वाचन मंदेव हो उसका खुलासा पूछना चाहिए, यदि खुलासा ठीक न हो तो छात्रवृत्ति उसकी बंद कर दूसरे छात्र को देना चाहिए, उचित अनुचित यों विवाग जा सकता है, कि माधारणर्ण्या, करड़े की धुलाई देगी धोवी को)। या)॥ फी कपड़ा देनी पड़ती है, परन्तु उन्हों कपड़ों को कम्पनीमें धुलाने से अधिक धुलाई लगती है, माधारण्य हजामत -) में होती है, परन्तु हेयर कटिंग मेलून में बाल कटाने का चार्ज बहुत अधिक लगता है, मिजाई का भी यही हाल है मामान्य दूकानदार दर्जी कम पैसे में मीं सहना है, परन्तु कम्पनी (ट्रेर) में अविक चार्ज किया जाता है, देशी खदार बहुत दिन चलने वाला, परन्तु साधा होता है, परन्तु विदेशी कपड़ा चमकदार साफ कम चलने वाला होता है, गरी रक्षा दोनों में होती है, इन्यादि बातें पेमी हैं कि जिनके जांच काने की व्याप जरूरत है, पेसा अनावश्यक खर्च या मौज शौक, जब चाहे, छात्र कर सकता है, जब आवश्यकता से अधिक द्रव्य उसको एक या अनेकों जगह से प्राप्त होता है ।

प्रायः बहुत से विद्यार्थी अनेकों स्थानों से छात्रवृत्ति प्राप्त कर लेने हैं और जिसकी खबर छात्रवृत्ति देने वाले सज्जनों को मालूम नहीं पड़ती, छात्र तो उनको प्रकट नहीं करते और वे (दातार) पूछते नहीं हैं, इन प्रकार से दृष्ट्य का दुरुपयोग तो होता ही है, साथ ही बालकों में फ़ंशन आदि नुरुणा बढ़ जाते हैं, वे किजूबखच्ची हो जाते हैं, और उनके भावी जीवन के दुखद या पापमय हो जाने की संभावना हो जाती है। इसलिए छात्रवृत्ति देते समय यह भी जान लेना चाहिए, कि छात्रवृत्ति मार्गने वाला छात्र अन्य स्थानों से भी छात्रवृत्ति लेना है क्या ? और ऐसी शर्त भी कर लेना जरूरी है, कि यदि इसको पीछे यह विदित हो जायगा, कि और स्थान से भी छात्रवृत्ति लेना है तो इस आगामी कालमें तो छात्रवृत्ति ढांड कर ही देंगे, परन्तु पिछली दी हुई छात्रवृत्ति भी तुमसे आकायदे वापिस ले लेंगे, इन्यादि। मैंने यहां विशेषकर प्राइवेट सम्पाद्यों के, संस्कृत तथा धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर ही विशेष लक्षण करके लिखा है, परन्तु उमसे, प्राकार्यविद्याइयासी या उद्योग हुनर सीखने वाले छात्र बच नहीं जाते, वे चाहे बोर्डिंगों (जैन छात्रालयों) में रहने हों या उमसे बाहर, परन्तु वे तो इस विषय में नियुण और पालिसीबाज (चतुर) होते हैं, इसलिए वे तो बहुत अधिक और अधिक स्थानों से बड़ी युक्ति से राजी करके छात्रवृत्ति या सहायता प्राप्त कर लेते हैं और इनसे अधिक अनावश्यक खर्च करते हैं, इस पर धर्मशिक्षा लेने में या तो कन्है इनकार ही कर देते हैं या बेगार समझ कर केवल इसलिए लेते हैं कि छात्राश्रम का नियम है, उसको पालन करना ही पड़ेगा। अन्यथा यहां गह नहीं सकेंगे इन्यादि। अभी हाल का ही एक दृष्टांत है—दो विद्यार्थी एक बोर्डिंग में तीन मास से रहते थे, वे स्वलच्च से रहते और अपना भोजन आपही बनाकर जीमते थे, किन्तु बोर्डिंग

अधिकारियों ने उनको रहने का मकान इस शर्त पर दिया था, कि वे नियमानुसार धर्म शिक्षा लेते रहें, इसलिए गृहपति ने उनसे कहा कि आप जोग धर्मज्ञास अटेन्ड कीजिए, ऐसा कहकर धर्म पुस्तक भी मंगादी, तो वे बोले, कि हमको इनना टाइम (समय) नहीं है, गृहपति ने कहा—अच्छा एक सप्ताह में केवल तीन दिन आधा आधा चरण ही धार्मिक व्याख्यान सुन लिया करो । विद्यार्थी स्वाहेच-कोशिश करेंगे, परन्तु आप नहीं । इस पर गृहपति ने कायदे के अनुसार उनको ताकीद की, तो वे धर्म पुस्तक पीछे देने को आए, कि इसकी हमको जरूरत नहीं, हम बांडिङ्ग का स्थान स्वाली कर देंगे, और उसी दिन करीब दस रुपया मासिक का कोई मकान भाड़े पर लेहर अन्यत्र रहने लगे परन्तु धर्मशिक्षा लेना स्वीकार नहीं किया । इसी प्रकार एक विद्यार्थी, जिसने औद्योगिक शिक्षा इसी बांडिङ्ग से प्राप्त की थी, किन्तु प्रेक्षिकल कार्य सीखने किसी अन्य औद्योगिक कारखाने में जाता था, उन्होंने छः माह वी छावनृत्ति [अमुक रकम में नकद] एक प्रसिद्ध मरठा से मंगवली थी, वे दो माह रहे, धर्मशिक्षा नो नहीं ली, परन्तु शेष छावनृत्ति जो अगाऊ प्राप्त कगलो थी, लेकर चले गये । ऐसे दृष्टान्त नो बहुत हैं, हुए हैं और सावधानी न रखनी जावेगी, तो होते ही रहेंगे और उनके बदले बेचारे सउजन होनहार ताज्ज्यवृद्धि, किन्तु आत्मगौरव रखने वाले विद्यार्थी विद्या व उद्योगशिक्षा-विहीन ही रहा करेंगे ।

इसलिए समाज के हितेरी उदार पुरुषों को सदायता से हाथ नहीं खीचना चाहिये किन्तु सावधानी से विवेकपूर्वक और भी इन उपसाह से विद्योऽस्ति में दृढ़ का दान करना चाहिये, हम प्रकार विद्यार्थियों के सुधारसम्बन्ध में कुछ कह कर अब संस्थाओं के सम्बन्ध में भी कुछ कहकर वक्तव्य पूर्ण करूंगा ।

किसी भी प्रकार के विद्वान् हों, वे सब, किसी न किसी, छोटी बड़ी प्राइवेट, सार्वजनिक या राजकीय आदि संस्थाओं के द्वारा ही तैयार होते हैं, इसलिए इन होनहार समाज के भावी कर्णधार विद्वानों के विषय में 'मंस्थाप' पूरी २ जवाबदार हैं। यदि उनसे निकलने वाले छात्र (विद्वान्, सुयोग्य, सदाचारी, धर्मात्मा, समाज और देश के संघरक, होते हैं, तो वह मंस्था उत्तमोत्तम गिनी जाने लायक होती है, परन्तु इसके विपरीत, जिस मंस्था से स्वच्छ, फैसनेवल फिज़ुलाखर्ची, स्वार्थी पढ़े लिखे निकलते हैं, वह संस्था निश्च न है, हेय है।

इसलिए संस्थाओं के विषय में विचार करना चाहिए, कि मंस्था किसे कहते हैं? क्या सुरभ्य स्थान में सुन्दर मकान के अन्दर चतुराई से मजाये हुए फर्नीचर आदि को मंस्था कहते हैं? या विद्यार्थी, शिक्षक, प्रबन्धक और मंस्थापक आदि के समुदाय को कहते हैं?

उत्तर—मकानादि तो जह वस्तुः हैं, उनका समुदाय संस्था नहीं हो सकता, किन्तु छात्र, अन्यापक, प्रबन्धक आदि का सुसङ्गठित समुदाय ही संस्था कही जा सकती है, वास्तव में प्रबन्धकों द्वारा समुचित प्रबन्ध होते हुए, सुयोग्य, सदाचारी, स्वावलम्बी, सादगीपसन्द, धयालु, सत्यवादी, प्रामाणिक, निर्लोभी, अध्यापकों द्वारा (जो अन्तरंग से छात्र हितैषी हों) जिज्ञासु मुशीज छात्रों को, उनके भावी जीवन पर इष्ट रखते हुए, इस लोक और परलोक सम्बन्धी उत्तम शिक्षा जहां से प्राप्त होती हो, उसे मंस्था कहते हैं? फिर ऐसी शिक्षा भले जंगल में, झाड़ों के नीचे या दृटी कूटी पर्णकुटियों में मिलती हो, तो भी वह संस्था मराहनीय है, परन्तु यदि कायरना, अविनय और कुशीकृता की वर्द्धक शिक्षा, उत्तम महलों में भी मिलती हो तो वह संस्था कहलाने योग्य नहीं है।

खेद है, कि आजकल वहे २ शिक्षाविशारद नाना प्रकार की नवीर शिक्षा को स्कीमें बनाते हैं, जिनमें रुपया भी खर्च होता है, परन्तु फिर भी शिक्षा से कोई दूर भागते जाते हैं, आज से २०-२५ वर्ष पहिले के मिडिल या मैट्रिक पास बालक, आज के बी० प०-प०८० प०१० आदि के छात्रों से कहीं अधिक लियाकत (योग्यता) रखते हैं, पुराने अपढ़ (थोड़ी शुद्ध या अशुद्ध हिन्दी लिख लेने या बांच लेने वाले, जिनको आजकल के नवयुवा शिक्षित ओडफूल (Old fool) कह कर सम्बोधन करते हैं) समस्त व्याचारिक और व्यापारिक हिमाच आदि मिनटों में जागते हैं, अपनी बुद्धिवल से इजारों लाखों का व्यापार करते हैं, परन्तु आजकल के ओजुएट वे ही मामूली हिस्त घण्टों में कागज ऐन्सिल की मदद से भी ठीक २ नहीं लगा यस्ते। अपना व अपने कुटुम्बियों का उदरनिर्वाह करने तक को अव्यर्थ हैं, यही दशा संस्कृतविद्याऽभ्यासियों की है, पुराने थोड़े वहे लोग पठार्थ का स्वरूप जिस सूची के माथ समझा सकते हैं, मन्थों को लगा सकते हैं, उसे देख कर ये दिग्री प्राप्त तीर्थ आदि मुंह में उंगली दबाते हैं, इनको न पंक्ति का अर्थ लगाना आना है न भाव ही बैठा सकते हैं, फिर भी पश्चिडतपने के अभिमान में संसार को मूर्च ही मान लेते हैं, जिस समाज की संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त की है, उसी समाज की बुराई तो करते हैं, परन्तु उसकी सेवा करके बुराह्यां दूर करने को कठिबद्ध नहीं होते दान करना तो ये दोनों प्रकार के विद्वान् जानते ही नहीं, ये जब्ती चौड़ी रिपोर्ट बनाकर अपील करना और दूसरों ये दया या मान उत्पन्न कराकर पैसा बटोर लेने हैं, परन्तु आप कभी किसी अपील में कुछ भी देना नहीं चाहते, न देते ही हैं और न शरोर से ही कुछ समय बचाका समाज की सेवा करते हैं। इसकी व्यातिरी संस्थाओं के दातारों की सूची निकाल हर कर लेना चाहिए।

और ताजा इष्टांत अभी जैन कालेज के आनंदोलन को ही देख लीजिए, कि जब मान्यवर न्यायाचार्य, परिषद्वनवर्ष रणोशप्रसाद जी वर्षी ने इसका आनंदोलन उठाया तो उनके व्योवृद्ध अनन्यमित्र त्यागमूर्ति बाबा भागीरथजी वर्णी ने समर्थन किया और साथ देने को तप्पर होगये, सुझे भी उनकी आज्ञा और विचार स्वीकार थे, इसलिए मैं भी साथ हो लिया और भी दो बार त्यागी ब्रह्मचारियों ने वचन दिये, कार्य आरम्भ किया गया और दिल्ली आदि स्थानों से लगभग २५००० रु. के दाचन भी मिल गए, तब एक व्यवस्थित संयोजक कमेटी की आवश्यकता पड़ी कि जिसके दफ्तर में बाकायदे कार्यवाही होने लगे, इसके लिए ११ आदमियों की जम्मत थी, जो १०००) एक एक हजार सप्ताह देकर उसके मद्दम्य बने व रकम से कार्य आरम्भ, दफ्तर खर्च और दौशा खर्च आदि चले, परन्तु मात्र २—३ सुउजनों के भिवाय बहुतों ने तो उत्तर नक देने की कृपा नहीं की और कुछ सुउजनों ने रकम देकर सदस्य होने से इच्छाकर कर दिया, किसी ने तो मात्र एकीम बना देने वा सम्मति देना स्वीकार किया, किसी ने कालेज सुल जाने पर आनंदी अध्यापक होना स्वीकार किया, तब शारीरिक अम पर बात आई कि चन्दे के डेपूटेशन में ग्रामोग्राम व नगरोनगर कम से कम वे सुउजन कि जिनको घर खर्च बताने या नौकरी की चिन्ना नहीं है, आवें और असुक रकम भगाने के बाद वसूली करके कार्य आरम्भ किया जाय तो भी किसी सुउजन विद्वान् ने कृपा नहीं की। उक्त त्यागीगण गर्मी जाड़े पानी में लगभग १ साल स्ववचनानुमार किर फिराकर बीमार पड़ गए, और कार्य जहाँ का तहाँ रहा, सब अम और पूकार अरण्यरोक्तनवत व्यर्थ गई। यदि विद्वान् लोग इस कार्य को हाथ में ले लेते और तन धन से यथाशक्ति मदद करते तो क्या एक जैन कालेज हो जाना कठिन था ? परन्तु ऐसा क्यों हुआ ! विद्वानों

में त्यागभाव, संयमभाव, सहिष्णुना, और वीरता आदि भाव क्यों नहीं उत्पन्न होते ? इसका कारण विचारने से यही निकलता है कि इनकी शिक्षा जिस ढंग से हुई वहो रही है या जिन संस्थाओं में ये तैयार होने हैं, उन संस्थाओं के ढंग ऐसे विचित्र हैं कि उनके संचालकरण अपनी किसी प्रहार की जिम्मेदारी नहीं, इन होतनार भावी विद्वानों के विषय में नहीं समझते, पुस्तकीय पाठ पढ़ाकर परीक्षा दिला देना, उनका मात्र कर्तव्य रह गया है, विश्वविद्यालयों और परीक्षालयों ने, पठनक्रय बना देना, परीक्षा ले लेना, उत्तीर्णताप्राप्त विद्वानों को प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा आदि दे देना मात्र कर्तव्य समझा है ? क्या कोई विश्वविद्यालय (परीक्षालय) कालेज (महाविद्यालय) हाई स्कूल (विद्यालय) स्कूल (पाठशालाएँ) खोड़िंग (छात्रालय) अनाधालय, ब्रह्मचर्याश्रम, (गुरुकुल) कन्या विद्यालय, महिलाश्रम आदि साहस के साथ यह उत्तरदायित्व लेने को तैयार हैं ? कि इसारे यहाँ से निकले हुए छात्र-छात्राएँ आदि विद्वान् सुयोग्य सदाचारी प्रामाणिक ही होते या होंगे, उनके द्वारा कभी देश समाज तथा धर्म पर कल्पना आवेगा, वे स्वावलम्बी, और हुःख्सहिष्णु, साहसी, बलवान् देश-धर्म और समाज के निःस्वार्थ सेवक ही होंगे ? कोई नहीं, क्योंकि उनके यहाँ येसी आदर्श शिक्षा और शिक्षकों का प्रबन्ध नहीं है, और शिक्षा का सच्च इनना अधिक बढ़ना जाता है, कि गरीब और साधारण स्थिति के बालक तो हांनहार होते हुए भी द्रव्याभाव से शिक्षा नहीं ले सकते और श्रीमानों के बालक या इधर उधर से ढांग-मूँग कर कठिनाई से प्रबन्ध करके पढ़ने वाले बालक, किसी प्रकार शिक्षा लेते हैं, सो किनारे, की आदि के अनिरिक, गेम फी, बब्ब फी, वज्र, भोजन, मिकाई, धुजाई, इत्तमत आदि में इनका इनना मासिक सच्च हो जाता है कि परीक्षोत्तीर्ण होने पर किसी

कमा भी नहीं सकते, साथ ही आराम तज्जव व कैमनेवुल, इतने हो जाते हैं, कि इनसे योदा भी बजन नहीं उठता, द्योटा मोटा परिश्रमी काम नहीं हो सकता और बेकारी बढ़नी चली जाती है, कम खर्च से निर्बाह नहीं होता, इच्छानुसार प्राप्ति नहीं होती, तब लाखार हो यदि शर्मदार हुए तो आनंद-धात का सहारा लेने हैं या फिर कोई ऐसा कलंक लगाने वाला कार्य वर दौड़ते हैं । कुछ योग्य बुद्धिमान् अच्छे धराने के (कुलीन) होते हैं, वे आजीविका भी योग्य प्राप्ति कर लेने हैं, परन्तु उनका दृश्य, मात्र पूर्णोआराम में ही लगता है, धर्म समाज व देश के अर्थ उनके पास देने को न दृश्य है न समय है । “सौ में सती, लाख में जती” के अनुसार सौभाग्य से कोई धार्मिक उदार दाती, संयमी, धर्म देश समाज के मत्त्वे द्वितीयी सेवक भी निकल आते हैं, परन्तु वे बहुत कम (नगरण जानना चाहिए, सो उनका ध्रेय संस्थाओं को नहीं है, न अध्यापकों को ही है, किन्तु उनके कुलीनपने को है, या समय २ पर होने वाली घटनाओं के, उनके हृदय पर पड़े हुए, विशेष प्रभाव का है, जो वे निराशा में आशा रूप निकल आते हैं ।

इसलिये संस्थाओं को अपना सुधार करना चाहिए, आजकल शिक्षासुधार सम्बन्धी बड़ी २ चर्चाएँ होती हैं, पत्र पत्रिकाएँ निकलती हैं, विश्वविद्यालयों में भी बड़ी २ सभाएँ (सेनेट मिडीकेट) बर्गेंट भरती हैं, उनमें प्रायः देशी विद्वान् ही अधिक संख्या में रहते हैं, दिनोंदिन सुधार सम्बन्धी स्कीमें सोची जाती हैं, शिक्षा के नाम पर लाखों रुपया खर्च भी किए जाने हैं फिर भी शिक्षा की अधोगति ही होती जाती है, आज से २५ वर्ष पहिले, मामूली एंग्लोवर्नार्क्यूलर अपर प्रायमरी पास वालक जितनी योग्यता, मात्र २-३ वर्ष में प्राप्त कर लेता था । सेवा है, कि आज इतना सुधार हो जाने पर भी उतनी

योग्यता बालक में मिडिल पास कर लेने पर भी नहीं हो पाती, उस समय का मेट्रिक्युलेशन या नॉन मेट्रिक्युलेशन आज कल के ग्रेजुएट की अपेक्षा कहीं अधिक योग्यता रखता था, इस में बात यह थी, कि पठनक्रम (कोर्स) का भार तो कम था और फँस वर्गों भी योद्दी थी, रहन सहन साधा था, आवश्यक विषयों पर शिक्षकों का अधिक लक्ष्य रहता था, कोर्स (पठनक्रम) भी बहुत वर्षों तक प्रकाश रहता था, इसलिए अध्यापक और विद्यार्थी को हितकारी पदनाम था, अध्यापक लोग उन ग्रन्थों का सूचन मनन कर सकते थे नए विद्यार्थी पुराने विद्यार्थियों की पठित पुस्तकों भी सम्म दाम पा या सुस्त में नये विद्यार्थियों को मिल जाती थीं, इस प्रकार की पढ़ाई होने से विद्यार्थियों को पढ़ने और मनन करने का मुश्वर प्राप्त हो जाना था, परन्तु आजकल नया नया कोर्स बदलता रहता है और कोर्स में भी इतनी अधिक पुस्तकें होती हैं, कि विद्यार्थियों का दिमाग चक्कर ला जाता है और प्रतिवर्ष लाखों रुपयों की पुस्तकें बदल जाने में वह रुपया बेकार तो जाता ही है, परन्तु माथ ही प्रथम वर्ष के अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष में उसी कक्षा की परीक्षा देने के लिए यमीं पुस्तकें नयी ही पड़ती पड़ती हैं, इसलिए वह अबने पठित ग्रन्थों को पुनर्दुहरा नहीं सकता, अपने कर्त्त्वे रहे हुए विषयों दो पक्के नहीं कर सकता और नये कोर्स का भार ऊपर आ पड़ना है, साथ ही और भी अनेकों प्रकार के स्वर्च बालकों के संरक्षकों के ऊपर आपड़ते हैं, जिनमें घबरा कर या तो बालक न्यय ही अथ कचरी शिक्षा पाकर घर ढौंठ रहना है या माना-पितादि संरक्षक उसे घर ढौंठा लेने हैं। स्वेद तो यह है, कि इस बेकारी के जमाने में शिक्षा का स्वर्च बदला ही जाता है, वह महारी होती जाती है और फिर भी बालकों को गर्व-होन कामर परमुखापेक्षी

बना देती है, एक मामूली सी जगह नीकरी वी स्वार्ली होने पर सैकड़ों पढ़े लिखों की अजियाँ आजानी हैं उन पर अच्छे २ लोगों की शिकारियम भी हो रही है, परन्तु वे वर्तमान के शिक्षित विद्वान् कोई भी शारीरिक परिश्रम या मजूरी का कार्य करना नहीं चाहते या यों समझना चाहिए, कि इनसे परिश्रम होना ही नहीं है, इनकी शिक्षा ने इनको इनना निर्बंध और मिथ्यालजाल बना रखा है, कि ये कुछ भी परिश्रमकार्य नहीं कर सकते और तो क्या रेलवे या मोटर ट्रेनों पर ये लोग अपना विस्तर बर्गेर: मामूली सामान भी चढ़ा या उतार नहीं सकते, इनको इसके लिये कुली की जरूरत पड़ती है, स्वाने से कई गुणा, ऊपरी कपड़े, हजासत आदि फैशन का खर्च बढ़ा हुआ रहता है, डाकटों के बिल हमेशा चढ़े रहते हैं, परन्तु क्या शिक्षा मन्मथाण् कभी भी इन बातों पर विचार करती है? क्या उन्होंने अपने छात्रों पर हम बात का असर डालने का कोई उपाय काम में लिया है, कि उनके बालकों पर यह फैशन का भूत स्वार न होने पावे, वे स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी लिवाय ही पहिरें, वे शरीर से इड़ बनें, स्वावलम्बी बनें, मूंझी लज्जा को ल्होड़ कर स्वामिगौरव बाले, स्वदेश गौरव बाले बनें, नीकरी (गुलामी) की इंपेक्शन मेहनत मजूरी को श्रेयस्कर समझें, अपने बड़ों व गुरुजनों का मंकार या विनय करना सीखें, अपनी विदा और बुद्धि का पदुपयोग, अपने तो अपने भर्म समाज, और देशके लिये करने के लिये करिश्मा रहें हृत्यादि। उत्तर मिलता है, नहीं। क्योंकि वे अपना उत्तरदायित्व ही इन विषयों में नहीं समझते हैं अध्यापकगण अपने विषय के सेक्ष्यर दे देना मात्र या पढ़ादेना मात्र ही अपना कर्तव्य समझते हैं, वे इन व्यावहारिक जीवनों-पर्योगी विषयों की ओर तो कभी कृटी आंख से नहीं देखते, इतना ही नहीं, किन्तु वे इन बातों को बाहियात (बेवकूफी), की बातें समझते

हैं, क्योंकि वे भी तो इसी प्रकार से ऐसे ही वातावरण में शिक्षित हुए हैं, वे भी तो फैशन के भूत से प्रभावित हैं विनय या देश धर्म जाति सेवा से कोई दूर हैं, अपने ऐशो-आराम में ही मग्न हैं भारत के एक प्रसिद्ध नगर के सरकारी कालेज में ? जैन प्रोफेसर D. Sc. (डाक्टर ऑफ़ साइंस) हैं, वहाँ के स्थानीय जैन छात्राश्रम के कुछ छात्र उनसे बंगले पर मिलने गए, तो आपने कह दिया कि मैं धार्मिक या सामाजिक विषय में कुछ भी बात करना नहीं चाहता, बस ! वे विद्यार्थी वहाँ से बैरंग लौट आए, ये ही प्रोफेसर साठ मोटर में बैठाकर आपने पिता को बोर्डिङ के दिन जैन चैत्यालय में दर्शन कराने ले गए, यो इनके पिता जी, मोटर से उतर, दर्शन कर आए, परन्तु आपने मोटर से उतरने व दर्शन करने का कष्ट न उठाया और यो ही पिता को लेवर वापिस बंगले पर चले गए, भला जब अध्यायकों का यह हाल हैं, तो विद्यार्थियों को उन से कुछ कदम आगे होना ही चाहिए। यह नो हुई राजीवीय पाश्चात्यशिक्षाप्रदायक मंस्थाओं की बात ?

अब जरा प्राटवेट, देशी और सामाजिक मंस्थाओं पर भी हष्टि डाक्षिण्य नो वहाँ भी विलचणना नजर आयती, यद्यपि इहले हम खोर्डिंग्स (छात्रालयों) पर ही हष्टि डाक्तने हैं, इन बोर्डिंग्सहाउसों या होस्टलों का उद्देश यह था, कि हम वर्तमान समय में पाश्चात्य (इङ्लिश) विद्या का पढ़ना पढ़ना तो अनिवार्य होगया है, हमलिए हम से तो किसी को रोका नहीं जा सकता और न रोकना उचित ही है, हमलिए, इन कालेजों और स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ऐसे छात्राश्रमों की योजना कर देना चाहिए कि जिस से पाश्चात्यविद्याभ्यासी बालक पाश्चात्यशिक्षा नो बे सके, परन्तु उनकी संस्कृति भारतीय ही बनी रहे, वे धार्मिक शिक्षा, क्रिया और आचरणों से बंचित न रह सकें, वे सदाचारी, सुशील,

तथा स्वावलंबी बने रहें और अपने उच्च ध्येय(धर्म समाज और देश सेवा) को लिपु हुए, अपने को इसके योग्य बनावें, परस्पर प्रेम से रहें, वर्म खर्च करके उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, इन्यादि उनका उद्देश था, जो नियमावली में प्रायः छपा भी रहना है, परन्तु जब इन छात्रालयों की प्रणाली (जो चल रही है,) पर इष्टि डालते हैं, तो प्रायः इस उद्देश्य के विपरीत ही मामला नजर आता है बालकों की फैशन किसी तरह भी कम नहीं होती, खर्च भी उनके घटने नहीं हैं, भार्मिक क्रियाएँ भी नहीं सुधरतीं, धर्मशिक्षा लेना तो बेकार ही सभका जाना है, रात्रि में भोजन करना, अमच्य स्वाना आदि बातों पर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता, अधिकारीवर्ग छात्रों से डरता ही रहता है और उनके विपरीत आचरणों की उल्टी पुष्टि कर देता है। एक सब से पुराने बोर्डिङ में १ कालेज का छात्र अपने कमरे में टेबिल, कुर्सी पर जैते आदि पहिरे हुए रात्रि को लगभग ६ बजे स्वाना स्वा रहा था, वहां सुपरिंटेंडेन्ट बोर्डिङ चला गया और बोर्डिङ के नियम विरुद्ध उम्रको रात्रि में स्वाने के लिए मना किया। इस पर उम्र छात्र ने सुपरिंट को यह कहने हुए ध्वका देकर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया, कि तुम विदाउट माय परमिशन (विना मेरी आज्ञा) के मेरे रूम में क्यों आए ? गो शाउट (निकल जाओ) इस पर सुपरिंट ने बोर्डिङ अधिकारियों को रिपोर्ट की, परन्तु बोर्डिङ अधिकारियों ने उठी सुपरिंट की ही भूल बताई, उसे ही ढाटा और छात्र को कुछ भी न कहा, किन्तु छात्र के अनुचित कार्य का अनुमोदन कर दिया, इस प्रकार सुपरिंट अपना सा मुंह लिप रह गया और नौकरी से भी बंचित कर दिया गया। एक बोर्डिङ में कुछ छात्रों ने सुपरिंट के विरुद्ध शिकायत दी “कि हमको गेम्स (स्लेड) के लिए टायम (समय) नहीं मिलता, यदि हम कभी गेम्स में रह जाते हैं, तो शाम होजाने पर सुपरिंट भोजनालय बन्द करा देते हैं और हमको भूखा रहना

पड़ता है," इस पर अधिकारियों ने सुपरिं को डाट कर लिख दिया कि छोकरों का कहना ठीक है, इसलिए उन को शत्रि में भोजन न करने पर जोर से दिया जाय, भोजन रक्षा रहे और जब वे आवें तब खालें. इसी प्रकार धर्म शिक्षा के लिए भी कह दिया, कि उन को स्कूल में बहुत परिश्रम पड़ता है। सलेप धर्मशिक्षा के लिए दराया न जाय, वे जब जितना पढ़ें, पढ़ाइए, दबाव मत दो। एक दिं जै० बोर्डिङ में एक अजैन मास्टर आनंदेंगी सुपरिं नियुक्त हुए उन का हाथ खर्च निज के लिए लगभग ४०) मासिक होता था, तो भी आनंदेंगी थे, उन्होंने बोर्डिङ में बहु संख्या अजैनों की करदीं और पर्यूषण पर्व त्रिवर्षों में (भार्दी सुदी ४ से १५ तक) बोर्डिङ के, एक ऊपर के कमरे में गणपति (गणेश) की लगबोद्धी भृंडवाली प्रतिमा स्थापित करदी और गणेशोत्सव मनाया गया, जिसमें जैन लघाओं को सम्मिलित होना आवश्यक रक्खा गया था। एक बोर्डिङ में मट्टोबाज सुपरिं नियुक्त था। एक बोर्डिङ के धर्म-शिक्षक पंडित धर्म-नस्तों के विरोधी हैं, वे खूब झीतांड धर्म का घटन करते हैं और अरना नया ही धर्म निकाल रहते हैं और आपने आप को नीर्थकर मानने लगे हैं। एक बोर्डिङ के मत्रा ए० ए०, ए० ए०, ए० ए०, बी साल्डी सोटर हैं, आप स्वयं देव-दर्शन नहीं करते और धर्म से कुछ भी ज्ञान नहीं होता ऐसा मानते हैं। प्रायः सभी बोर्डिङों में सरकारी कालेज या स्कूली परीक्षा से ३ माह पहिले ही धर्म शिक्षा तो बन्द कर ही दी जाती है, माथ ही धर्म शिक्षा न लेने, या फँड हो जाने पर लघाओं को बुद्धी नहीं कहा जा सकता है। तात्पर्य—आन्यात्य बोर्डिङों से सामाजिक व धर्मिक बोर्डिङ में नाम मात्र ही दिशेपना होती है, यहां भी उनके चरित्र व धर्मिक आचरणों पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं डाला जाता और इस प्रकार ये भी उनकी पाश्चात्यशिक्षा व संस्कृति के पोषक नो होते हैं, परन्तु सदाचार, धर्मिकता, मित्रत्वयता, स्वावलंबन, विनय,

सम्मता, परोपकारिता, दया, क्रमा आदि गुणों को वालकों में उत्पन्न करने में शिथिल पाए जाते हैं, अर्थात् इन वातों के लिए ये उत्तरदायित्व नहीं रखते या वे इन वातों को व्यर्थ समझते हैं, जबकि भूम्या के संचालक ही धर्म में शिथिल विचार रखते हों, तो उसके छात्र-छात्राएँ अवश्य ही धर्म विरोधी भाव रखन्हेंगे, ऐसी दशा में इन वे टिक्क हाउसों से क्या छात्र हो सकता है यो समाज विचार करे । याँ किन्हाँ २-४ बोर्डिंग हाउस का परिग्रहिति का ही दिग्दर्शन कराया गया है ।

बोर्डिंग हाउस, उपर्योगी सम्भालएँ हैं यदि उनके संचालक उनके उद्देश्यों की पूर्ति करते रहते रहें, गवर्नर्सेंट की सम्भालों के समान, इन के भी नियमों का पालन ठोक २ कराते रहें, सुयोग्य गृहपति की नियुक्ति दरें, धर्म-शालक भवयं धर्मात्मा अनुभवी विद्वान् हों, जो वालकों को आधुनिकीया धर्म-तत्त्वों का ज्ञान करने के, उन के प्रश्नों का प्रेम से विद्रोह के साथ आगम से अविश्व युक्तियों और अनुभव से दर्शनपूर्वक समाधान कर सकता हो प्रभावशाली हो, धर्म-शालों का पूर्ण परिहत होने हुए भी, पाश्चात्य विद्या में भी दब हो, प्रेमालु, धीर दीर गमीर स्वभाव वाला हो, स्वावलक्षन और सादगीप्रसन्न हो, वह नौकी के लिए नहीं, किन्तु अपना कर्तव्य समझ कर ही धर्मोपदेश देता हो, अद्वालु और सञ्चरित्र हो । इन बोर्डिंग हाउसों के नियम गुरुकुलों के समान हों, इन का खान पान, रहन सहन सब स्वदेशी हो, सेल्स-कूर भी स्वदेशी हों, इन की भाव-भेंगी स्वदेशी हो, स्वदेश के लिए ही इन का अस्तित्व हो, इन के कार्बकर्त्ताओं का चुनाव, बड़ी बढ़िमानी के साथ होना चाहिए और गृहपति धर्मोपदेशक स्वयं जांच कर रखना चाहिए, क्योंकि वालकों पर इनका प्रभाव पड़ता है, इस पर भी समय २ पर वास्तविक जांच पड़ता जा होती रहे, जिस से ये संस्थाएँ अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में सफल सिद्ध हों, जांच करने वाला (सुपर-

वाईंजर) बहुत बुद्धिमान्, गम्भीर और पचपात्रहित होना चाहिए, अन्यथा वास्तविक जांच न हो सकेगी, कूंठे और सुंहड़ों चापलूस वाजी मार ले जांयगे और सब्जे दंडित होकर कार्य से उदास हो अपने दिन काटेंगे । एक संस्था के (विद्यालय के) सुपरिंश से बात हुई, मैंने पूछा क्यों बाबूजी आपकी संस्था के बाखक इतने स्वच्छ दी और अविनयी बात गए हैं, आप इस पर क्यों ध्यान नहीं देते ? उत्तर—महाराज मैंने आपनी नौकरी के प्रारंभिक वर्ष में नियमों के अनुकूल कड़ी दृष्टि रखी और नियमानुकूल काम चलाया, परंतु फल विपरीत हुआ, लड़के सदा विरोधी बनगए, नियम भूंटी और कलिपत बनावटी शिकायतें होने लगीं, रघोङ्या आदि नौकर भी विरोधी होगए और मैं विलकुल हम पोस्ट के अयोग्य समझा जाने लगा, मंत्री आदि अधिकारियों की दृष्टि में गिर गया, नौकरी से हाथ धो बैठने का अवसर आ गया, बस ! मैं चेत गया, मैंने वाजी बदलदी, शामन की ढोरी ढीको करकी, जान बूझ कर उपेहा भाव धारण कर लिया । तात्पर्य—मैंने आपने आपको सुपरिंश के बदले आफिम कूर्क बना लिया, बस ! धोड़े ही दिनों में मेरी गणना योग्य कुशल कार्यकर्ताओं में हो गई, छात्र, नौकर और अधिकारी सब मेरी प्रसंशा करने लगे, आज कल सब सुझ से खुश हैं और काम भी अब कम करना पड़ता है आपने जो प्रश्न किया है हमारे अधिकारियों ने कभी नहीं किया, इसलिए मैंने तो यही मिद्दान्त बना लियां हैं कि खुश रखना और खुश रहना, नियम और उद्देश्य से हम को प्रयोजन नहीं जब अधिकारीगण ही उहूं रथ और नियमों के पालन करने से नाराज होते हैं, तो हम तो नौकर ही ठहरे, हम को तो उनको खुश रखना और नौकरी चलाना है इत्यादि । समाज हम उत्तर पर विचार करें और कार्यकर्ता जिन पर समाज ने विश्वाम कर रखा है उन के कार्यों पर ध्यान देवें । एक और किसी बोडिंग हाँ० के महामंत्री

जब २ बोर्डिंग को देखने आते हैं, तो उनका एक ही कार्य रहता है कि विद्यार्थियों में अपने प्रान्त का पच भरता, वे बालकों से अथवा अन्य स्वप्रान्तीय जैन व अर्जैन भाइयों से कहा करते हैं, कि देखो दूसरे प्रान्त के लोग हमारा पैसा ले जाने हैं, तुम लोग ध्यान नहीं देते, यदि तुम सीख जाओ तो और प्रान्त वाले क्यों खा जाय ? इस प्रकार छात्रों और गृहपति में भेद बुद्धि पैदा करते रहते हैं, ये अपने प्रान्त के अनुभवहीन अर्जैन को भी अन्यप्रान्तीय स्वधर्मी बन्धु से भी अधिक आदरणीय समझते हैं उनको अपने प्रान्तीय स्वभाषाभाषी शक्ति के भारी भी दोष नहीं दीखते, परन्तु अन्य प्रान्तीय धर्मिमा भड़जन के भी दोषों की कल्पना हो जाती है, एक बार छात्रों से पूछा, क्यों तुमको गृहपति बष्ट तो नहीं देता, बालक ना साहेब, हमको कोई कष्ट नहीं है। गृहपति तो हमको प्रेस में रखते हैं, वही बच्चादारी रखते हैं, यह बात मन्त्री और छात्रों की प्रान्त की थी, इस समय गृहपति बहां न था, तो भी मन्त्री साहब ने दर की बात हूँड निकाली, कि गृहपति ने लड़कों पर बढ़ुत दबाव ढाक रखता है इस से वे दब गए हैं, अपना दुख नहीं कह सकते, बस ! गृहपति को बुलाकर सबकं सामने शिखा करती, कि तुम बालकों को बहुत दबाते धमकाते हो, जिसमें वह अपनी तकलीफ भी नहीं बता सकते, ये तो लड़के हैं इन पर हनना दबाव देना ठीक नहीं, किसी अन्य समय लड़कों ने पूछने पर कुछ शिकायत की, बस ! तुरंत गृहपति को बुला कर छांट दिया, देखो बालकों की शिकायत न आना चाहिये, हायादि ! इस अविचारितरम्य पचपात महित गंभीर आदि के बर्ताव का छात्रगण क्यों नहीं दुरुपयोग करेंगे ? एक हाँस्या के अधिष्ठाना, कभी गृहपति को कुछ आज्ञा देने, जब बालक उसके विरुद्ध आवाज उठाते, तो कह देते, गृहपति बेकूफ है, म्यर्थ ही लड़कों को संग करता है, यदि गृहपति कहता मैंने आपकी आज्ञा से किया है, तो कहते हमही को दोषी बनाते हो, इसने कदा कहा ? जब शूह० उस बात को

छोड़ देता, तो कभी आप शक्ति कहने, तुमको सौ बार कहा, कि हम प्रकार लड़कों पर नियंत्रण रखो, देखो वे यत्र तत्र फिरते हैं न पढ़ते हैं, न जिखने हैं।

गृह० आज ही ने तो उस दिन मना कर दिया था, इसलिए नियंत्रण हठा दिया गया है, अधिक० बस ! तुमको काम करना तो आता नहीं, और मुंहतवारी करते हो, तुमको बुझ कहना ही पाप है, यदि गृह० कहता कि श्रीमान् आडैच्युक पर लिपि दिया करें, तो शीक होगा, जिससे अपनी भूल सुधार सकूँ और श्रीमान् मेरा लच्छ आडैर पर खेच सकें, तो आप नाराज होकर वह देने, क्या मैं मूँठ बोलता हूँ ? बदल जाना हूँ ? तुम्हारे लिए गजिये कर दिया करूँ ? इन्धारि परिस्थिति में शिक्षक या गृहपर्वत आदि कभी भी सुप्रबन्ध नहीं कर सकते, न कोई ध्यवस्था बनती है इन निर्वल मान्यतक प्राणियों के सामने जिमने मच्छा मूँठ रोना से दिया चापलूसी करदी हां में हां मिलादी, वही विजयपताका ले भागता है, न्यायी या मच्छा मारा जाना है और फिर वह भी मूँठा चापलूस चतुर खालाक बन जाना है, यह दोष अधिकारियों का ही है।

इसलिए प्रत्येक कार्य, मनुष्य की योग्यता देखकर ही उसे मौंपना चाहिये । इस में स्वतातीय, विजातीय, स्वप्राप्तीय, श्रीमान्, सम्बन्धी आदि का मुँह देखना नहीं चाहिए, सभी श्रीमान् या सभी विडान् सभी बानों में इस नहीं होने । प्रत्येक का ज्ञान, रुचि और अनुभव जुड़ा रहोता है, इपलिए जो जिम कार्य के योग्य हो, उस को वही कार्य सौंपना चाहिए, वकील को दवाखाने का सुपरवाइजर बनाने से बाहर नहीं होगा, गिरावचने की सम्भाल शिक्षा खाने बाला ही कर सकता है, वह बालकों और अध्यात्मिकों के व्यवहारों को जानता है, मेड साहकार सरोकार आदि नहीं जान सकते, ये तो कौशलपूर्व हिमाय-

निरीक्षक बन सकते हैं, परन्तु समाज इसका विचार ही नहीं करनी, और जिस किसी श्रीमान् या विद्वान् को चाहे जो अधिकार मर्याप देती है, फिर कभी सम्मान भी नहीं करनी। यदि कुछ संस्था की अकीर्ति सच्ची कूंठी सुनी, तो सहायता देने से हाथ तो स्वीच लेती है, परन्तु न जांच करनी कानी है, न उचित मुद्धार ही करती है, ऐसी दशा में संस्था मुझर नहीं सकती, इसलिए अधिकारियों और समाज का ध्यान इस ओर आकर्षित करता है।

अब विद्यालय गुरुकुल और आश्रमों के विषय में कुछ विचार करके लेख समाप्त करूँगा। ये सामाजिक संस्थायें प्रायः एक प्रकार के गुरुकुल के स्वरूप में ही चलती हैं, क्योंकि इन में अध्यापन करने वाले छात्र-छात्रायें वहीं रहते हैं और खान पानादि भी संस्थाओं की ओर से ही दिया जाता है। अध्यापक अध्यापिकायें इन को वहीं आकर पढ़ा जाते हैं, बोर्डिंगों की तरह इन की देवख रेख के लिए १ गृहपति भी नियुक्त रहता है जो इनके लिए सब प्रकार का प्रबन्ध करने और सदाचार। दि सदगुणों की रक्षा करने वाला माना जाता है, देवख इतना ही भेद इन गुरुकुलों, आश्रमों व विद्यालयों में रहता है, “कि गुरुकुलों में तो अविवाहित लड़ी अवस्था वाले वालक लिए जाते हैं और उनको अपने गुरुकुल (ब्रह्मचर्याश्रमीय) जीवन में ब्रह्मचारी रह कर ही विद्याल्य्ययन करना पड़ता है। जब कि विद्यालयों में ऐसा कोई बन्धन नहीं है, वहीं बड़ी उमर वाले विवाहित विद्यार्थी भी रहते हैं। अनाश्रमों में अनाथों की प्रधानता रहती है। श्राविकाश्रमों में कन्दा, मधवा, विश्वा य सभी रक्षी जाती हैं, पढ़ाई आदि अन्यान्य व्यवस्थायें लगभग समान ही रहती हैं। इन संस्थाओं से प्रायः सभी अनेक छात्र-छात्रायें रहते हैं और उनका भोजन, बच, पुस्तक, परीक्षा, अध्यापक आदि सभी का खर्च संस्थाओं की ही करना पड़ता है। इस प्रकार इन संस्थाओं में खर्च अधिक होता है और इसमें

जनता की उदारता पर निर्भर रहती है, इसलिए ये जनता के भर्तामें चलने वाली सभी संस्थायें बड़ी कठिनता से अपना काम चलाती हैं, अपीलें छपाती हैं, विज्ञापन निकालती हैं, प्रचारक भेजती हैं, सहायतार्थ खानगी चिट्ठियाँ लिखती हैं, यात्रियों से प्रेरणा करके सहायता करती हैं, ताप्यर्थ सभी ऐसों संस्थाओं के मंचालक निरन्तर द्रव्य की विताओं में मध्य रहते हैं, वे संस्थाओं के मुखार और उच्चति सम्बन्धी या विद्यार्थियों के वर्तमान और भावी मुख्य जीवन के विषय में कुछ भी विचार नहीं करने पाते, किन्तु उनको तो मात्र एक ही चिना रहती है कि किसी प्रश्न में द्रव्य आवे और उन का कन से कम चालू खर्च तो चलना रहे। इस के लिए उनको, मब्बों 'येन केन प्रकारेण' प्रसन्न रखता रहता है, ताकि कोई विरुद्ध शिकायत न उठने पावे और जनता प्रसन्न रहका द्रव्य प्रदान करती रहे, वे अध्यापकों के कार्यों की देख रेख नहीं रख सकते, बालकों पर कड़ाई नहीं कर पकते, क्योंकि उनको भय रहता है कि कहीं ऐसा न हो, अध्यापक जो नाराज हो जाय, तो कम तेजन पर दूसरा अध्यापक कहाँ से लावेंगे ? अथवा वह अध्यापक दलबंधी न बना देवे, या निकल कर मंत्रों आदि कार्य करनाओं के विषय में या संस्थाओं के विषय में कोई अपवाद (अकवाह) न उड़ा देवे जिससे आमदनों बंद हो जावे, या हम को अपना श्रधिकार (पत्र) त्याग करने का अवमर आवे। इसी प्रकार विद्यार्थियों का भय रहता है कि हमने इस पर कड़ाई की तो यह कहीं यहाँ से भाग न जावे, क्योंकि अन्यान्य महयोगिनी संस्थायें तो मुंह फाड़े ही हैं। वे कोई भी विद्यार्थी किसी भी संस्था का आहे किसी भी कारण से भाग कर आया हो या निकाला हुआ आया हो, उसे कुछ भी पूर्वापर विचार किए विना ही भरती कर लेती हैं, यहाँ तक कि पूर्व संस्था से छुकना, या प्रमाण पत्र भगाना तो दूर रहा, किन्तु पूर्व संस्थायें लिख कर थक जाती हैं, तो भी भ्यान नहीं देती, मानो उन्हें

अपूर्व निधि, जिना परिश्रम केही प्राप्त हो गई है, इसलिए इन्हीं लुध छोड़ती हैं कि जैसे कोई चोरी के माल पर लुध होकर उने छिपा छिपा कर रखना है, यह संस्थाओं की भयंकर और पारस्परिक घातक नीति जबतक कायम रहेगी, तबतक कभी भी न तो संस्थाओं का और न छात्रों का ही संधार होगा हाँ ! इससे वे संस्थाएं अपनी खृणी कार्य-वाही जनता को दिखा कर किसी तरह अपना खर्च पैदा अवश्य कर लेंगेगीं । ये गर्व (औंग्रे) के साथ जनता के मनमुख अपनी रिपोर्ट (वार्षिक-विवरण) रखेंगी कि संस्था में इस वर्ष इन्हें तीर्थ दृष्टने शाष्ट्री, इन्हें विशारद, इन्हें आचार्य, आदि उक्तीयाना प्राप्त करके निकले हैं, संस्था आज कल उच्चति पर है जनता की अच्छी सेवा कर रही है, इसके मंचालक मंत्री, सभापति तथा गृहपति अध्यापक आदि धन्यवाद के पात्र हैं, इत्यादि ।

यह कैसे आश्चर्य की बात है कि पढ़ा-लिखा कर उच्च शिक्षा के योग्य तो दश वर्ष पालन पोषण करके इन्य संस्था ने तैयार किया और माल क्षमहिता, ऐसे भागे या निकाले हुए छात्र को रख कर परीक्षा दिक्काने वाली संस्था ने नाम कमा लिया, पूर्व संस्था योही टापती रह गई—बम ! इस डर में संस्थाओं के मंचालक छात्रों से डरते रहते हैं, कि यदि यह आग गया तो हमारी योही वी सेवा व्यर्थ हो जावेगी, इसलिये वे छात्रों के अच्छम्य भी दोषों वी और आँखों के मनमुख कान कर लेते हैं, अर्थात् उपेक्षा करते रहते हैं, और इसलिए उन छात्रों व अध्यापकों में वे दोष बढ़ने रहते हैं नथा और भी अनेकों दोष भर कर लेते हैं, जिससे छात्रों का भावी जीवन अत्यन्त दुःखकर हो जाता है । वे बिचारे कहीं के नहीं रहते, “न दीन के न दुनियां के” क्योंकि उनमें न सभ्यता होती है न सदाचार होता है, न क्रमाना आता है, न लोकजनवहार ही जानते हैं, न उनकी विद्या ही उनके साथ रहती है, वे तो परीक्षोंसार्थ हो जाने से कहंकार से भर जाते हैं इसी लिये माता-

सर्ववती अहंकारी पुत्र को त्याग कर चली जाती है, वेष्ट काशजी प्रमाण ही हथ रह जाते हैं, उन्हें ही साइनबोर्ड बना कर बिदूता की दुइहै देते रहते हैं, मैं पूछ सकता हूँ, कि क्या कोई संस्था अरने यहाँ से निकले उत्तीर्णता प्राप्त छात्र के विद्यालय छोड़ने के बाद, सांसारिक (गार्हस्थिक) जीवन की भी खबर रखती है, कि पीछे उनकी क्या अवस्था होती है ? वे भूते हैं या प्यासे हैं, या भरपेट खाते हैं, वे समाज में आदर की इष्टि से देखे जाते हैं या अनादर की, वे जनता की सेवा कर रहे हैं, या पेट भरने के लाले पढ़ रहे हैं, वे गृहस्थ के पट कर्मों का पालन, न्याय पूर्वक जीविका करके कर रहे हैं या अष्ट जीवन बिना रहे हैं, इत्यादि ।

संस्थाएँ मात्र पुस्तके रखा कर पास करा देन और अपनी रिपोर्ट छुपाकर पदिज्जक को दिखा देना मात्र ही कर्तव्य व्यों समझती है? क्या वे उनके भावी जीवन का उन्नरदायित्व नहीं रखती ? यदि नहीं तो मात्र परीक्षोत्तीर्ण करा देने से बाल को और समाज का क्या उन्होंने हित किया ? जब तक कि वे उनये प्रौढ़ विद्वान् समाज धर्म और देश के मन्त्रे सेवक, न बनावें, जब तक कि उनके द्वारा नैयार किये छात्र पहज महज बिना दीनना दिस्याएँ व बिना चापलूनी किए स्वयोग्य भाजीविका, स्वतन्त्रता से प्राप्त न कर यें क्यों और अपनी न्याययुक्त कमाई में से कुछ अंश (इमारां, बीमावाँ भाग) अपनी उपकारक संस्था को देकर उसके द्वारा प्राप्त की सहायता) विद्यार्थी जीवन में संस्था द्वारा स्वर्च की गयी रकम) पूरी न करदें । अधिक देवें, तब तो अहो भाग्य, परन्तु कम में कम कर्ज तो चुकादें ” यदि ये छात्र ऐसा करने लगें और संस्थाएँ इनसे ऐसा बातन्ह (इकरार नामा) बाकायदे करा लेवें, तो बीसों वर्षों से चलती आई संस्थाओं को, इस प्रकार दृश्य की चिन्ता न करना पड़े, वे अपने पैरों खड़ी हो जावें, क्योंकि उन्होंने हजारों छात्र पढ़ा कर निकाले हैं योद्दी योद्दी मी सहायता करने से सैक्षों को सहायता

हो सकती है साथ ही वे औरों से भी यथा अवसर सहायता का सकते हैं, जिससे पोष्टेज छपाई और प्रचारकों का मार्ग बच कर संस्थाओं की अच्छी सेवा हो सकती है।

परन्तु इस समय यह बात ऐसी है, जैसे जल से मक्खन निकालना या रेत में से तेल निकालना, क्योंकि बेचारे नीर्थ और विशारद (२०) बीम रुपया की नौकरी के लिये प्रान्तों प्रान्त मारे २ फिर रहे हैं, इनके पास पूँजी नहीं जो व्यापार करें और न व्यापार करना ही जानते हैं, कि किसी व्यापार के यहाँ कार्य कर सकें, महिनन मजूरी होनी नहीं उद्योग हुनर मिखाया नहीं गया, खोमचा (फंग) काने में शरमाते हैं, भूख मनाती है, पनी का भार माथे लट गया और पुत्र भी होगया, अब क्या करें अनन्यगति होकर किसी सामाजिक पाठशाला में छोटी सोटी नौकरी पर ही संतोष करना पड़ता है जीवन भर कराने हैं, और पास में फिर भी कुछ नहीं रहना। यदि दैन योग से नौकरी ढूट गई साल छः महीने घर बैठना पड़ा तो घर वालों को भार हो जाते हैं, या कुछ चीज बेच बाच कर किसी तरह जीवन के दिन काटते हैं। उस समय विद्यार्थी जीवन के पश्ची आराम व उद्धरणादि काम नहीं देते।

हाय कैमी दयनीय अवस्था हो जाती है, उनकी दशा पर निर्दयी भी एक बार आँसू ढाहा देता है, भला ऐसे व्यक्तियों से हम क्या संभाल्यों को सहायता की आशा कर सकते हैं ? नहीं २ व्यर्थ का विनंडावाद करना है। इसके सिवाय समाज में इनी गिनी पाठशालाएँ हैं, जो पंचों की देनगी और मर्जी पर चलती हैं, नहीं सुखती नहीं, यदि एक नहीं सुखती, तो २ ढूट जाती हैं, और प्रति वर्ष विद्यालयों से बासों छात्र निकलते हैं सो उन सबको कहाँ कहाँ नौकरी मिलेगी ? आखिर दो शेष वचे हुओं को कुछ न कुछ आजीविका का साधन करना ही पड़ेगा, यदि कहो अजेन संस्थाओं या राजकीय संस्थाओं

में कही भी नौकरी कर लेंगे, सो प्रथम तो हनमें हननी योग्यता ही नहीं कि किसी अच्छी संस्थामें ये न्याय व्याकरण या साहित्य की गही ले सकें, दूसरे अजैन समाज में ब्राह्मण लोग ही बहुत विद्वान् मौजूद हैं, जो प्रौढ़ विद्वान् भी हैं, तब वहाँ हनकी गुणर कैसे हो सकती है ? ये नो विचारे उदासीनता (बेगार समझ कर) से पढ़े हुए वे दाला, रान-करड़, द्रव्य संग्रह, तत्त्वार्थ सूत्र, बाल ओषध आदि पुस्तकों के सहारे शब्दार्थ मात्र पढ़ा सकते हैं सो तो जैन समाज ही के काम के रहे, बाहर तो निकल ही नहीं सकते । अब कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, कि जिनके समाज में कोई जगह नहीं मिली, परन्तु भाष्य चमक गया और कदाचित् श्वेतांडार या स्थानकवायी समाज में कहीं ठिकाना पड़ गया तो निरंतर उनके संसर्ग से, उनका धान्य खाने से, उनके ग्रन्थों का पठन-पाठन करने कराने से, आजीविका के हेतु, धर्मश्रद्धा से चलिन हो जाते हैं—उनके ही गीत गाने लगते हैं, अपने सिद्धान्तों के विरुद्ध उनके सिद्धान्तों की पुष्टि करने लगते हैं और तुरा यह कि वे निष्पक्ष विद्वान् कहाते हैं । लेद है, कि इनके लिए हजारों रुपया जैस समाज ने व्यय किया, ये उमी के धर्म-मिद्दान्तों का काट करने लग जते हैं, “घरके कुरुश्रा से आँख फूट जाती है” जिस आशा पर समाज ने इनको तैयार किया था, उम पर मात्र पानी कहीं फिर जाता, प्रयुत उठे शयु बन जाते हैं, समाज में ऐसे कितने दृष्टान्त प्रगट मौजूद हैं ।

यह सब क्यों होता है ? इम पर विचार करने से संस्थाओं का ही अपराध समझा जा सकता है, क्योंकि जिनमें बालकों का सुकुमार बाल्यजीवन से लेकर कौमार काल व्यतीत होना है, वे तरुण वय के सन्मुख जहाँ रह कर हो जाते हैं अर्थात् लगभग अपने जीवन का एक बटे तीन या एक बटे चार भाग जहाँ पूरा करते हैं, उन संस्थाओं ने इन पर अपना वया प्रभाव ढाका ? कहा जाता है कि कोरे घडे में जिय

वस्तु का संस्कार प्रारम्भ में पढ़ जाना है, उसी वासना घड़ा फूटने पर भी नहीं जाती है, मो यहाँ भी बाल्य वय (जो कोरे घड़े के समान है) से ही बालक संस्थाओं में तात्पुत्र हो जाना है और १०-१५ वर्ष तक उनमें बिनाना है, फिर भी ये संस्थाएँ इन बालकों में इतना भी धर्म संस्कार नहीं ढाल सकतीं कि उनमें निकला हुआ विद्वान् अन्य धर्मों के सन्मुख दृढ़ रह कर स्वधर्म की श्रद्धा में च्युत नहीं होने पावे, धर्म का प्रचार और प्रभावना तो दूर रही, परन्तु स्वयं तो धर्म में हड़ रहा आवे । इस विषय में जब हम जैनेतर विद्यालयों या गुरुकुलों पर दृष्टि डालते हैं तो उन को जैन संस्थाओं से कहाँ अच्छी हालत में देखते हैं, वहाँ से निकले हुए अनेकों विद्वान् अपने २ धर्म व समाज पर जीवन उत्सर्ग कर देते हैं । यहाँ तक कि कितनेक तो पूर्ण विद्वान् होकर संन्यासी हो जाते हैं और धर्म प्रचार काने देखे जाते हैं, जैन समाज अपने धर्म के तर्हाँ पर (मिद्दांतों पर) अभिमान रखती है, और ही भी शीक कि जैन धर्म के ठोस मिद्दान्त समस्त जीव मात्र के हित करने वाले हैं, इसका अनेकान्त (स्याद्वाद) सिद्धांत, वादी-प्रतिवादियों कर अजेय है, इसकी तत्त्व विद्या संमार में अजोड़ है, यह सब सत्य है तो भी ऐसे हम यात का है, कि हमारी समाज में गत ३०-३२ वर्षों में अनेकों विद्वान् इन संस्थाओं द्वारा निकले, परन्तु इने गिने ५-६ विद्वानों के मित्राय कोई भी विद्वान् समाज के सन्मुख नहीं आए, न उन्होंने समाज की कोई ठोस सेवा की और त्याग-माग में तो मान्यता पं० गणेशप्रसाद जी वर्णी के मित्राय कोई भी आगे नहीं आए कि जिससे विद्वत्ता के साथ साथ चरित्र के हांने से जगड़जीवों पर उनका अद्वा प्रभाव पड़ता और समाज को बिना किसी प्रकार के खर्च में उतारे (मात्र शुद्ध सादा प्रासुक भोजन और सादे मांटे स्वदेशी व्यहर के वस्त्रों पर ही) स्वजीवन निवांह अथान् बनवायी संयमादि साधने हुए वीर अकल्प स्वामी के समान देश पर्यटन कर के जिम धर्म के गौतम-गीत और बैठे २ गाते हैं

(११४)

उसे दिगंतव्यापी बना देते, विश्व में जैन धर्म का डंका बजा देते, सब्सी
धर्म प्रभावना करके दिखा देते, रीसार के सम्मुख और होनहार भावी
संतान के लिए आदर्श उपमिति कर देते ।

परन्तु यह नहीं हुआ, क्यों ? क्योंकि संस्थयें जल रही हैं
अपनी लीक पर, उनको अपना अस्तित्व तो रखना है, परन्तु आगे बढ़
कर ओजरवी बन कर रहीं, किन्तु मात्र इसना इहलाने के लिए, हमारे
यहाँ भी इतने विद्यालय हैं, इतने गुरुकुल हैं, इतने आनाथाश्रम, महिला
श्रम तथा पाठशालाएँ हैं हमारी समाज में भी उद्घाटित हो रही हैं,
इत्यादि । परन्तु इतने मात्र से न समाज का छित हो सकता है, न धर्म
की जागृति ही हो सकती है और न पढ़ लिख कर निकलने वाले विद्वानों
का इस लोक और परलोक सम्बन्धि छित ही हो सकता है ?

क्यों ? हमारी संस्थायों का संचालन शीक तौर से नहीं हो रहा है
और न उनमें पारम्परिक महायोग ही है, इसलिये ऐसी अवस्था में खर्च
अविक हो कर भी ज्ञान कम होता है, यदि इन संस्थाओं के संचालक
मन्त्री अधिष्ठान सभापति आदि आनंदेरी होने हुए भी सचे दिल में
काम करें, अपना समय नियमित रूप से संस्थाओं के मुद्धार में जगावें,
स्वयं देख रेख रखें, स्वयं प्रयत्नक विषय की जांच करते रहें, उच्चनि
विधायक विचारों व यत्कों को उपयोग में लेने रहें, स्वयं अनुभूत की
और अन्य निरीक्षकों के द्वारा बताई हुई विद्यों को भरसक प्रयत्न करके
दूर करने में नायर रहें, तात्पर्य इन संस्थाओं के कार्य को वे लोग अपना
निजी और नित्यावश्यक कार्य मानलें और इच्छित हो कर करें,
व्यक्तिगत द्वेष या दशा राग छोड़ दें, मात्र यस्था के हित पर
दृष्टि रखें, तो क्यों नहीं संस्थापै उच्चत और सफल उद्देश्य होंगी ?
अवश्य होंगी ।

परन्तु मन्त्री आद कर्यकर्ता, मात्र अधिकार के लोभी रहते हैं,

कागजों पर यही कर देना वा आर्डर निकाल देना, बहुत हुआ तो पत्रोत्तर देदेना इत्यादि ही अपना कार्य समझते हैं, वार्षिक अधिवेशन आदि के समय यदि कुर्मत मिली तो रिपोर्ट पढ़ कर या सुपरिं आदि से पढ़वा कर जनता को सुनादी कुछ काम चलाऊ प्रस्ताव, जो सुपरिं आदि ने तैयार कर रखे हैं, पेश कर पास का लिए और माल भर को छुट्टी पाई, यदि न उत्तरित हो सके तो सुपरिं आदि पेड़ कर्मचारी अपना कार्य समय पर करही लेते हैं और नाम सन्त्री आदि का छप ही जाता है, बस ! कर्तव्य की इति श्री हो गई ।

परंतु इन विवारे पदशास अधिकारियाँ को अपनी जिम्मेदारी का योग्या भी भाव नहीं होता कि जनता ने इम पर विश्वास करके यह जोखमी कार्य सौंपा है, अतएव इमारा कर्तव्य है कि हम उनके इम विश्वास पर अपने को धन्य मान कर परिश्रम सहित कार्य करें, समरण रहे, कि संस्थाओं के मंचालन का कार्य खेल नहीं है, इस में चोटी का पमीना ऐडी तक बहाना पढ़ता है, नन भी लगाना पड़ता है और मन बचन भी, इस को छोटा मोटा राउय ही समझना चाहिए, इमलिए जैसे राजा अपने राज्य को बढ़ाने और प्रजा के पालन करने व उम्मीदों सुख पहुँचाने के प्रयत्न में निरंतर दत्तचित्त रहता है और अवधर आने पर अंग में राउय और प्रजा के हितार्थ प्राणों नक को न्योद्धावर करने में भी पांछे कदम नहीं रखता, उपरी प्रकार संस्थाओं के मंचालकों को होना चाहिए यदि वे अधिकारी राजा हैं, तो विद्यार्थी उनकी प्रजा है, इमलिए इनका लालन पालन शिखण बड़ी सावधानी के साथ न्यायपूर्वक होना चाहिए ।

उन की देखरेख सम्भाज और संभज्ञा के लिये, योग्य, मदाचारी व्यवहारकुशल, विद्वान्, धर्मवीर, गृहपति मैनेजर सरचक आदि तथा विद्या-परीक्षण के लिये सुयोग्य विद्वानों, को जो उन को धर्म, नीति, व्यवहार, आदि सभी विषयों में आदर्श रूप होकर शिक्षा देसके, परीक्षा

कर सकें, बालकों के स्वभाव के जानकार होवें, नियुक्त करें और उस पर भी प्रत्यक्ष तथा परोक्षरीत्या सब के कार्यों और व्यवहारों की जांच करते रहें, अपराधी को उचित दण्ड और कुशल कार्य-बाहकों को उचित पुरस्कार आदि की योजना करते रहें अपनी संस्था से निकले विद्वान् कहाँ २ हैं, उनसे धर्म व समाज भी क्या मेवा हो रही हैं, उनके प्रति जननाम का कैपा विचार है, वे अपनी उपकारिणी संस्था को क्या बदला दे रहे हैं, इन्यादि बातों पर ध्यान रखते हैं। तथा वर्तमान के लाभ कोन किस विषय में कैसी योग्यता रखते हैं, उनकी स्वाभाविक सूचि किस ओर है, वे किस विषय में अधिक उत्तमि कर सकते हैं, उनकी धर्म परिस्थिति कैसी है, वे कितने काल तक विद्यालयन कर सकते हैं, उनकी आजीविका का भावी साधन क्या हो सकता है? उन में पुस्तकों के अन्तिरिक्ष व्यवहार ज्ञान भी हो रहा है या नहीं, उनके धार्मिक विचारों में प्रौढ़ना आ रही है या शिथिलता, धार्मिक क्रियाएँ (देव-पूजा स्वध्याय, गुरु मेवा, शुद्ध स्वान पान) आदि का यथार्थ साधन करते हैं या नहीं, उनके मदाचार में कोई दोष नो नहीं लग रहा है, व्रह्मचर्य का घात तो नहीं हो रहा है, उनमें मानसिक बल, पुरुषार्थ साहम और शारीरिक बल दृढ़रहा या घट रहा है, उन में वाक्षपटुना हुई या नहीं, विनय, दया, च्छमा, सेवा, वामपल्यता, गुणग्राहिना, स्नावलंबन, धैर्य, महिल्पुनादि गुणों का विकास हो रहा है या जड़ना, हड़ता, कृतनादि दुरुशों का प्रादुर्भाव हो रहा है या उनमें एक सच्चे धर्मात्मा पुरुषार्थी सुयोग्य नागरिक के गुणों का विकाश हो रहा है, इन्यादि बातों पर खूब ध्यान देवें और जिस प्रकार से हो सके उनके जीवन को सुखद और धर्म देश व समाज मेवक के रूप में ढात देवें।

इस के लिए अच्छे न अनुभवी साधुवृन्ति, परोपकारी, सच्चे, प्रौढ़, महाचारी, धर्मात्मा, मेवक, गृहितियों, संरक्षकों और शिष्यकों की उनके योग्य वेतन देकर, नियुक्ति करना होगी; उनके कार्यों का विभाग

आवधि भी नियत करना होगी । ताकि वे अपने उत्तरदायित्व के कार्यों को करने हुए, कुछ समय अपने पुत्र पुश्यादि की उचित सम्हाल करने तथा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक आराम करने को भी समय पा सके । एक ही धर्मिता से पीर वर्वर्चि भिस्ती खर का कार्य लेना और किर उससे उत्तरदायित्व की आशा रखना व्यर्थ है ।

बहुमान में इमारी सामाजिक प्रायः सभी संस्थाओं में यही व्यवस्था हो रही है, कि नाम तो धरा देते हैं गृहपति (सुपरि०) का और कार्य लेते हैं मुनीम, क़ार्क, भंडारी या चपरासो का, अर्थात् वही आफिस के सब रजिस्टरों को अपटुटेट भर कर तैयार रखते, लेन देन, हिमाच किनाब, आय व्यव आदि के कार्य, वही न्याना, व अदालती कार्य भी वही करे, चिट्ठी पत्री, मंत्री सभापति अधिष्ठातादि की तरफ की तथा अपने आफिस सम्बन्धी भी वही रे, सामान भोजन भण्डार रिकार्डकीपिंग आदि भी वही करे, आगन्तुक तथा निरीक्षकों से निरीक्षण प्रीक्षण कराकर कुछ स्थायता भी वही करावे, भोजन तथा रहन सहन आदि में विद्यार्थियों को सुभीता पहुँचाने की व्यवस्था भी वही करे, (यदि बेंडिङ सुपरि० है तो धर्म शिक्षा भी वही दे दिया करे और परीक्षा दिलाकर पास करा दिया करे) अध्यापकों तथा छात्रों की देख रेख आदि सम्पूर्ण सम्हाल भी करे और सब की जवाबदारी रखते, बेतन सबसे कम जेवे और सब से अपने को हीन माने, सब की आज्ञा माये चढ़ावे, इत्यादि । जब हम प्रकार बेहिमाच कार्यमार भौंपा जाता है तो वह किसी को भी पूरा न कर चतुराई से दिखाऊ, कार्य कर, कराकर अपने अधिकारियों को सुश रख कर अपनी आजीविका चलाता है, संस्था का कुछ हो और छात्रों का भी चाहे सो हो वे, हमकी उसे पबोइ नहीं रहती, न वह कुछ कर ही सकता है । हमलिप सुपरि० (गृहपति) को सुन करने का खिल्ला पढ़ी, रिकार्ड कीपिंग आदि) कार्य बहुन कम होवे, वह आवश्यक पत्र व्यवहार आदि

आफिस कार्ये करे और शेष कार्यों के लिये एक आफिसकर्क या मुनीम रहे, हाँ जिम्मेदारी सब की सुपरिं की ही हो, सभी कार्यों में वह दक्ष हो योग्य मैनेजर, इन्सपेक्टर व आडीटर हो मुख्य कार्य बाल्कों की दिन-रात्रि चर्च की देख भाल सम्हाल हो, ऊपर बताई प्रत्येक बात जो छात्रों में होना जरूरी है, उन का उत्पादक हो, और दोषों का संहारक हो ।

वास्तव में सुपरिं का पद बड़ी भारी जोखिम (उत्तर । पर्व) का है, परन्तु खेद है कि जैन समाज ने इस पद का अर्थ नहीं समझा, इसलिए संस्थाओं में एक कर्तर कर्म दिया जाता है जो कम वेतन के लिए, सब की जी हुजूरी करे और सुपरिं कहलावे, इसके लिए कोई सहस्र-सा थोड़ा पढ़ा लिया लड़का या बुड़ा देख लिया जाता है, जो उक्त रस्मों को यथागति अदा करता रहे, भला ऐसे अस्ति का बाल्कों और अध्यापकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? कभी २ तो उल्टा हा असर हो जाता है, क्योंकि जो अध्ययन सुपरिं में होग, वे तो बाल्कों में पैश हो ही जायेगे, अधिक हों सा अलग ।

इसीनरह अध्यापकों की हालत है, यथापि वे परिमित हो कार्य करने हैं, परन्तु पुस्तके रटा देना मात्र जानते हैं, वे कभी भी बाल्कों को उनके जीवनोपयोगी नैतिक शिक्षा, अवधारिक शिक्षा, समाज व देश की परिस्थिति सम्बन्धी शिक्षा, शारीरिक व्यायामादि सम्बन्धी शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा, अध्योगिक शिक्षा, कियाकारण सम्बन्धी शिक्षा, गिर्भाचार पालन, सेवा, वैयावृत्ति, विनयाचार, संयम, बहुचर्य, स्वावलम्बन, साधन, धीर वीरता आदि विषयों की शिक्षा नहीं देते, वे ये शिक्षाएँ क्या देंगे, स्वयं भी हन से परे हैं । एक प्रसिद्ध संस्था में पुक नैयाकरण पढ़ाने आता वा, वह आते ही गही पर लड़के गाँव करके पढ़ जाता और लड़के पास बैठ कर पढ़कर बले जाते, बोर्ड पर

या पाटी पर रूप बनाकर बनाना समझाना पूछना वह नहीं जानता था, मुँह से बकना जाता, लड़के सुनते या बोलते जाने, पैंच फैज़ाकर गही से टिक कर अभिभान से बैठते। तो प्रयेष अध्यापक का कर्तव्यमा हो गया है। इसमें वे शोरव समझते हैं, परन्तु वह उनकी असम्भवता है। एक मन्था में छात्र, मीन से एक जगह बैठकर ही कुछ खाते पीते हैं, ऐसा मन्था का नियम है, परन्तु वहाँ के एक जैन अध्यापक पढ़ते हुए मुंगफली कियमिम आदि खाते जाते थे, एक अध्यापक कक्षास में पान तड़बालू खा करके पढ़ाने बैठते और बारबार यूका करने थे, एक अध्यापक बारबार दुलास नुँधा करते थे, एक मन्था में बालक नो मूँद मुड़ाकर के रहते, परन्तु गृहपति अध्यापक अंग्रेजी डिज़ के बाल रखते, एक अध्यापक लड़कों के सामने पढ़ाते हुए कहते, बड़ी सख्त गर्मी है, तबियत परेशान हो जाना है और इस मन्था का कैसा स्वराच कायदा है कि गर्भियों में भी बन्द नहीं होनी, तुम लोग क्यों नहीं मन्त्री आधि से आपह काके छुट्टी कराते। ये मानशय तो छुट्टी ही टटोला करते और गर्मी कहते हुए ध्यान छोड़ कर दरवाजे में आकर बैठ जाते जिसे कपरे में जान लाली हवा का उपयोग ये ही कर लेते और बैचारे लड़के और आधिक गर्मी में पचने लगते। गाली देना, नुस्खर जाओ, चांडालो, बड़ी दीज खाने हो इन्हाँति तो इन के सहज स्वभाव में था। कभी मार भी अध्यापक बड़ी तरह लगाने हैं। लड़कों के सामने अध्यापकों का हंपी-झाजाक, जिसक अमर विद्यार्थियों के शील-स्वभाव पर बुग पड़ता है, करना तो दोष ही नहीं गिना जाता, चलते फिरते खाना, गध्ये उड़ाना, लड़कों को गध्यों में लगाना, पार्टीबंधी करा देना; ये तो इनकी स्वाश आदतें होनी हैं गृहपति या अध्यापकों का घर काम करना, उनकी धर्मपत्नियों वी आज्ञा भी सिरोधार्य करना, उनके बच्चों को खिलाना, यह गुरु सेवामें समिलित समझा जाता है। स्थानीय अध्यापक या गृहपति के घरों में छात्रगण छूट के साथ आते

जाते हैं और ऐसी सेवा नहीं, बल्कि चापलूमी का फल संस्थाओंसे अनेकों प्रकार की रियायतें चाहते हैं और होता भी यही है कि चापलूप सुशामदें का सफल मनोरथ हो जाते हैं और ऐसा न करने वाले कोप-भोजन बन जाते हैं। धर्माध्यापक महाशय स्वयं पूजा आदि को ढकोसज्जा मानते हैं, वे स्वयं पूजा नहीं करते, न लड़कों को पूजादि करना सिखाते हैं, मग्नव है कि वे स्वयं पूजादि करना न जानते हों, अच्छे २ पडित मुनियों को आहार दान इने पढ़ाइने में बँगले भाँकने हैं, इनको बाजारु अभद्र मिडाइयां खाने, होश्लों में खाने, अंग्रेजों इवाईयाँ खाने आदि का न्याय नहीं होता, शुद्ध भोजन यह जाते नहीं न मर्यादा का ज्ञान होता है पानी तक छान कर पीने का नियम नहीं होता हृष्यादि। ऐसी बहुत सी बातें इन प्राइवेट संस्थाओं के अध्यापकों में पाई जानी हैं, कि जिन का बहुत बुरा अमर छात्रों पर पड़ता है, वे सदगुणों के बदले दुर्गुण सीख जाते हैं, परन्तु कार्यकर्ता क्या कभी इन बातों की जाँच करते हैं, इनको सुधारने का यत्न करने हैं? कभी नहीं। वे तो जब कभी आने हैं, तो सूचना देते हैं, जिसपे उनका बढ़िया स्वागत हो जाता है और कुछ समय बढ़िया दश्य देख जाते हैं, उनको भीतरी व्यवस्था का कुछ भी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वे सावधान करके कुछ मिनटों के लिए आते हैं, उन्हें अःयारों और बाल्कों के स्वभावों और बार्ताओं की क्या स्वर्बर ? जिसने चतुराई से कार्य बना लिया, वही बाजी ले गया ! इन संस्थाओं के रमोई घरों में पानी छानने तक की क्रिया नहीं मिलती, न छात्रों पानी छानना भोजन के पदार्थों की मर्यादा (क्रिया कोष) का ज्ञान कराया जाता है, एकादि संस्था के निवाय किसी संस्था में बाल्कों से पूजा नहीं कराई जाती है, सामाजिक नहीं सिखाया जाता, शास्त्र बाँचने की पद्धति वा ध्यालयान, संबाद आदि का अभ्यास नहीं कराया जाता । हाँ ! कहीं २ वार्षिक जलमों पर संबाद का फारस जहर सिखाया जाता है जो रटा दिया

जाता है, परन्तु उनमें तार्किक शक्ति नहीं पैदा की जाती। इन छात्रों से सस्थान्नों के कोई भी कार्य ऐसे नहीं लिये जाते, जोकि इनके व्यावहारिक जीवनोपयोगी हों, जैसे आफिस का कार्य, हिसाब, खाता बही, भण्डार (भोजन) की समाल, भोजनालय की व्यवस्था, सामान की खरीद आदि। इसके सिवाय इनको प्रमाणी बनाने के साधन जल्द जुटा दिए जाते हैं:—जैसे इनके स्थानों की मफाई, झाड़ना आदि नौकरों से कराना, भोजन जीमने के थाली, लोटा आदि बनने भी नौकरों से मंजवा देना, कपड़े धोने को धोबी का इन्तजाम कर देना हत्यादि। साथ ही ये सम्पाद्य, जो बाक़ों को भोजन, वस्त्र पुस्तकादि सब कुछ देती हैं, वे भी छात्रों को मासिक I), II), १) नक्कद दिया करनी हैं। एक संस्था तो, इसके सिवाय यह भी करनी थी कि जो छात्र शाम को जीमने से इंकार करे, तो मंस्था उसको —)॥ पैमा नक्कद एक बार के भोजन का दे दिया करनी थी, कि वह उसका दूध पी लेवे, परन्तु होता यह था कि कई छात्र सबेरे ही डॉट कर जीम लेने और शाम के पैसा लेकर बचा रखते। इस प्रकार नक्कद पैमा, रुपयों का उपयोग ये छात्र क्षमा करते हैं ? मों कोई पुरुष डिडेक्टर बनकर वहां रहे और देखे तो पता लगेगा, कि इसका किनना दुरुपयोग होता है और उनके चारित्र को कहां तक इसमें धक्का पहुँचता है ? उसका बर्णन करना यहां उचित प्रतीत नहीं होता, इसलिये विद्यार्थियों को भोजन, वस्त्र और पुस्तकों के साथ और भी जो आवश्यक सामान हो, प्रबन्धकों द्वारा दिया जाय, परन्तु नक्कद पैमा देना हानिकारक है।

तात्पर्य, शिल्प संस्थाओं में योग्य स्टाफ की योजना करना और उन पर सदैव बारीक दृष्टि रखते रहना, छोटा भी दोष हो, तो भी उपेक्षा न करके, उसको प्रारम्भ में ही दूर कर देना, न्याय से दूर हो पुरुषकार देना, किसी छात्र के, मात्र दानता करने या रो देने पर ही दया न कर बैठना और न किसी कर्मवाही की अवश्य भगत में प्रभावित

हो जाना चाहिये । इसके लिये कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ सदन करना होगा:—स्वार्थ त्यागना होगा, समय लगाना होगा, बुद्धिमानी से कार्य लेना होगा, स्वयं प्रत्येक बात की जांब करनी होगी, छात्रों तथा कर्मचारियों की बुराई भी सहना पड़ेगी, व्यक्तिगत मुरब्बे औड़नी पड़ेगी इत्यादि । परंतु यह सब तभी होगा, कि जब वह उन छात्रों वा कर्मचारियों से कुछ भी निजी सम्बन्ध न रखेगा, वर्योंकि प्रायः ये छोग अपना कार्य बनाने के लिये बरोबर बना लेते हैं । मैं एक विद्यालय में दो वर्ष सुपरिं रहा हूँ, वहाँ मैंने इसी बात का अनुभव किया । मैं चौके में जीमता था, इसलिये जिस दिन मैं संस्था में पहुँचा, कि उसी दिन शाम को ४—५ छात्र आकर पग दाढ़ने की पूछने लगे, मैंने इन्कार कर दिया । पश्चात् क्रमशः बरौद्धा और चपरामी आया, उन्होंने भी पग दाढ़ने की चेष्टा की, उन्हें भी मैंने नियंत्र कर दिया । दूसरे दिन, भोजन शाला में दो स्त्री रसोई करने वाली थीं और एक परोसने वाला पुरुष था, उन्होंने सड़कों रोटी जो बनी रखी थीं सो और दाल परोसी, परम्तु मुझे एक शाक (जो सांझ को बचा रखा था) मो बघार कर तैयार किया हुआ) शाल और गरम फुलका अन्य रोटियों से कुछ इलका और पतला सेक कर रखा । मुझे आश्वय हुआ कि खड़कों को शाक नहीं है, उनकी रोटियां कुछ बज़ुन दार माटी वरी २ हैं, और मुझे शाक एवं पतला और गरम फुलका परमा है । मैंने कहा, सबको शाक परोसो । उत्तर मिला सबको नहीं है । आपके लिए कल के शाम के शाक में से बचा लिया था सो बनाया है । मैंने अपनी रोटी पास वाले छात्र को दे दी, शाक भी दो चार को पहुँचा दिया और वही रोटियां जो सबको परोसी थीं, खोकर जोमने लगा । बस ! मैं समझ गया कि इस प्रकार कर्मचारी या छात्र, अधिकारियों को अपना बना लेते हैं और उससे अनुचित (स्वार्थ) कार्य साध लेते हैं । अधिकारी जब निजी कार्य (सेवा) उनसे लेने लगते हैं, तो उन पर उस

सेवा का दबाव अवश्य ही कुछ न कुछ पढ़ जाता है, जिससे उसे, उसके बदले कभी २ उनके अनुकूल न्याय, पारितोषिक तरकी आदि देना, पड़ती है और दोषों पर अंतर्राष्ट्रीयी करनी पड़ती है। इसलिये छात्री तथा प्रबलकसर्वेन्ट्स (सावंजनिक संस्थाओं के कर्मचारियों) से किसी भी प्रकार का निजी छोटे से छोटा भी कार्य, (यथा बच्चे को उठा लेना, घर दे आना, शाक ला देना, चाबी घर दे आना, इत्यादि) नहीं लेना चाहिये। प्राइवेट कार्य को प्राइवेट नौकर रखना या सुन्दर कर लेना चाहिये। तभी उनसे संस्था का ठीक २ कार्य लिया जा सकता है। भले ही कार्यकर्ता आनंदेशी हो, यदि उसे अपना समय वहां देना पছना है, जिससे निजी कार्य में अद्वितीय पड़ती है और आर्थिक परिस्थिति के कारण निजी नौकर नहीं रख सकता, तो यह अच्छा होगा कि अपने लिए संस्था से एक नौकर कमेटी द्वारा स्वीकार करा जावे और उसी से अपना कार्य कराया करे, जिससे औरों का दबाव न आने पावे।

जब २ संस्था की जोख करना हो, बिना सूचना दिये अनियमित समय पर जाकर उस समय के समयविभागानुसार कार्य देख-रेख करना, हिमाचल आदि रोक्ड गिनाना, आफिस देखना, भोजनभण्डार, अन्यान्य सामान का स्टाक देखना, अध्यापकों की बैठक, पढ़ाने का ढङ्ग, छात्रों से उनका व्यवहार आदि की जोख व हिक्यायत करना इत्यादि। यदि इस प्रकार से छात्र, कर्मचारी और कार्यवाहक गण (अधिकारी) अपने २ कर्तव्यों को करने जायें, तो संस्थाओं की सही उच्चता हो, सुयोग्य नागरिक पुरुषार्थी, विद्वान् उनसे निकलें, जो स्थानी बनकर या गृहस्थ रहकर, सुयोग्य, संयमित स्वावलम्बी जीवन विताते हुए, धर्म, समाज और देश की यथोचित सेवा कर सकें।

संस्थाओं के सम्बन्ध में यह एक बात और कहना शेष है और

वह है उनका पारस्परिक सङ्गठन । दिगम्बर जैन समाज में मधुरा, बनारस, सागर, व्यावर, मोरैना, उदयपुर, कटनी, इन्दौर, सहारनपुर, आदि अनेक स्थानों में पृथक् २ नामों से अनेक व्रह्मचर्याभिम, विद्यालय आदि कई वर्षों से चल रहे हैं और लगभग सभी की पढ़ाई कुछ फँफार से एक सी हो रही है । उद्देश्य व नियम भी बहुत कुछ मिलते हैं, क्योंकि सभी जगह के छात्र बनारस क्वीन्स-कालेज, कलकत्ता संस्कृत कालेज, मणिकचन्द दिगम्बर जैन परीक्षालय या महासभाश्रित दिगम्बर जैन परीक्षालयकी परीक्षा देते और तीर्थ शास्त्री, विशारद आदि उपाधियां प्राप्त करते हैं, तथा वे छात्रगण जब कुछ पढ़ने लगते हैं और उनको लोक की हवा लग जाती है, तो अपनी स्वच्छन्द वृत्ति पोषणे के लिये एक से दूसरी और दृसरी से तीसरी आदि संस्थाओं में भागकर चले जाते हैं, या एक संस्था से अमुक २ कारणों से निकाले जाने पर, अन्य संस्थाओं में जाकर प्रविष्ट हो जाते हैं । यदि इन संस्थाओं में समानता न होती, तो वे छात्र वहां जाकर प्रविष्ट न हो सकते, हृत्यादि कार्यों से उनमें समानता पाई जाती है । हमें जब कि उनमें समानता ही है, तो क्यों नहीं वे अपने सामान्य भेदभाव को दूर करके परस्पर सङ्गठित हो जाती ? और क्यों परस्परविरोध रखकर अपनी २ ढपली बजाती हुईं अपना २ राग अलापती हैं ? क्योंकि इस असङ्गठन के कारण एक तो द्रव्य का व्यय बहुत होकर भी ज्ञान कम होता है और दूसरे विद्यार्थियों के खरित्र पर हमका बहुत जुरा असर पड़ता है ।

द्रव्य का व्यय तो यों अधिक होता है, प्रत्येक आश्रम या विद्यालय अपने घड़ों से तीर्थ, आचार्य, शास्त्री आदि की उच्च परीक्षायें दिलाना चाहता है, और हमें उसको उक्त विषय के ऊँचे विद्वानों की योजना करनी पड़ती है, परीक्षाकी मार्गध्यय, और पुस्तकादि का व्यय उठाना पड़ता है, जब कि प्रत्येक विद्यालय में

ऐसी उच्च कक्षाओं के छात्र बहुत थोड़े, कहीं १, कहीं २-३, कहीं ४-५ ही होने हैं। इष्ट कारण से पक-पूर्क विद्यार्थी के लिए बहुत रूपया प्रत्येक मंस्था को व्यय करना पड़ता है, इससे दब्य अधिक व्यय होकर वे भी फल थोड़ा होता है।

इसलिये ये संस्थायें सरकारी स्कूल, हाईस्कूल और कालेजों की पद्धति के अनुमान चलाए जाय, तो योड़े व्यय से बहुत विद्यार्थी, विद्यालय कर सकते हैं अर्थात् प्रत्येक नगर व ग्राम में जो पाठशालायें हों, वे प्राथमिक शिक्षाप्रदायिनीपाठशालाएँ ममझी जाय, जहाँ प्रेसी निजी जैन पाठशालायें न होंवें, वहाँ बालक, बालिकायें सरकारी मार्वजनिक शालाओं में पड़ें और उनको निजी जैन पाठशालाओं द्वारा जैन धर्म की शिक्षा दी जाय, जिसका क्रम नियत रहे, बाद का संस्कृत की ओर बढ़ने वालों के लिए निकटवर्ती मंथानों में प्रवेशिका तक शिक्षा देने वाली संस्थायें रहें वहाँ प्रवेशिका पास कर लेने पर उनको अन्य बड़े विद्यालयों में भेज दिया जाय, वहाँ वे विद्यारद तीर्थ और आचार्य आदि की परीका देवें, अर्थात् एक २ महाविद्यालय (कालेज) के साथ कई प्रवेशिकाशालाएँ हों और पक २ प्रवेशिकाशाला के साथ कई प्राथमिक (बालपोषक) शालाएँ होंवें। जैसे २ बालक आगे बढ़ते जावें, वैसे २ अन्यान्य उच्च शालाओं (विद्यालयों) में भेज दिये जायं। इसी के साथ इन महाविद्यालयों (कालेजों) में यह भी सङ्गठन रहे कि अमुक विद्यालय में व्याकरण उच्च से उच्च कक्षा तक पढ़ाया जाय, अमुक में न्याय और अमुक में साहित्य इत्यादि। जिस विषयकी पढाई जहाँ अच्छी से अच्छी हो सके, और जो संस्था उसका अच्छे से अच्छा प्रबन्ध कर सकती हो, उस विषय की वहाँ मुख्यता रखती जाय, और उस विषय का विद्यार्थी वहाँ बिना सङ्कोच भेज दिया जाय। जैसे काशी में संस्कृत, व्याकरण व साहित्य आदि विषय के बड़े से बड़े विद्यान् थोड़े

वेतन में मिल सकते हैं और अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो सकती है, न्याय या धर्मशास्त्र इन्दौर, महारनपुर या मोरैना हो सकता है, तो उस २ विषय की उच्च से उच्च कक्षाएँ वहाँ ही रहें और अन्य संस्थाएँ अपने २ छात्रों को उन २ विषयों का अध्ययन करने के लिए वहाँ २ भेज देवें। इस से एक तो भारी लाभ खच्च की कमी हो जायगी, दूसरे छात्रों की दौड़-भाग बन्द हो जायगी, क्योंकि उनको नियत संस्थाओं में यदि उन विषयों को पढ़ना होगा, तो अनन्याति से रह कर पढ़ना पड़ेगा, तीसरा बड़ा भारी लाभ यह होगा, कि छोटे बालकों के साथ बड़े २ बालकों का रहना छूट जायगा, बड़े २ और छोटे २ ही रहेंगे, इससे लाभ यह होगा कि छोटे बड़े बालकों के साथ २ रहने में जो दोष उनमें पैदा हो जाते हैं या जिनकी सम्भावना है वे बच जायेंगे, हाँ ! प्रत्येक संस्था को यह ध्यान तो सदा रखना ही होगा कि एक रूम (कमरे) में कभी दो बालकों को स्थान न दें, या तो एक में एक ही रहे या ३-३ आदि ही रहें।

उपर लिखे संगठित प्रबन्ध के सिवाय यह भी व्यवस्था प्रत्येक संस्था में होना चाहिए कि सहयोगिनी किसी भी संस्था से भागे या निकाले हुए छात्र को अन्य संस्था अपने यहाँ स्थान न देवें, जहाँ तक वह स्वयं वहाँ से अपनी पढ़ाई और सदाचार विषयक प्रमाणपत्र वहाँ के गृहपति मंत्री और सभापति की सही से वहाँ की मुहर महित न लावे, तात्पर्य या तो वह प्रमाणपत्र लावे, या अपनी उसी संस्था में जाकर अम्याय करे ।

ऐसा करने से लाभ यह होगा, कि बालकों में उदारता, स्वेच्छाचरिता, प्रमादीपन, मिथ्याभाषिता आदि और भी दोष उभरना न होने पावेंगे, तथा संस्था भी नियमित रूप से अमुक अवधि तक एक छात्र को एक ही संस्था में रहने से उसकी पुस्तकीय

(१२७)

शिक्षा के सिवाय सदाचार आदि सद्गुणों के लिए भी जिम्मेदार होगी, वह बड़ी सावधानी से उसकी सम्भाल रखेगी और उससे नियमों का पूर्णतया पालन करायेगी, बाजारों को नियमोलंबन करने का दुःसाइस न होगा, क्योंकि अन्य संस्था उसे लेने को तैयार न होगी, इस प्रकार उस के खारित्र पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वह सुमंस्कृत और सुयोग्य बनेगा तथा संस्था का भी ऐसे लात्र से गौरव रहेगा ।

प्रत्येक संस्था कियी न कियी अनुभवी विद्वान् त्यागी की देख रेख में रहना चाहिए, जो वहाँ अधिक से अधिक समय रह सकता हो और जिसको पठन-पाठन की पद्धति तथा लात्र और अध्यापकों के स्वभावों का ज्ञान हो, तथा जो पठन पाठन सदाचार व धार्मिक क्रिया, अचरण और शिक्षा मात्र की देख भाल रखे; क्योंकि संयमी का प्रमात्र असंयमी की अपेक्षा अधिक पढ़ता है, परन्तु कल-दोष से यदि ऐसा त्यागी संयमी प्राप्त न होते, तो कोई बृद्ध अनुभवी, शिक्षा खने निश्चृह गृहस्थ विद्वान् ही, जिसकी धार्मिकश्रद्धा व विचार आगम के अनुकूल हो, सम्भाल करता रहे ।

प्रत्येक लोटी बड़ी संस्था में धार्मिक क्रियाओं और धार्मिक शिक्षा, की प्रधानता रहे, अर्थात् मर्यादा के अन्दर का विधिपूर्वक छना दुआ पानी पीना, रात्रि में श्रीपूर्णि और पानी के सिवाय कुछ न खाना, बाजारु अमर्यादित अशुद्ध अभक्ष्य पदार्थ न खाना, दैतीन रनान नियम से करना, नियत दो बार दर्शन सामायिक करना, निजी स्वाध्याय के सिवाय कुछ समय शास्त्रमय करना, नियत बारी २ से और अरकाश के दिनों में मामूलिक रूप से जिन-पूजन करना, कम से कम १५दिन में अमावस्यान सभा करके वक्तृत्व शक्ति को बढ़ाना, लेखनकला और लेख लिखना भीखना धार्मिक वादविवाद करना, शुद्धमर्यादितभोजन दिन में भौज से करना, पंकिमेजन अधिक उपयोगी होता है, इस लिये साथ बढ़कर प्रसंस्कृता और पवित्रता है

जीमना । रमोहैंघर स्वच्छ हवादार प्रकाशवान होना चाहिए । इसोहया जैन हों, क्रियावान हों, कभी २ पर्वदिनों में छात्रों को एकासन तथा उपवास का भी अभ्यास कराना चाहिए, इस भी छोड़ने का अर्थात् अमुक २ रम बिना भी खाने का अभ्यास करावे, यदि प्रायश्चित्त देवे तो ऐपा ही देवे, तुमको इतने एकासना या उवपास करना चाहिए, तुम नमक बिना या धी बिना भोजन करना, ऐसा कराने से उनमें सहिणुना आती है, वे अवसर पर नीरस भोजन मिलने पर भी दुखी नहीं होते और कभी किसी स्थल पर खाय पेय शुद्ध न मिलने पर वे भूख सहने का अभ्यास है, वे एक बार या दो एक दिन यों ही भोजन बिना बिना सकते हैं, परन्तु खाने के लिए कभी भृष्टाचारिता स्वीकार नहीं करने । बालकों को अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं वे ही उनके ज्ञानोन्नति के हेतु होते हैं, इसलिए उनको प्रश्न करने का अवसर देना और वडे प्रेस से उनका समाधान करना चाहिए, कभी भी प्रश्नोंकी उपेक्षा न करना चाहिये और न झुँझलाना ही चाहिए । इस प्रधार से ज्ञान और क्रिया आदि के संस्कार अवश्य ही उन में डालते रहना चाहिए । हमारी संस्थाएँ उनको धर्मपुस्तकों रटाकर पढ़ा देती हैं, परीक्षा दिना देती हैं, परन्तु उनमें भावज्ञान पैदा करने की चेष्टा नहीं करती, न धार्मिक क्रिया, आचरण, खानपान, संयम, व्रत, उपवस, सामाजिक पूजादि का ही उनको अभ्यास कराती है, तात्पर्य, वास्तविक जीनव उनमें नहीं भरती हैं, यह बड़ी भारी त्रुटि है ।

एक जीतेन्द्र ब्रह्मण विद्यार्थी, अपनी संस्था गायत्री करता है, निलक लगाना है, ठाकुरजी का भोग लगाता है, प्रसाद लेता है अर्थात् अपने धर्म और सम्प्रदायानुसार अपना आचरण रखता है और बड़ी कठिनता से अपने शरीर की रक्षार्थ मात्र भोजन वस्त्र प्राप्त करके

नयन करता है और इस प्रकार अच्छा प्रौढ़ विद्वान् भी बन जाता है, एक जैन छात्रको सब प्रकार का सुभीता रहता है, ज भोजन की चिन्ता, न वस्त्रपुस्तकादि की चिन्ता होती है, फिर भी हमारे छात्र न तो उन जैसे प्रौढ़ विद्वान् ही बनते हैं, ज अग्रेशद्वा और कियाओं में ही इड़ होते हैं, इसका कारण संस्थाओं का इस और दुर्लभ ही समकला आहिए, नहीं तो क्या कारण है कि इतना आराम मिलने और विनिकरी होने पर भी जैन समाज के बाहर क सब्जे अर्द्धवीर कर्मशील प्रौढ़ विद्वान् न बने ? क्या इनके लघोपशम नहीं है ? नहीं लघोपशम तो है, किन्तु संस्थाओं का दुर्लभ द्वाने और अध्यापक गुरु, गृहपति आदि की आदर्श रिक्षा व चारित्र न होने से ऐसा होता है, इसलिए मैं समाज, संस्थाओं, लात्रों, व्यागी संस्थियों और विद्वानों आदि सब का ज्यान इस और आकर्षित करता दुश्च लक्ष्मिवेदन करता हूँ कि वे अपना सुधार करें । यहाँ मैंने छात्रों, अध्यापकों, कर्मचारियों, संस्थासंचालकों, विद्वानों और व्यागी संस्थियों के सम्बन्ध में दोषों का विशद्दर्शन कराया है, उसमें सेरा अभिप्राय किसी को नीचा दिखाने, अकीर्ति करने या हाति पहुँचाने का नहीं है, किन्तु मात्र यहाँ मेरी यही शुभ मारना है, जो ऐसे दोष दूर ही जावें और नये उत्पन्न न होने पावें तो यह एवित्र मर्वंजीवहितकारक जैनधर्म आज सर्वव्यापी जैन धर्म बन जावे, विश्व-धर्म हो जावे और जैन समाज आदर्श समाज उसके विद्वान् आदर्श विद्वान् और उसके व्यागी संस्थासी साधु जगदादर्श साधु, माने जावे और जावें, ऐसा होने पर ही जैनधर्म की प्रभावता और समाज की स्फूर्ति हो सकती है, अन्यथा जो हो रहा है सो हो गहा है और जहाँ भी जो होना है सो दुष्कृति, परन्तु समाज शीघ्र बेत जावे और एक संस्थाओं का सुधार करे तो अच्छा हो । इति शुभं सूचात्—

हिताकांक्षी—
दीपचन्द्र वसी,